लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation ... Parliament Library
18-9-92

Third Session

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 14, सोमवार, 5 दिसम्बर, 1977/14 अग्रहायण, 1899(शक)
No. 14 Monday, December 5, 1977/14 Agrahayana, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1–17
*तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 269, 273 और 274	*Starred Questions Nos. 265 to 269, 273 and 274	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	Short Notice Question No. 3	17–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	23–139
तारांकित प्रश्न संख्या 270, 271 और 275 से 284	Starred Questions Nos. 270, 271, and 275 to 284	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2503 से2527 और 2529 से 2668	Unstarred Questions Nos. 2503 to 2527 and 2529 to 2668	
सभा पटल पर रख गये पत्र/	Papers laid on the Table:	140–141
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	141
पांचवा प्रतिवेदन	Fifth Report	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	141
दसवां तथा चौदहवां प्रतिवदन	10th & 14th Reports	
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	142
नौवा प्रतिवेदन	Ninth Report	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	143–144
(1) श्री लंका में भारतीय मल के लोगों की सुरक्षा	(1) Safety of people of Indian Origin in Sri Lanka	143

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—349 LSS (ND)/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(2) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों द्वारा बोट क्लब पर प्रदर्शन	(2) Demonstration by University and College teachers at Boat Club	144–145
(3) प्रधानमंत्री को जान से मार देने की धमकी का कथित समाचार	(3) Reported threats to Prime Minister's life	145
सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 'समाचार' के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Statement on "Samachar" by the Minister of Information and Broadcasting.	144–145
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक प्रस्ताव— अस्वीकृत	Statutory Resolution Re. Disapproval of Banking Service Commission (Repeal) Ordinance, 1977 — *Negatived*	
तथा	and	
बैंककारी सेवा (निरसन) विधेयक—	Banking Service Commission (Repeal) Bill—	141–160
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider —	
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi.	145–146
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai .	146
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua .	146–147
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan . .	147–148
श्री यशवन्त बोरोले	Shri Yashwant Borole .	148
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi .	148–149
श्री सी० न० विश्वनाथन्	Shri C. N. Visvanathan .	149
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	149
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand . .	149
श्री कृष्ण चन्दर हाल्दर	Shri Krishna Chander Halder	150
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar .	150–151

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	151–152
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	152–153
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 . .	154
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . . .	154
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	154
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—	Payment of Bonus (Amendment) Bill—	155–158
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . .	155–156
श्री के० रामामूर्ति	Shri K. Ramamurthy . .	156–157
डा० सुब्रमण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy .	157–158
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	158–160
राष्ट्रीय बैंकों के अन्तर्गत आने वाले गांव	Villages covered by Nationalised Banks	
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu .	158–159
प्रो० टी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar .	159
श्री चित्त बसू	Shri Chitta Basu . .	159
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagasen .	160
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	160

लोकसभा

LOK SABHA

सोमवार, 5 दिसम्बर, 1977 14 अग्रहायण, 1899 (शक)
Monday, December 5, 1977 *Agrahayana* 14, 1899 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS]

"शुगर क्राइसिस आर्टिफीशियल" (चीनी संकट कृत्रिम) शीर्षक समाचार

*265. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1977 के "बिजनिस स्टेंडर्ड" में "शुगर क्राइसिस आर्टिफीशियल" (चीनी संकट कृत्रिम) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की पूरी जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसमें अन्तर्ग्रस्त मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1977 के लिए 1.30 लाख मीटरी टन का मुक्त बिक्री का कोटा निर्मुक्त किया गया था। उक्त महीने में चीनी की सप्लाई में और सुधार करने की दृष्टि में 14-9-1977 को निर्मुक्त किए गए मुक्त बिक्री के 20,000 मीटरी टन के अतिरिक्त कोटे की वैधता अवधि को 30-9-1977 से आगे बढ़ाकर 15-10-1977 कर दिया गया था और नवम्बर, 1977 की मुक्त बिक्री के कोटे की वैधता अवधि को भी 23 अक्तूबर से शुरू किया गया था । अनुमान है कि अक्तूबर, 1977 के दौरान उपर्युक्त तीन कोटो के प्रति फैक्ट्रियों से मुक्त बिक्री की चीनी की कुल निकासी लगभग 1.36 लाख मिटरी टन हुई थी जोकि अक्तूबर 1976 से सितम्बर, 1977 के गत 12 महीनों में (चीनी वर्ष 1976-77) उच्चतम निकासी मानी जाती है। जहां तक लेवी चीनी का संबंध है, अक्तूबर, 1977 में जो 2.39 लाख मीटरी टन के प्रेषण किए गए थे वे पिछले 12 महोनों में किए गए प्रेषणों से उच्चतम थे और 2.37 लाख मीटरी टन की की गई नियुक्तियों से मामूलों अधिक थे और ये मास के अन्त के आंकड़ों और समायोजनों से संबंधित थे। फैक्ट्रियों द्वारा मुक्त बिक्री के बारे में हुई गलतियो के बारे में जो सूचना दी गई है, वह इस प्रकार है:--

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

कोटे का विवरण	कुल गलतियां		1976-77 मौसम की गई निर्मुक्तियो के प्रति उत्तर प्रदेश और बिहार की फैक्ट्रियों द्वारा बतायी गई गलतियां (स्तम्भ 2 में दी गई कुल गलतियोंमें शामिल हैं)
(1)	(2)		(3)
1. 14-9-1977 को की गई 20,000 मीटरी टन की अतिरिक्त निर्मुक्ति के प्रति और जोकि 15-10-1977 तक वैध थी।	105.4	उत्तर प्रदेश,	82.9
		बिहार	23.4
2. 24-9-77 को निर्मुक्त किए गए 1·30 लाख मीटरी टन के मुक्त बिक्री के कोट के प्रति (1-10-77 से 31-10-77 तक वैध थी)	5,763.5	उत्तर प्रदेश,	3,375.1
		बिहार	542.5

(यह सूचना जिन 247 फैक्ट्रियों की निर्मुक्तियों की गई थी उनमें से 244 फैक्ट्रियों के बारे में है। महाराष्ट्र की 2 फैक्ट्रियों और बिहार की एक फैक्ट्री से सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।)

2. उपर्युक्त गलतियों के लिए फैक्ट्रियों द्वारा जिस कारण का सामान्यतया उल्लेख किया गया है वह यह है कि मंडी में मंदी होने के कारण खरीददार चीनो खरीदने के लिए

आगे नहीं आ रहे थे। व्यापारियों द्वारा फैक्ट्रियों से मुक्त बिक्री को चीनी को उठाने में ढ़ील दिखाने से संबंधित प्राप्त शिकायतो की दृष्टि में, सभी राज्य सरकारों को 13-10-1977 को एक परिपत्र लिखा गया था जिसमें इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि वे उन व्यापारियों, जिनकों उनके द्वारा थोक चीनी व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस दिए गए हैं, द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्टाक उठवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फक्ट्रियों द्वारा उनको निर्मुक्त किए गए मुक्त बिक्री के मासिक कोटे के प्रति नियमित रुप से प्रषण किए जाते है और जहां कहीं जानबुझ कर उल्लंघन करने से संबंधित मामला देखा जाता है, वहां चूककर्ता फैक्ट्रिरी को चेतावनी देने सहित आवश्यक दोष निवारक कार्यवाही की जाती है।

3. जहां तक अक्तूबर और नवम्बर, 1977 के प्रत्येक महोनों के लिए त्यौहार के कोटे के रूप में 25,000 मीटरी टन निर्मुक्त की गई अतिरिक्त लेवी चोनी का संबंध है, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम स वितरण करने के बारे में उपयुक्त व्यवस्था करें। इसके अलावा दिसम्बर, 1977 से राज्यों के लेवी चीनी के आबंटन को पहले सामान्य रूप से किए जा रहे 2.05 लाख मीटरी टन के आबंटन से पर्याप्त बढ़ाकर 2.71 लाख मीटरी टन कर दिया गया है।

4. इन सभी पगों को उठाने के फलस्वरूप, देश की प्रमुख मंडियो में नवम्बर, 1977 के अन्त को गत वर्ष चल रहे मूल्यों की तुलना में थोक मूल्य 75 रु० से 110 रु० प्रति क्विंटल तक गिर गए और खुदरा स्तर पर ये मूल्य लगभग 0.80 से 1.20 रु० प्रति किलो तक नीचे गिर गए।

श्री के० ए० राजन : समाचार-पत्र की खबर के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की कई मिलों ने निर्मुक्त बिक्री चीनी के अपने अक्तूबर के निर्मुक्ति कोटे को व्यपगत होने दिया जिसके कारण कृत्रिम कमी हो गई और यह सोचकर कि चीनी के नियंत्रण हट जायेगा, मिलों ने अब चीनी के मूल्य गिरने लगे तो चीनी की बिक्री करने से इन्कार कर दिया। विवरण में यह नहीं बताया गया है कि इस कृत्रिम कमी के लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इन फैक्ट्रियों को चेतावनी दे दी गई है। बहुत सी गलतियां सरकारी चीनो फैक्टरियों की ही थी। समाचार में जिस संकट का उल्लेख है वह वास्तव में कोई संकट नही है और कुल निर्मुक्तियों को देखते हुए गलतियां मामूली ही है। वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में अक्तूबर/नबम्बर, 1977 में निर्मुक्तियां सबसे अधिक रही है। गलतियों के बावजूद, गत पांच वर्षो में इन दोनों महोनों के दौरान चोनी बाजार में सबसे अधिक आई हैं।

श्री के० ए० राजन : गलती गलती ही है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र की हो या गैर-सरकारी क्षेत्र की। इसके अलावा, गलती सहकारी क्षेत्र में है। जो लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह : उत्तर प्रदेश की ये फैक्टरियां सहकारी फैक्टरियां नहीं है बल्कि इन्हें चीनी निगम, जो कि राज्य का उपक्रम है, चला रहा है। हमने राज्य सरकार को लिखा है कि वह इन फैक्टरियों से कहें कि वे अपना आजरण सुधारें। सरकारी क्षेत्र में बहुत गलतियां हो रही है ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : क्या मंत्री महोदय जानते है कि चीनी खुले बाजार में 425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है और यदि हां तो इसे रोकने और मूल्यों को निश्चित करने के लिए वह क्या कार्यवाही करने का विचार रखते है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : आज के अखबार में चीनी का मूल 400 रुपये से 420 रुपये और 390 रुपये से 400 रुपये है । अतः मूल्य गिर रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi: Government have magnanimously released a large quantity of sugar in the free market. In our country, certain sugar magnets purchase sugar from free market and sell it in the wholesale market and thus create an artificial scarcity in the country, and increase the prices of sugar artificially. Do the Government contemplate to take certain steps to control this tendency ?

Shri Bhanu Pratap Singh : We have no much information. Actually prices are falling. Therefore, no sugar magnate will like to hoard sugar when the prices are going downwards.

Shri Ramdhan Shastri: When Government has sufficient stock of sugar and when Government desires that the consumption of sugar should increase in the country, then what is prevailing the Government from decontrolling sugar so that more and more people may be able to purchase sugar?

Shri Bhanu Pratap Singh : Now people get levy sugar @ Rs. 2.15 per kilogram and if the sugar is made available in free market, it will at least cost them Rs. 3/- per kg., which means that people will have to pay 85 paise more for every kg. This will cause resentment amongst a big section of the people. Besides, if prices are allowed to fall upto Rs. 3/- per kg. then our Khandsari industry will receive a setback and it will not be viable.

'कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम' की सफलता

*266. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में 'कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम' को कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) क्या सरकार अब तक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को नया रूप देना आवश्यक समझती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) यद्यपि 'कार्य के लिए भोजन' योजना पहली अप्रैल, 1977 से शुरू की गई थी, फिर भी, इसमें बहुत सी प्रतिबंधक शर्तें थीं जिसके कारण लागू करने में कठिनाई हुई। इनमें से बहुत से प्रतिबंध हटा दिए गए है और राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को

ध्यान में रखते हुए योजना में पर्याप्त परिवर्तन किया गया है। तथापि, यह केवल पिछले माह के अंत में ही किया गया है। अतः योजना की सफलता का मूल्यांकन इतनी जल्दी करना संभव नहीं है।

(ख) इस योजना को नया रूप दिया जा चुका है ताकि इसे राज्य सरकारों के लिए अधिक स्वीकार्य तथा चालू करने के लिए आसान बनाया जा सके।

श्री चित बसु : इस कार्यक्रम में केवल पांच राज्यों अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ही रुचि दिखाई है। किन्तु अन्य राज्यो के गांवो में भी बेरोजगारी की समस्या है और उन्हें भी इस कार्यक्रम की जरुरत है। कृपया मंत्री जी बतायें कि वे प्रतिबन्धक खंड कौन से है जिनमें संशोधन किया गया है, और ये संशोधन किस प्रकार किये गये और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों में मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी या उसका एक भाग देने के लिये खाद्यानों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर निर्माण योजना उन चार महीनों में चलाई जा सकती है जब खेती कम होती है और उन क्षेत्रों में चलाई जा सकती है जहां सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करना है। सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये है। चालू योजना और अन्य योजनाओं, पूंजी कार्यों की नई मदों, सार्वजनिक निर्माण कार्यो के रखरखाव और बाढ़ों सम्बन्धी कार्यों के लिये मजदूरी देने के लिये खाद्यानों का प्रयोग किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी है वहां यह योजना वर्ष भर चलाई जा सकती है। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यानों का प्रयोग ठेकेदारो के अधीन काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी देने के लिये किया जा सकता है बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाये कि ठेकेदार अपने खाते ठीक प्रकार से रखे और खाद्यानों का दुरुपयोग न करें। राज्य सरकारें स्वेच्छिक संगठनो के माध्यम से कार्य परियोजना पूरी कर सकती है। ये सभी संशोधन किये गये है जिनके कारण राज्य सरकारों ने काफी रूचि दिखाई है। ऐसी बात नहीं है कि केवल चार या पांच राज्यों ने ही इस योजना में रुचि दिखाई है। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस योजना में काफी रुचि दिखाई है।

इन राज्यों ने आपने प्रस्ताव पेश किये है और हमनेआसाम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को गेहूं देने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों के परामर्श से क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : वास्तव में परिवर्तन हमने ही किये हैं जिनका राज्य सरकारों ने स्वागत किया है। इन परिवर्तनों के बाद योजना काफी लोकप्रिय हो रही है?

श्री चित बसु : हमारे पास 2 करोड़ टन खाद्यान्न आरक्षित है। इस खाद्यान्न को ध्यान में रखकर क्या सरकार ग्रामीण जनता को रोजगार देने के लिये कोई योजना चलायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है इसका खाद्यानों की इस योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चित्त बसु : दो करोड़ टन खाद्यान्न सरकार के बफर स्टाक में पड़ा हुआ है । तो क्या सरकार उपलब्ध खाद्यान्न के आधार पर गावों के लोगों को रोजगार दिलाने के लिये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आपका सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Brij Bhushan Tiwari : May I know the value for the wheat asked for by the Uttar Pradesh Government and the value of the quantity of wheat made available to that Government? Has the U. P. Government sent their schemes to the Central Government?

Shri Bhanu Pratap Singh : The U.P. Government has sent their schemes. That Government has asked for 1,66,000 tonnes of wheat, and 22,000 tonnes of wheat has been released to them. More wheat will be sent to them in second and third instalments.

श्री दासर पुनैय्या : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कुएं खोदने के कार्यक्रम सहित इस कार्यक्रम को भी आरम्भ किया जा सकता है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : इसका उपयोग बड़े, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के लिये किया जा सकता है। कुएं खोदने का काम लघु सिंचाई के अधीन आता है । अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितना अनाज अलाट किया गया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों की कुल संख्या क्या है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह योजना हमारे स्टाक को कम करने के लिये ही नहीं आरम्भ की गई, स्थिति ऐसी नहीं कि हमें कुछ बेकार फैंकना पड़े । दूसरे, यह रोजगार देने के लिये ही नहीं हैं अपितु यह योजना राज्यों को विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त संसाधन देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है । मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश ने 1,000 टन की भांग की है । अभी तक उसे कुछ अलाट नहीं किया गया। आसाम ने 30,000 टन की मांग की जबकि उसे 7,500 टन आबंटित किया गया । बिहार ने 1 लाख टन की मांग की और उसे 10,000 टन अलाट किया गया । गुजरात ने माइलो के लिये मांग की है जो हमारे पास नहीं है । अतः उसे कुछ नहीं दिया गया। हरियाणा ने 11,000 टन की मांग की, उसे भी अभी तक कुछ नहीं दिया गया; कर्नाटक की मांग 4,571 टन जबकि उसे 1,000 टन दिया गया । केरल ने 3,000 टन की मांग की परन्तु अभी तक उसे कुछ नहीं मिला । महाराष्ट्र ने 4,800 टन के लिये मांग की जबकि उसे 1,200 टन सप्लाई किया गया; हिमाचल प्रदेश ने 2,758 टन की मांग की जबकि 940 टन अलाट किया गया ; उड़ीसा ने 78,625 टन की मांग की जबकि उसे 10,000 टन अलाट किया गया; राजस्थान ने 11,894 टन की मांग की

परन्तु अभी तक उसे कुछ नहीं दिया गया ; उत्तर प्रदेश ने 1.66 लाख टन की मांग की जबकि उसे 22,000 टन की सप्लाई की गई और पश्चिम बंगाल ने 78,227 टन की मांग और उसे 21,000 टन अलाट किया गया ।

Shri Phirangi Prasad Visharad : I want to know whether the U.P. Government have asked for some additional stock of wheat from the Centre for the development of Agricultural Market Societies or it is included in the 1.66 lakh tonne already asked for by them?

Shri Bhanu Pratap Singh : They have already got some amount for the development of markets. Certain amount in cash is needed for building roads and it is being given by the Agricultural Markets in Uttar Pradesh and the remaining expenditure pertaining to foodgrains can be saved. There is a proposal to build 3,000 kms pucca roads in Uttar Pradesh under both the schemes.

श्री सी० एन० विश्वनाथन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में 12 राज्यों का उल्लेख किया परन्तु उन्होंने तमिलनाडु और पाण्डिचेरी के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु और पांडिचेरी भी शामिल किये जायेंगे और कार्यक्रम को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? तमिलनाडु और पांडिचेरी को छोड़ने के क्या कारण हैं और उन्हें कितनी मात्रा सप्लाई की जायेगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह : हमने नई योजना के बारे में मुख्य मंत्रियों को लिखा है और उनसे उनकी मांग के बारे में पूछा है । हमने केवल उन राज्यों के, जिनसे मांग प्राप्त हुई है, बारे में नियतन किया है । हम तमिल नाडु से किसी भी योजना का स्वागत करेंगे परन्तु अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

Setting up of Planetarium in Delhi

†*267. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider setting up a Planetarium in Delhi to acquaint the students and the masses of Delhi and neighbouring States with astrology and astronomy.

(b) if so, the time by which it is proposed to be set up; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No such proposal is under consideration in the Ministry of Education and Social Welfare.

(b) & (c) Do not arise.

Shri O. P. Tyagi : Whether no such proposal is under consideration of Government.

Dr. Pratap Chandra Chunder : Yes Sir, no such proposal is under consideration.

Shri O. P. Tyagi : It is essential to set up a Planetarium to acquaint the students with astrology and astronomy. It has been proved from the experience gained at Calcutta and Bombay that not only students were benefited

there but the common people also get benefit from it and the income earned from the sale of tickets is much more that the expenditure incurred on it. I want to know why such a beneficial proposal is not under consideration of Government?

Dr. P. C. Chunder: So far no such proposal has come. It is good proposal but it involves huge expenditure.

The University Grants Commission tried to build an observatory Tower in Physics and Chemistry Blocks in Delhi and a tower has already been built and the Delhi University is not utilising it at present. The Observatory Tower can be utilised to educate students.

Shri O. P. Tyagi: I had stated that setting up a planetarium is essential to educate students whereas you are building an Observatory Tower here but it is not of much use. Common people will also be able to see it. Government will get revenue out of sale of tickets. May I know the reasons for which Government are not considering such a project?

Dr. P. C. Chunder: For the time being we are not building it.

डा० कर्ण सिंह : यह बड़ी विचित्र बात है कि हमारी राजधानी में कोई ताराघर नहीं है। बम्बई में नेहरु ताराघर है और कलकत्ता में भी एक ताराघर है। आब्जरवेटरी बनाना और टेलीस्कोप के माध्यम से तारों को देखना एक अलग बात है। ताराघर न केवल छात्रों को शिक्षा के लिये अपितु जनता की शिक्षा के लिये निहायत जरुरी है। अतः मेरा सुझाव है कि यदि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत नहीं है तो कोई और एजेन्सी यहां एक ताराघर की स्थापना करे ताकि हम इससे लाभ उठा सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा सुझाव है जिसपर कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लोग विश्व के विभिन्न भागों से अध्ययन करने के लिये आते हैं। बहुत से छात्र अन्य राज्यों से यहां अध्ययन दौरों पर आते हैं। मंत्री जी का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

दूसरे इसका सम्बन्ध ज्योतिष और खगोल विज्ञान से है और कई राजनीतिज्ञों का ज्योतिष विद्या से सम्बन्ध है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: जहां तक मैं जानता हूं कलकता का ताराघर प्राइवेट रुप से बनाया गया था और एक जाने-माने औद्योगिक गृहने इसका वित्तपोषण किया था और यही इसके प्रबन्ध की देखभाल कर रहा है। बम्बई ताराघर कैसे बन रहा है इसका मुझे पता नहीं। यदि कोई प्राइवेट उद्योगपति या कोई और निकाय ताराघर बनाने के लिये तैयार है तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसा प्रस्ताव आता है तो भूमि के लिये मैं अपने साथी से कहूंगा।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : क्या यह सच है कि उत्तर भारत में बहुत से ताराघर स्थापित किये गये है जबकि समूचे दक्षिण भारत के लिये विजयवाडा में केवल एक ताराघर स्थापित

किया गया है; यदि हां, तो क्या सरकार सभी राज्यों की राजधानियो में, जैसे हैदराबाद, बंगलोर, मद्रास आदि में ताराघर स्थापित करने का विचार कर रही है ताकि छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों को खगोल विज्ञान तथा ज्योतिष में शिक्षा दी जा सके?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Dwarikanath Tiwari: The Hon. Minister has just now said that students read under the trees and it is difficult to build planetorium. It is a very strange thing.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह प्राथमिकता का प्रश्न है। मैंने यह नहीं कहा कि लैबारेटरी महत्वपूर्ण नहीं है ।

Proposal to supply Wheat and Sugar through Super Bazars and Janata Shops

*268. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether wheat and sugar are being sold in the market at the rate of Rs. 150/- and Rs. 430/- per quintal respectively whereas there is no further storage capacity in the Government godowns and the sugar mills have again started functioning; and

(b) if so, whether Government propose to fix the prices of wheat and sugar and supply them through Super Bazars and Janata Shops as has been done in the case of pulses; if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) According to the information available as on 24-11-1977, the wholesale prices of wheat generally ruled below Rs. 150/- per quintal except in Maharashtra and parts of Gujarat and Madhya Pradesh where the higher price is mostly for superior variety. Similarly, the wholesale prices of sugar also generally ruled below Rs. 430/- per quintal.

(b) Wheat and sugar are supplied through Fair Price Shops at fixed prices, the ex-FCI depot price of wheat supplied to the State Governments from the Central Pool being Rs. 125/- per quintal and the consumer price of levy sugar being Rs. 2.15 per Kg. In the context of sizeable buffer stock available with the Government, the States have been advised to step up releases of wheat through the Public Distribution System and to meet the full consumer requirements.

In view of the ability of Government to meet the full requirements of wheat of the consumers through the system of fair price shops, and in view of the larger distribution of levy sugar from December, 1977 onwards and releases of larger quantities of levy free sugar in order to influence open market prices, it is not considered necessary to resort to fixation of maximum prices. The Super Bazars and Janata shops are, however, free to trade in these commodities.

Shri Daya Ram Shakya: The Hon. Minister has stated that as on 24th November, 1977 the wholesale prices of wheat and sugar were below Rs. 150/- and Rs. 430/- per quintal respectively. But the fact is that in North India, where consumption of wheat is the highest, the wholesale prices of wheat

were found to be much higher that Rs. 150/- per quintal and these are higher at present also. Similar is the position in respect of sugar. May I know the present actual prices of wheat and sugar in North India?

Foodgrains are not produced in most of the suburbs and people have to purchase foodgrains from markets as foodgrains are not supplied through levy system or fair price shops. Whether Government propose to supply foodgrains to people living in suburban towns through fair price shops?

Shri Bhanu Pratap Singh : The prices of wheat prevalent in major markets of U.P. as on 24th November, 1977 where as under:—

Chandausi : Rs. 120/-

Allahabad : Rs. 130/-

Banda : Rs. 145/-

Kanpur: Rs. 132/-

Saharanpur : Rs. 126/-.

Itawah : Rs. 128/-

Sultanpur : Rs. 130/-

Babraich : Rs. 120/-

Kalpi : Rs. 126/-

It proves that nowhere in U.P. the prices were above Rs. 150/-.

We do write to State Governments to open more and more fair price shops according to need. We have no difficulty in supplying to them as much quantity of foodgrains as they demand.

Shri Daya Ram Shakya : Complaints are being received that dual price policy for sugar has not proved a success. The distribution of sugar through fair price shops in rural areas is not satisfactory. Complaints have been received that sugar is not being sold at fixed price and entire quota of sugar is sold in open market. Whether Government propose to end this dual price policy and ensure supply of sugar to people at reasonable price?

Shri Bhanu Pratap Singh : It is true that distribution of levy sugar in rural areas in States other than Punjab, Haryana, Gujarat and Kerala is not satisfactory. Distribution of sugar in rural areas in these four states is satisfactory but rural people in other states get less quantity of sugar. Keeping in view this fact it has been decided to supply equal quantiy. If sugar in rural and urban areas and to raise the quota of levy sugar. We have written to state Governments to ensure equal distribution of sugar in rural areas. If they fail to do so, they will not be given additional quota of sugar. But the Ministers of all the states have informed that they have already made arrangements for distribution and they be given additional quota for distribution in rural areas. The additional quota is going to be released in December. It has not reached districts so far. We should not draw the conclusion that State Governments will not succeed in this. If distribution of sugar in rural areas of four states can be satisfactory, there is no reason that it cannot be satisfactory in other states.

Shri Bhanu Kumar Shastri: The Hon. Minister has stated that wheat is being distributed in cities and villages. May I know whether he will get examined the wheat supplied from Fair Price Shops and ensure supply of wheat fit to be consumed by human beings? The wheat supplied in villages is not fit to be consumed even by cattle. Whether the hon. Minister ensure minimum supply of one kg. of sugar instead of 300 grams?

Shri Bhanu Pratap Singh: So far as distribution of sugar is concerned, I have just stated that the new scheme is going to be implemented. I admit that the previous scheme proved a failure. Distribution of sugar in States other than those four states mentioned by me, was not satisfactory. Quota of sugar has just been released. It has not so far reached State Governments. We should keep patience. It is also the duty of M.Ps. to urge upon State Governments to ensure proper distribution.

Shri Surendra Vikram: The Hon. Minister has just now stated that it is the duty of M.Ps. to urge upon State Governments to ensure proper distribution. I want to know whether the Central Government is not competent to urge upon State Governments. At least the Centre can do so where Janata Party Governments are in power.

There is huge bungling in the distribution of sugar. In Uttar Pradesh the quantum of sugar supplied in urban areas is more and in rural areas it is less. This distribution should be removed. May I know the details of the distribution system in the four states, where it is satisfactocry, so that we can also talk about it with our officers.

Shri Bhanu Pratap Singh: Under the new system it is proposed to supply 425 grams of sugar per head per month in rural and urban areas and quantum of sugar has been allotted to states accordingly.

So far as discrimination in the quantity of sugar supplied in rural and urban areas is concerned, I have stated that equal quantum of sugar will be supplied to people living in rural and urban areas.

Under the new system, ration cards are being issued in Uttar Pradesh.

Scientific methods of Agriculture for Economic Development of Farmers

*269. **Shri Raj Keshar Singh:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the schemes undertaken to introduce scientific methods in agriculture for the economic development of farmers, particularly the small farmers in the country; and

(b) the extent to which the standard of living has improved because of these schemes during all the Five Year Plans?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Ever since the initiation of the First Five Year Plan in 1951-52, sustained efforts to introduce scientific methods in agriculture have been under way. During the fifties, the approach to agricultural development consisted

mainly in formulating general programmes of development for the creation of additional facilities such as, irrigation, soil conservation, land reclamation and development, and measures for increased distribution of material inputs such as fertilisers, improved seeds etc. In the late fiftees, it was decided that greater emphasis should be given to the development of scientific and progressive agriculture in an intensified manner in areas endowed with irrigation and assured rainfall. In accordance with this approach, an Intensive Agricultural District Programme (IADP) was taken up from 1960-61 and it was gradually extended to 18 districts by 1967-68. The IADP is based on Package Programme Approach implying simultaneous attention to the use of quality seeds, adequate doses of fertilisers and adoption of plant protection measures in the areas which are capable of giving quickest returns in terms of increased production. In view of the encouraging results obtained, the Package Programme Approach adopted in the IADP was extended, in a modified form, to a much larger number of districts.

In the light of the break-through made in evolving high-yielding varieties of seeds, a New Strategy for Agricultural Development was formulated and put into action from 1966-67 for securing substantial increases in production. The New Strategy lays stress on the increasing use of science and technology in raising agricultural productivity. The principal ingredients of this New Strategy are : cultivation of new high-yielding varieties of seeds; development of multiple cropping; development of irrigation for intensive cultivation; soil and water management; adoption of package of practices including high-yielding seeds, optimum quantities of fertilisers and pest control measures; emphasis on research and its application; farmers' training & education; and development of infrastructure of credit, marketing, distribution system for supply of inputs etc. Various programmes have been under implementation in pursuance of this Strategy. Besides All-India Coordinated Research Projects have been undertaken for food-crops, commercial crops, horticultural crops, soil & water management, agronomy and agricultural engineering, animal sciences and fisheries. Most of these programmes are basically production-oriented and the small/marginal farmers also derive benefits from them.

With a view to enabling the weaker sections of the rural population to participate in the benefits of economic growth in the rural areas through the spread of new technology, two separate Agencies, one for the development of Small Farmers (SFDA) and the other for the development of Marginal Farmers and Agricultural Labourers (MFAL), were undertaken during the Fourth Plan period. The SFDA projects were taken up in 46 selected areas and MFAL in 41 areas. During the Fifth Plan period, these projects have been made composite, each catering to the small and marginal farmers and agricultural labourers and their number has been increased to 160 including the on-going ones. The programmes for improved agriculture include land development, soil conservation, minor irrigation, horticulture, demonstration and introduction of new and improved varieties and cropping patterns, while those for subsidiary occupations include dairy, poultry, piggery, sheep and goat rearing and also fisheries. The main emphasis in the projects is on crop husbandry.

(b) It is difficult to precisely quantify the extent to which the standard of living has improved due to the implementation of agricultural development programmes. However, as a result of the implementation of various development programmes in the agriculture sector, agricultural production has increased as below:

(Base: Triennium ending 1961-62=100)

Index Numbers of Agricultural Production

1950-51	68.9
1955-56	84.4
1960-61	102.7
1964-65	115.0
*1965-66	95.8
1968-69	114.8
1973-74	133.3
1975-76	148.6

The contribution of agriculture to the net national product at factor cost (at 1960-61 prices) has increased from Rs. 4936 crores in 1950-51 to Rs. 8712 crores in 1975-76. The figures for different Plan periods are given below :

Contribution of agriculture to the net national product at factor cost

(*at* 1960-61 *prices*)

	(in Rs. crores)
1950-51	4936
1955-56	5699
1960-61	6580
1964-65	7224
1965-66	6148
1968-69	7155
1973-74	8042
1974-75	7699
1975-76	8712 (provisional)

Shri Ram Keshar Singh : Will the Hon. Minister be pleased to state the statewise number of farmers who have been benefitted by this scheme, and the acreage of land held by a farmer to be classed as a small farmer.

Shri Surjit Singh Barnala: I cannot give the figures as I have not got the statistics. A small farmer should have only three acres of land.

Shri Ram Keshar Singh: Can you get them and lay them on the table of the House.

Shri Surjit Singh Barnala: We cannot get the statistics.

Shri Ram Keshar Singh : Whether Government gives any subsidy to these farmers for employing scientific methods if so how much and if not is the Government contemplating to give any such subsidy in future.

Shri Surjit Singh Barnala : No subsidy is being given for employing

*The production in 1965-66 declined steeply due to severe drought conditions that prevailed over large parts of the country.

scientific methods. There are many schemes for the benefit of farmers. This is a package of practice under which only facilities are provided and no monetary help is given.

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या सरकार उन विभिन्न योजनाओं से संतुष्ट है जिनका उल्लेख विवरण में किया गया है। क्या सरकार का कृषि के विकास के लिए कोई अन्य योजना भी बनाने का विचार है। इस वर्ष कृषि उत्पादन का क्या लक्ष्य है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस वर्ष कृषि उत्पादन का लक्ष्य 118 मिलियन टन है। जहां तक इस योजना के कार्यकरण का संबंध है हम इस विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण से पूरी तरह संतुष्ट है लेकिन कार्यकरण में सुधार के लिए हम अधिकाधिक उपाय कर रहे है। फिलहाल अभी कोई नई योजना चालू करने का हमारा कोई विचार नहीं है।

Shri Lalji Bhai : The Government has formulated many schemes for the benefit of small farmers and one of the scheme is that no revenue shall be charged from farmer holding land upto 10 Bigahas. I want to know when the remission of land revenue will take effect. What other facilities are to be provided under such schemes.

Shri Surjit Singh Barnala : As far the question of levy of land revenue is concerned we are unable to lay guidelines as each state is adopting its own measures according to the circumstances prevailing in each state.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे वैज्ञानिक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं छोटे किसानों को सहायता दिए बिना इन योजनाओं को वे कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सहायता कई रूपों में दी जा रही है।

छठी योजना के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम

*273. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम छठी योजना के दौरान भी चलता रहेगा।

(ख) क्या व्यय की जाने वाली राशि में छठी योजना के दौरान वृद्धि किये जाने की आशा है; और

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में भू-जल स्रोत विकसित करने तथा उन्हें प्रयोग में लाने के कार्य पर राशि व्यय की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, कार्यक्रम में स्वत: आवश्यक समझे गऐ संशोधनों और समन्वित ग्राम विकास की नई पहुंच द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के अधीन रहते हुए।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, भूगत जल विकास पर उत्तरोतर बल को ध्यान में रखते हुए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मैं यह बताना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया जा रहा है वहां छोटे किसानों के विकास के कार्यक्रम को क्यों नहीं क्रियान्वित किया जा रहा।

श्री भानु प्रताप सिंह: यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इसीलिए मैंने कहा है कि समेकित ग्रामीण विकास के नए दृष्टिकोण के अंतर्गत जो परिवर्तन आवश्यक समझे जाएंगे हम उन्हें करेंगे।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम समूचे क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है जबकि छोटे किसानों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक किसान को सहायता दी जाती है। अतः क्षेत्र कार्यक्रम में संभाव्यता का निर्माण होगा और जबतक छोटे किसानों और खेतिहरों को सहायता नहीं दी जाती तब तक वे निर्मित संभाव्यता का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह: नए दृष्टीकोण के अंतर्गत नए उद्योगों को शामिल किया जाएगा और स्वनियोजन कार्यक्रम अपनाया जाएगा।

Shri Harikesh Bhadur: Each year there is a terrible drought whereby the farmers suffer a lot. Is the hon. Minister for Agriculture considering any plan for giving priority to matters of irrigation.

Shri Bhanu Pratap Singh: The Government is committed for giving top priority to irrigation. For your information, I may tell you that as against 23 million hectares in 1950-51, 46 million hectares land was irrigated the last year. During the last 25 years there has been increase of only 23 million hectares of irrigated land while in the next 5 year plan 17 million hectares land are to be brought under irrigation.

Shri Ramji Singh: Will the Hon. Minister be pleased to state the total area of land affected by droughts. As you have said you are going to tap underground water resources. I want that reboring should be undertaken where it is necessary. Will you be pleased to direct the Geological survey of India to survey the affected areas and if there are rocks underneath will you arrange for adequate reboring.

Shri Bhanu Pratap Singh: Our aim is to bring maximum area of land under irrigation but the cost involved in doing so is also to be taken into consideration where the cost of digging out water after breaking rocks underground is enormous. Taking into account the cost of test boring we will try to provide maximum irrigation facilities.

श्री ननजेश गौडा: रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं हैं चाहे वह डी०पी०ए०पी० हो अथवा एस० एफ० डी० पी० इन सभी वर्षों के दौरान योजनाएं राज्य सरकारों को अथवा कुछ अधिकारियों को सौंपी जाती रही हैं और हमने देखा है कि यह योजनाएं किस प्रकार असफल हुई है क्या मंत्री महोदय इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मवारी राज्य सरकार के परामर्श द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर रखेंगे जोकि एक निश्चित अवधि के भीतर उसे पूरा करे और ताकि हमें भी पता लगे कि कुछ प्रगति हुई है। क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दगे।

श्री भानु प्रताप सिंह : ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में कुछ थोड़ा बहुत भ्रम हो सकता है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ही देश खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो कार्यक्रम लागू किए जाते है उनका उद्देश्य रोजगार प्रदान करना तथा कुछ अन्य विकासीय कार्यो को बढ़ावा देना होता है। लेकिन यदि हम वास्तव में सुखा ग्रस्त क्षेत्रो का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें शुष्क खेती की तकनीक को लागू करना होगा । मै यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई संगठित प्रयास किए गए है और क्या कोई नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । क्या नए वैज्ञानिक अनुसंधानों को लागू किया जा रहा है और क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों में शुष्क खेती की तकनीक को भी शामिल किया जाएगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह : जी हां । यह भी कार्यक्रम का एक अंग होगा। जैसाकि मैंने पहले बताया हमारी योजना डी० पी० ए० पी०, एस० एफ० डो० ए० और सी० ए० डो० कार्यक्रमों को अलग-अलग न रख कर अच्छे परिणामों हेतु उन्हें समेकित करने की है ।

Shri Yamuna Prasad Shastri : During the last survey certain areas were left out from the drought prone areas for political reasons. Will the hon. Minister also enlist such areas as the drought affected areas so that they may also avail the irrigation facilities for, drought prone areas.

Shri Bhanu Pratap Singh : If the Hon. Members will draw our attention to any such area we will definitely enlist it.

Grants to Sanskrit Colleges by U.G.C.

†*274. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the University Grants Commission does not give any grant to Sanskrit Colleges in various States in the country; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission, Sanskrit Colleges which are included in the list of Colleges under Section 2(f) of the UGC Act, 1956 and which fulfil the conditions prescribed for various schemes are given grants by the Commission.

Shri Y. P. Shastri : Sir, the University Grants Commission has given much less grant to Sanskrit Colleges. There are many sanskrit Colleges in the Country which fulfil all the conditions and standard of teaching is also very high. At the same time Government want to encourage the people to learn this language. So will the hon. Minister instruct the UGC to soften the conditions so that these Colleges are not put to any hardships?

Dr. Pratap Chandra Chunder : We do not discriminate between colleges. From 1975 UGC have been giving grants to eight Sanskrit Colleges. There are two full -fledged Sanskrit Universities—one Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the other K. S. Sanskrit University, Darbhanga. They are also receiving grants.

Shri Y. P. Shastri : What a funny situation is there in the country that only eight Sanskrit Colleges are being given grants? Sanskrit is the most ancient language of the country which can considerably contribute to the national integration. But only eight out of about 250 Sanskrit Colleges are being given grants. In Madhya Pradesh alone there are more than eight Colleges. The condition prescribed by UGC are too stringent. Will he ensure grants to all colleges by UGC without any discrimination?

Dr. Pratap Chandra Chunder : It is not correct to say that no grant is being given for sanskrit. The Department of education gives help for this language. There are certain institutions which receive 75 per cent grant but colleges will have to fulfil conditions for claiming help. I cannot say anything more in this regard.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त । अल्प सूचना प्रश्न लिया जायेगा ।

अल्प सूचना प्रश्न

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : कालेजों और विश्वविद्यालयों के कई हजार अध्यापक रोष प्रकट करने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं क्योंकि उनके लिए 1971 में घोषित वेतन-मान लागू नहीं किये गये हैं ।

डा० वसंत कुमार पंडित : मैंने तारांकित प्रश्न 272 पूछा है जिसे आज भी कार्यवाही में शामिल किया गया है। बैलट में भी आया है। आज मुझे पत्र मिला है कि उसे 16 दिसम्बर के लिए स्थगित किया गया है और कोई कारण नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कृषि मंत्री को सूचना दी है । इसे वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए अंतरित किया गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों की मांगे

अ०सू०प्र० 3. **डा० वसन्त कुमार पंडित** :
श्री सौगत राय :
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री समर गुह :
श्री दिलीप चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने उपकुलपति, प्रत्युकुलपति और दो कालेजों के संकायाध्यक्षों के कार्यालयों को सील कर दिया है ;

(ख) क्या छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन फाइलों को जलाया गया तथा उन दस्तावेजों में हेरफेर किया गया जिन में आपातस्थिति के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों तथा अत्याचारों से सम्बंधित अभिशंसी जानकारी दी हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है और क्या उस का विचार आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिए कोई जांच समिति नियुक्त करने का है ; और

(घ) क्या सरकार ने अध्यापकों तथा छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए अलग से जांच बैठाने का निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में लगभग 30 छात्रों का एक दल 12 नवम्बर 1977 को लगभग प्रातः 10.45 बजे कुलपति के कार्यालय में आया। कुलपति को उनके कार्यालय में न पाकर उन्होंने कुलपति के वैयक्तिक कर्मचारियों को उनका कार्यालय खाली कर देने के लिए कहा और समकुलपति के वैयक्तिक कर्मचारियों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। कालेजों के संकाय-अध्यक्ष (डीन) और छात्र कल्याण संकाय-अध्यक्ष (डीन) जो कि अपने कमरों में थे, से भी उनके कार्यालय खाली करवाए गए और सभी कमरों को छात्रों द्वारा ताले लगा दिये गए । तथापि, 14 नवम्बर, 1977 को रात्रि के लगभग 8.45 बजे लगभग 60 छात्रों का एक अन्य दल विश्वविद्यालय में गया, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा अधिकारी और चौकीदारों पर हावी हो गया और जिन कमरों को ताले लगा दिये गये थे, ताले तोड़ कर उन्हें खोल दिया।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित फाईलों के जलाये जाने और अभिलेखों में हेरफेर करने से सम्बन्धित आरोप के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछताछ कि गई। विश्वविद्यालय ने बताया है कि यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा कुलाध्यक्ष को सम्बोधित अपने अभ्यावेदनों में आपात काल के दौरान प्राधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में लगाए गये अन्य आरोपों के बारे में इस मंत्रालय में जांच की गई है और एक कुलाध्यक्षीय जांच समिति नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

डा० वसंत कुमार पंडित : हमें तो केवल घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। जिस परिस्थिति में तालाबंदी हुई और बाद में विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया तथा विद्यार्थियों ने आन्दोलन शुरु किया उसके पिछे कारण यह है कि प्रो० नुरुल हसन को अतिरिक्त प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आपात

स्थिति के अधीन यह ज्यादती का मामला है। जब हम जेल में थे तो हम पता लगा कि दिल्ली विश्व विद्यालय को पुलिस शिविर बना दिया गया है ओर वहां चौकड़ी का बोलबाला है। तभी निर्वाचन के तुरंत बाद छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों ने अप्रेल, मई, सिम्तबर और अक्तूबर में मंत्रीजी को अनेक ज्ञापन दिये गये और अन्तिम ज्ञापन नवम्बर में दिया गया उस बारे में इतना विलम्ब क्यों हो गया है। सरकार ने निर्णय क्यों नही लिया कि ज्यादतियों के बारे में कौन-सी शिकायत की है तथा समिति 6 या 7 मास से शिकायत के किस भाग पर विचार कर रही है। यह विचार कब समाप्त होगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं निवेदन कर दूं कि इस मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्यों कि जब मामले पर जांच हो रही थी तब ही मैंने छात्रों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों से स्वयं बात की थी और उनसे तथ्य जानने का प्रयत्न किया था तब हमने सभी लिखित शिकायतें विश्वविद्यालय को भेज दी क्योंकि हम बिना किसी की बात सुने उसे दण्डित नहीं कर सकते। इस बीचमें शाह आयोग गठित किया गया और दिल्ली विश्वविद्यालय परिषद के एक सदस्य द्वारा शाह आयोग को यह मामला भेज दिया गया और अभी आयोग ही उस पर विचार करेगा। अभी यह देख रहे हैं किन शिकायतों का सम्बध विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था से है जिनका आपात स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं। प्रधान मंत्री स्वयं मिसलों तथा अन्य सम्बधित पत्रों को देख रहे हैं।

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उस पर विचार किया जाना कब समाप्त होगा और किस तारीख तक यह समिति नियुक्त की जायेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : शिकायतें बहुत अधिक हैं और बहुत से पत्र देखने हैं। अत: निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यथा सम्भव शीघ्र।

डा० वसंत कुमार पंडित : सत्र की समाप्ति से पूर्व।

अध्यक्ष महोदय : नही नही उस पर विचार होगा।

डा० वसंत कुमार पंडित : 7 मास पहले ही हो चुके हैं। सरकार को पता नहीं चल रहा है कि शाह आयोग कितनी शिकायतों पर विचार करेगा ? यह सत्र की समाप्ति से पूर्व होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यथा सम्भव शीघ्र।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि बहुत से पत्र देखने हैं।

श्री सौगत राय : इस मामले का सम्बन्ध 14 नवम्बर 1977 की घटना से है और उसी समय के आस-पास हमने अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी। इस बीच बहुत कुछ हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में गड़बड़ का सम्बन्ध दिल्ली के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में फैले असंतोष से है। आपात स्थिति के दौरान ज्यादतियों की जांच की आड़ में उपकुलपतियों को हटाने के प्रयास हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में एस०एफ०आई० द्वारा ऐसा ही हो रहा है। यह बड़ी

गम्भीर बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जनसंघ नियंत्रित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यही अभियान चला रखा है। यह शैक्षणिक अत्याचार है। एस० एफ०आई० और ए०बी०वी०पी० आपस में मिल गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सौगत राय : उपकुलपतियों को हटाने के लिए दोनों ने गिरोह बना लिया है। ये दोनों उपकुलपति वैज्ञानिक है। यदि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते तो उनका विरोध न होता। अब उन्हें हटाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ताला लगाने की लड़ाई चल रही है **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री सौगत राय : मैंने कहा है कि उपकुलपतियों को बलपूर्वक हटाने के लिए यह शैक्षणिक अत्याचार हो रहा है। शिक्षाविदों को विश्वविद्यालय से हटाया गया है। फिर कर्मचारियों ने आंदोलन शुरु कर दिया। अब विश्वविद्यालय बंद है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सौगत राय : क्या विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री के आदेश से बंद किया गया है क्योंकि वही सम्बधित पत्र देख रहे हैं। और दूसरे क्या प्रधान मंत्री ने डी०यू०टी०ए० के एक प्रतिनिधि से कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद किया जायेगा? विश्वविद्यालय को खोलने और कर्मचारियों की मांगे तूरंत पूरी करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: विश्वविद्यालय को बन्द करने का निर्णय वहां के अधिकारियों द्वारा लिया गया था। यह एक स्वशासी निकाय है जो स्वयं निर्णय लेता है। कर्मचारियों की मांगों के बारे में स्थिति यह है कि अल्पसंख्यकों की एक संस्था सेंट स्टीफंस कालेज के दो कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। एक को आपात स्थिति से पूर्व तथा दूसरे को आपात स्थिति के बाद उचित अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकाला गया। श्री एस० एम० बनर्जी, भूतपूर्व संसद सदस्य के साथ कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था। तब मैंने सेंट स्टीफन कालेज के प्रिंसीपल को बुलाया। उनसे पता चला कि मामले पर विचार के लिए एक नई पुनरीक्षण समिति बनाई गई है उसका एक ही सदस्य होगा जो बम्बई उच्च न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश होगा। हांलाकी पुनरीक्षण का समय समाप्त हो चुका है लेकिन शासी निकाय एक कर्मचारी के सम्बन्ध में आपत्ति दूर करने को तैयार है। शासी निकाय भूतपूर्व न्यायाधिश से भी अनुरोध करे गा कि यह जांच एक मास में पूरी कर ली जाय उन दोनों अधिकारियों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन कर्मचारियों ने यह सुझाव नहीं माना है।

श्री सौगत राय : अन्य मांगों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछा था कि क्या प्रधान मंत्री के आदेश पर विश्वविद्यालय बंद किया गया। आपने यह भी पूछा कि उसे कब खोला जायेगा। मांगों के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा।

श्री सौगत राय : मांगों के बारे में समझौता होने के बाद ही विश्वचिद्यालय खोला जायेगा।

Shri Vijay Kumar Malhotra : 200 teachers & many students were arrested in University of Delhi. Because of their criticism the previous Government had made the campus of this university and other universities as police camps. Many atrocities were committed. The cases are being inquired into. All this started with the appointment of Shri Nurul Hassan. There is a demand for enquiry into this matter also. The visitor signed on the 3rd October and on 4th October he was appointed. His lien was maintained in the university while he was a Central Minister and he was told that he need not come to the university. He was appointed in the university on the next day on which he was defeated in the elections. This is the biggest affair of political corruption and interference in the autonomy of the university. In this way many people were appointed violating all the rules and relaxing qualifications.

The hon. Minister has said that visitors enquiry is under consideration and that the Prime Minister had assured DUTA and other student bodies that he is holding an enquiry into it. But I will say that two enquiries can not continue side by side on the one side. Such commission is there and on the other Prime Minister himself is enquiring into the University Affairs. But where should people send their complaints into which the Prime Minister is holding an enquiry. Secondly I want to know the procedure of enquiry.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : तथ्यों का जहां तक सम्बध है मैं पूर्णतया सहमत हूं कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत गड़बड़ हुई थी। बहुत जो ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहियें थी। जहां तक विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी शिकायतों का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री निश्चय ही जांच कर रहे हैं। सदस्य महोदय को स्वयं प्रधान मंत्री से आश्वासन मिला है। प्रधान मंत्री द्वारा जांच पूरी कर लेने के बाद यदि कोई मामला हुआ तो विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। हो सकता है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी प्रधान मंत्री केअनुदेशों का पालन करने लगें। यदि वे ऐसा करने से इनकार करेंगे तो फिर से विजीटर द्वारा जांच, जिस के माध्यम से विश्वविद्यालय भी कुछ कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, कराई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रधान मंत्री को भेजे गये पत्रों कि पहले ही बहुत भारी संख्या है। यदि इन पत्रों के द्वारा किसी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे शिकायतें भी प्रधान मंत्री के कार्यालय में सीधे भेजी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या जांच अनौपचारिक होगी ?

श्री विजयकुमार मल्होत्रा : मेरे प्रश्न का आप कैसे उत्तर दे सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नही कह रहा हूं कि क्या यह अनौपचारिक होगी अथवा नहीं। मैं तो उनसे यह प्रश्न कर रहा हूं कि क्या यह अनौपचारिक जांच होगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : विजीटर द्वारा कोई कदम उठाये जाने से पहले सरकार को प्रारम्भिक जांच करानी होगी। यहां तक जांच औपचारिक मानी जायेगी क्योंकि प्रधान मंत्री सरकार का एक अंग है।

श्री समर गुहा : इस उत्तर से मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, ये दोनों ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं

कि शिक्षा मंत्री ने प्रधान मंत्री को जांच करने की अनुमति देकर अपने अधिकारो को क्यों त्यागा है जबकि अनेक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यें दोनों विश्वविद्यालय बन्द हैं और संकट व्याप्त है और इसीलिए इन सभी मामलों का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामले में तो मैं यह मानता हूं क्यों कि वे इसके उपकुलपति है और इसके अन्दरूनी मामलों की भी सीधे जांच कर सकते है। लेकिन जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है वह इसके उप कुलपति नहीं हैं। विजीटर की ही जांच करनी चाहिए, भले ही वह जांच औपचारिक हो या अनौपचारिक अथवा प्राथमिक हो। यदि पहली जांच अनौपचारिक है तो फिर विजीटर ज़ांच करेगा और छात्र पढ़ना छोड़ देंगे और विश्वविद्यालय फिर अनिश्चितकाल तक के लिए बन्द करा दिए जायेंगे। शिक्षा मंत्री तो स्वयं शिक्षाशास्त्री है और वह इस बात को समझ सकते है। अत: उन्हें यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यदि सरकार ने अनौपचारिक रूप से जांच की है तो औपचारिक प्रक्रिया क्या है। शिकायतें कैसे प्राप्त की जायेगी। क्या शिकायत कर्ताओं को अपने मामलों पर तर्क देने की अनुमति दो जायेगी और यह प्राथमिक जांच कब तक पूरी होगी तथा विजीटर कब तक जांच आरम्भ करेगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : वह इस सदन के अनुभवी सदस्य हैं और उन्हें यह जानना चाहिए कि इस विशेष मामले में शिक्षा मंत्री के अधिकारों के परित्याग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि प्रधान मंत्री को जो सरकार के मुखिया हैं, किसी भी मंत्रालय के कार्यकलापों को देखने का पूरा अधिकार है, और वह यही कार्य कर रहे हैं।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी है तथा प्राथमिक जांच करनी है। प्रधान मंत्री वास्तव में इस मामलों की जांच कर रहे है और मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी कागज़ात उन्हें ही भेजे जायें। विजीटर के माध्यम से दूसरी जांच कराने का प्रश्न तभी उठेगा यदि विश्वविद्यालय प्रधान मंत्री के निष्कर्षों का पालन न करे और उनमें उसे कोई औचित्य प्रतीत न हो।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला है। मैं वास्तविक प्रक्रिया के बारे में यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता था कि क्या शिकायत कर्ताओं से औपचारिक अभ्यावेदन लेने के अलावा उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति मिलेगी, और जांच कबतक पूरी होगी तथा विजीटर अपनी जांच समिति कब तक नियुक्त करेंगे।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि शिकायत करने वाला व्यक्ति प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है तो वे उनसे भेंट करते हैं।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि यह कबतक पूरा हो जाएगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं यह बताने में असमर्थ हूं। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि बहुत-सी शिकायतें हैं। इस बार विश्वविद्यालय छात्रों की मांग पर बन्द नहीं की गई है। इसे कर्मचारियों को किसी कार्रवाई के कारण बन्द किया गया।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : 13 मई, 1977 को दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने विजीटर को एक विस्तृत ज्ञापन दिया है, जिसकी एक प्रति शिक्षा मंत्री को भी भेजी गई थी। उस ज्ञापन में बताया गया है कि विश्वविद्यालय में आतंक का राज्य था। कोई स्वतंत्रता पूर्वक चर्चा नहीं कर सकता था। शिक्षण परिषद, कार्यकारी परिषद आदि अधिकारियों के अन्याय पूर्ण कार्यों को कानूनी रूप देनेवाली रह गई थी।

विश्वविद्यालय सत्ताधारी दल का खिलौना बन गई थी ।

भूतपूर्व शिक्षा मंत्री प्रो० नुरूल हसन को दिल्ली विश्वविद्यालय में अनियंत्रित नियुक्ति का प्रश्न सदन में कई बार उठाया जा चुका है । क्या सरकार इस प्रकार की बातों की जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी । यह जांच कब की जाएगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में हमनें क्या कदम उठाए हैं और किस प्रकार इस दिशा में बढ़ रहे है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ANSWERS TO WRITTEN QUESTIONS

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत गैर-दिल्लीवासी लोग

*270. **श्री एम० ए० इनान अलहाज :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बाहर रहने वालों ने बड़ी संख्या में दिल्ली विकास प्राधिकरण में रिहायशी फ्लटों के लिए अपने नाम पंजीकृत करवा रखे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नामों को पंजीकृत करने की अनुमति देने के क्या कारण है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली-वासियों की रिहायशी मकानों संबंधी आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारें में बने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विनियमों को बदलने और गैर-दिल्लीवासियों को फ्लैटों के आबंटन पर रोक लगाने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । यह 1971-72 के पंजीकरण वर्ष से इस शर्त पर किया गया था कि यदि आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हुई तो उन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जो दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से रह रहे हों । दिल्ली से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण का पृथक रिकार्ड नहीं रखा गया ।

(ख) दिल्ली से बाहर के बहुत से व्यक्ति दिल्ली में बसना चाहते हैं । यह महसूस किया गया कि सरकार द्वारा दिए गए मकानों के लाभ से उन्हें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए ।

(ग) दिल्ली से बाहर के व्यक्तियों पर पूर्णतया रोक नहीं लगाई जा सकती लेकिन इस वर्ष एक शर्त लगाई गई है कि आवेदक पिछले 5 साल से दिल्ली में अवश्य रह रहा हो और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा सरकारी सांविधिक निकायों के कर्मचारियों के मामले में उन्हें इस बात की घोषणा करनी होगी कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व उन्होंने दिल्ली को अपना मूल निवास स्थान घोषित किया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

*271. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण और भारत में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर पुनर्विचार करने वाली झा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और उन-पर निर्णय लेने के लिए सरकार ने कोई समिति गठित की है ;

(ख) झा समिति की किन मुख्य सिफारिशों पर पुन: विचार किया जा रहा है; और

(ग) इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। रिपोर्ट की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं और प्रत्येक अध्याय के अन्त में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें दे दी गई हैं। समिति द्वारा अपना विचार विमर्श शीघ्र पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

Narmada River Project

*275. **Shri Dharmasingh Bhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Gujarat State Government have made any request in regard to Narmada River Project to the Central Government between 1st August, 1977 to 31st October, 1977;

(b) if so, the details in this regard;

(c) the steps taken by Government thereon; and

(d) whether any meeting of the Irrigation Ministers of Gujarat and Madhya Pradesh was held to discuss the matter; if so, where and when it was held and the outcome thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) The Government of Gujarat in their letter of September 1977 had made a request in connection with the Narmada Project for:

(i) release of foreign exchange for purchase of equipment as advance preparation pending Narmada Tribunal's decision;

(ii) posing Narmada project for World Bank assistance and advance action to arrange a dialogue with the World Bank authorities.

(c) The release of foreign exchange for Narmada project and its posing for World Bank assistance could be considered when the scope of the project is decided after resolving inter-State issues which are, at present, pending before the Tribunal.

(d) The Government of Gujarat have informed that Ministers' level discussions were held between Gujarat and Madhya Pradesh at Gandhinagar on 19th October 1977 and at New Delhi on 26th October and 28th November

1977 to discuss the various issues connected with the use of Narmada waters. These discussions are stated to be of preliminary nature and no decisions have been taken.

Fixation of Hire Purchase Value of D.D.A. Resettlement Colonies

*276. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) names of resettlement colonies of D.D.A. in respect of which hire-purchase value has been fixed; and

(b) the names of the colonies in respect of which action in this regard is in progress?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) & (b) Hire-purchase value has not been fixed in respect of any of the Resettlement Colonies, developed under the Jhuggi and Jhonpri Removal Scheme.

Equitable Distribution of Sugar at Fair Price Shops in the Country

*277. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity of sugar per unit per month supplied at fair price shops to the people of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab and the Union Territory of Chandigarh; and

(b) whether Government propose to ensure equitable distribution of rationed sugar to all the citizens of the country on uniform basis and if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) A statement showing the scale of sugar per unit per month supplied through the fair price shops in Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab and the Union Territory of Chandigarh is placed on the Table of the Sabha.

(b) Yes, Sir. In accordance with the decisions taken by the Government on 27-10-1977, it has been decided to increase the State-wise monthly levy sugar quota to 425 grams per capita as against 300 grams earlier for the estimated population as on 1-7-1975 and the State-wise quotas have accordingly been revised from December, 1977. While doing this, it was not considered desirable to reduce the State quotas where the per capita availability was already higher than 425 grams per month.

State Governments have also been advised to gear up the distribution machinery to ensure distribution at the enhanced levels and also to treat the rural and urban population in a similar manner for the purpose of distribution of levy sugar.

Statement

Statement showing the Scale of Sugar per Unit per Month Supplied at the Fair Price Shops in Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab and the Union Territory of Chandigarh

(As in November, 1977)

Name of State/Union Territory	Scale of Levy Sugar Per Unit Per Month	Remarks
1. Delhi	1 Kg.	Same scale for Urban and Rural areas.
2. Haryana	325 Grams (Revised to 400 Grams from December, 1977).	Same scale for Urban and Rural areas. The quota was raised to 350 gms. in October and 360 gms. in November due to festivals.
3. Uttar Pradesh	1 Kg.	Covering the Rural and Urban areas of Nainital District, Urban areas of Hill districts of Almora, Garhwal, Chamoli, Uttarkashi, Pithoragarh and Tehri Garhwal. Areas covering Municipal Corporations and Municipalities; Police and P. A.C. Mess and Student Hostels; Mill workers residing permanently in the labour colonies established in the Rural areas.
	750 Grams	Covering the Notified Areas.
	500 Grams	Covering the Town Areas; Rual Areas of the Districts of Almora, Garhwal, Chamoli, Uttarkashi, Pithoragarh and Tehri Garhwal.
	1 Kg. per family/ ration card.	Covering rural areas excepting hill districts.
4. Rajasthan	300 grams (Revised to 425 gms. from December, 1977).	Same for Rural and Urban areas.
5. Punjab	350 Grams	Same for Rural and Urban areas. The scales have been raised to 450 gms. per unit for October-December, on ad-hoc basis.
6. Chandigarh	600 Gms.	Same for Rural and Urban areas. In October-November it was raised to 700 Gms. per unit to festivals.

गेहूं की रतुआ रोधक नई किस्म

*278 **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी नई किस्म निकाली है जिस पर रतुआ के सभी प्रकार के ज्ञात रोग न लग सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू रबी के मौसम के दौरान रतुआ के फैलाव को रोकने के लिए इस किस्म का व्यापक प्रयोग किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी हां, श्रीमान्, हमारे कृषि विज्ञानियों द्वारा गेहूं की एक नई किस्म एच०डी० 2135 विकसित की गई है जिनमें कि गेहूँ के तीनों प्रकार के रतुओं की बहुत-सी व्यापक रूप से फैली हुई प्रजातियों की रोधिता है।

(ख) तमिलनाडु की नीलगिरि और पुलने पहाड़ियों में बुआई के लिए एच०डी० 2135 की सिफारिश की गई है। ये क्षेत्र मुख्यत: काला रतुवा और कुछ भूरा रतुवा से भी प्रभावित होते हैं। इस किस्म की बुवाई से रतुवा के आरम्भिक रूप से पैदा होने में कमी आयेगी जो कि बाद में प्रायद्वीपीय और केन्द्रीय भारत में फैलता है।

(ग) भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा रबी 1976-77 के दौरान लगभग 200 क्विंटल एच०डी० 2135 के बीज का संवर्धन किया गया। इस किस्म का पूरा बीज तमिलनाडु सरकार के कृषि विभाग को नीलगिरि और पुलने पहाड़ियों में किसानों में वितरण के लिए भेज दिया गया है ताकि ये उसे 1977-78 की रबी में पैदा कर सकें।

तकनीकी शिक्षा

*279. **श्री सी० एन० विश्वनाथन्:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को नोट किया है कि देश में तकनीकी शिक्षा का सामान्यतया देश के विकास की वास्तविकता से संबंध नहीं हैं; और

(ख) तकनीकी शिक्षा का इस प्रकार नवीकरण करने के लिए गत सात महीनों के दौरान क्य ठोस प्रयास किये गये हैं जिससे उद्यम संबंधी प्रतिभा का विकास हो सके और उसे समाज की आवश्यकताओं के संगत बनाया जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जो तकनीकी शिक्षा पद्धति देश में विकसित की गई है, उससे देश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संख्या तथा दक्षता, दोनों की दृष्टि से प्रशिक्षित जन-शक्ति प्राप्त हुई है। तथापि, पद्धति का सुधार एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में, सरकार ने तकनीकी शिक्षा का एक कार्य दल वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करने तथा सुधारों के उपाय सुझाने हेतु नियुक्त किया है। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि इस कार्य दल में शामिल हैं। इस कार्य दल द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार इस पद्धति में आगे परिवर्तन करने के संबंध में विचार करेगी।

क्रीडा परिषद् का पुनर्गठन

*280. **निर्मल चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय क्रीडा परिषद का पुनर्गठन करने का है और यदि हां, तो कब तक;

(ख) क्या सरकार इस बात को जानती है कि भारत में खेल-कूद की बहुत ही उपेक्षा की जाती है और यदि हां, तो खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि विद्यार्थियों में खेल-कूद में सक्रिय रुचि मिडिल स्कूल स्तर से ही विकसित की जानी चाहिए जिसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्कूल में एक खेल का मैदान होना चाहिए और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अखिल भारतीय खेल परिषद् के पुनर्गठन से सम्बधित कुछ सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ख) खेल-कूद की उपेक्षा नहीं की जा रही है परन्तु इसमें और अधिक सुधार की गुंजाईश है।

(ग) सरकार का विचार है कि छात्रों में सभी स्तरों पर खेल-कूद में सक्रिय रुचि विकसित की जानी चाहिए और इसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग में कमी

281. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों का अनुमानत: कितना भण्डार जमा हो गया है; और

(ग) क्या उर्वरकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी हां।

उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय संचलन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के संचलन करने की व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि देश के विभिन्न भागों में देशी और आयातित दोनों प्रकार के उर्वरकों का न्यायोचित वितरण हो। यह आदेश, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और उर्वरकों के उत्पादकों की उर्वरकों के क्रमबद्ध संचलन और वितरण करने की योजना बनाने में सहायता करता है इस के अतिरिक्त, यह उर्वरकों के संचलनों को युक्तिसंगत बना करके यातायात प्रणाली का भार कम करता है और यातायात में होने वाली देरी को भी कम करता है, जिसके फलस्वरूप भाड़े में बचत होती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में फल परिष्करण समूह

*282. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फल परिष्करण कम्प्लेक्स बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह): (क) जी नहीं। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Encouragement to House Building Activity in the country

*283. **Shri Natverlal B. Parmar** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to treat house building activity as an industry;

(b) whether with a view to encourage house building activities in the country, Government propose to provide financial assistance and give exemption from house tax, concession in income tax on the income from rent and other concessions and amend the urban land ceiling Act; and

(c) if so, the details in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri (Sikander Bakht) : (a) to (c) The suggestions are under consideration of the Government.

उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता

*284. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत शैक्षिक सत्र के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य राज्यों में नवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए उर्दू माध्यम की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में वर्ष 1976-77 के पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान 9 वी तथा 10 वी कक्षाओं के लिए उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तके उपलब्ध नहीं थी। इसका कारण था तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड, जो पाठ्य-पुस्तकों के अनुवाद, सम्पादन, निर्माण तथा वितरण के लिए जिम्मेदार था, की ओर से अत्याधिक विलम्ब। जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकारों का काम है कि वे स्वंय पुस्तके निर्धारित करें और जहां भी आवश्यकता हो उर्दू माध्यम की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायें। एसी पुस्तकों के उपलब्ध न होने से सम्बन्धित सूचना तथा इसके कारण, यदि कोई हों, एकत्रित करने में जितना समय तथा परिश्रम लगेगा परिणाम उसके अनुपात में नहीं होंगे।

(ख) जबकि पाठ्य-पुस्तकों के उर्दू अनुवाद का कार्य तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड में ही होता रहेगा, इससे सम्बन्धित सभी अन्य कार्य जैसे कि सम्पादन, निर्माण तथा वितरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किये जायेंगे ।

Retail prices of Foodgrains and Pulses

2503. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the statistics of the retail price of foodgrains such as wheat, rice, maize, millet, jowar etc. and pluses such as gram, peas, lentil, moong, arhar, urad, moth etc. in the major cities and the markets during the last three years, month-wise?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): Statements containing the available information are laid on the Table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. L.T—1259/77.]**

हिमाचल प्रदेश में ध्वस्त हुए प्रासादों का रख-रखाव

2504. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश में विजयपुर तथा सुजनपुर तिणराव में ध्वस्त हुए ऐसे प्रासादों के रख-रखाव तथा उन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कांगड़ा स्कूल आफ पेंटिग के जनक महाराजा संसार चन्द द्वारा निर्मित महल से संबन्धित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तिरा सुजनपुर में कटोच प्रासाद को पहले ही राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है और इस का रख-रखाव केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

तथापि विजयपुर राजप्रसाद राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे केन्द्रीय संरक्षण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में बहरों तथा नेत्रहीनों के लिए स्कूल तथा समाज-कल्याण संगठन

2505. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1974 से 1977 के दौरान बहरों तथा नेत्रहीनों के स्कूलों के लिये तथा अन्य समाज कल्याण संगठनों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशी का नियतन किया गया;

(ख) क्या खर्च की गई राशि की उचित लेखा-परीक्षा हो रही है, यदि हां, तो क्या उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) क्या सरकार को संबंधित अध्यापकों की ओर से उनकी समस्याओं के बारे में ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) इस प्रयोजन के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं है। समाज कल्याण विभाग अलबत्ता विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनुदान देता है। उड़ीसा में ऐसे दो संगठनों अर्थात् (1) हिन्द कुष्ठ निवारण संघ तथा (2) उड़ीसा राज्य बाल कल्याण परिषद का प्रश्न में उल्लिखित अवधि के दौरान नीचे दिए गए अनुसार अनुदान दिए गए :

वर्ष	धनराशि
	रुपए
1974-75 . .	3,50,000
1975-75 . .	56,375
1976-77 . . .	98,600
जोड़ .	5,04,975

(ख) इन संगठनों को जो अनुदान दिए गए हैं, उनके संबंध में वे समय-समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र भेजते रहते हैं। अब तक हमें किसी अनियमितता का पता नहीं चला है।

(ग) समाज कल्याण विभाग में पिछले एक वर्ष में उड़ीसा के बहरों और नेत्रहीनों के स्कूलों के अध्यापकों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

जनसाधारण के लिये मकानों सम्बन्धी नीति

2506. **श्री आर० के० महालगा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1977 अथवा उसके आसपास बड़ौदा (गुजरात) स्थित आवास शिक्षा कार्यवाही अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से जनसाधारण के लिये मकानों संबंधी नीति के बारे में कोई दस्तावेज प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कार्यवाई कब तक होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस दस्तावज पर परिषद के प्रतिनिधियों के परामर्श से विचार किया गया था तथा परिषद के सुझाव के अनुसार आवास प्रवृत्ति रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक पैनल न बनाने का निर्णय किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आवास हेतु धन राशि का आबंटन

2507. **श्री एस०डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये आवास हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिये ग्राम आवास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) भूमिहीन कृषक श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकानो के लिये भूमि देने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और भावीं कार्यक्रम क्या है; और

(घ) निम्न आय समूह वर्गो के लोगों के लोगो के आवासन के लिये किये गये ठोस उपाय क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है और सभी आवास योजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है । पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आवास के लिए निर्धारित राशि के बारे में और इस समाज के इन वर्गों के लिए ग्रामीण आवास की मौजूदा स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था के लिए योजना का कार्यान्वियन राज्य सरकारो द्वारा किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत को गई प्रगति का एक विवरण संलग्न है ।

(घ) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आवासीय स्थिति में सुधार लाने को दृष्टि से आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) ऐसे आवासीय कार्यक्रम को अपनाना जिसका उद्देश्य 20 वर्ष को अवधि के अन्तर्गत पिछले वर्षों को आवास की कमी पूर्ण करना और जनसंख्या की वृद्धि के कारण हुई मकानों की अतिरिक्त मांग पूरा करना तथा बेकार मकानों के स्थान पर नये मकान बनाना है ।

(ii) सरकारी निधियों को निम्न आय के परिवारों के लिए नियंत्रण करना ताकि इस क्षेत्र को नियतन किए गए साधनों से अधिक से अधिक रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके ।

(iii) बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ।

31-8-77 तक बताई गई स्थिति

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमीहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत हुई वास्तविक प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पात्र परिवारों की कुल संख्या	आवास स्थल आबंटित किए परिवारों की संख्या (इनमें अविकसित स्थल शामिल हैं)	कालम 4 में से विकसित आवास स्थलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश . .	16,00,000@	6,57,000	652
2	असम . . .	2,29,000@	49,056	कोई सूचना नहीं
3	बिहार . . .	19,58,000@@	7,15,000	12,178
4	गुजरात . . .	3,42,701@	3,10,978	70,008
5	हरियाणा . .	2,14,158@	2,13,641	600

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पात्र परिवारों की कुल संख्या	आवास स्थल आबंटित किए परिवारों की संख्या (इनमें अविकसित स्थल शामिल हैं)	कालम 4 में से विकसित आवास स्थलों की संख्या
6	हिमाचल प्रदेश . .	4,451@	4,451	4,000
7	जम्मू व कश्मीर . .	18,000@	5,186	कोई सूचना नहीं
8	कर्नाटक . .	8,43,478@	7,54,163	6,90,442
9	केरल . . .	3,00,000@	90,000*	90,000*
10	मध्य प्रदेश . .	7,77,000@	7,73,000	7,704
11	महाराष्ट्र . .	3,62,509@	3,60,000	3,57,957
12	उड़ीसा . . .	5,00,000@	1,17,845	9,813
13	पंजाब . . .	3,00,976@	3,00,976	6,817
14	राजस्थान . .	8,54,023@	8,54,023	3,836
15	तमिलनाडु . .	14,97,000@@	5,23,076	1,70,833
16	त्रिपुरा . . .	42,650@	38,307	5,000
17	उत्तर प्रदेश . .	12,12,014@	12,12,014	16,470
18	पश्चिम बंगाल . .	2,97,929@	2,97,929	2,97,929
1	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3,816@	1,312	कोई सूचना नहीं
2	चण्डीगढ़ . .	52@	50	शून्य
3	दादरा व नगर हवेली .	715@	715	101
4	दिल्ली . . .	14,200@	12,228	11,572
5	गोआ, दमण व दीव .	मालूम नहीं	700	258
6	पांडिचेरी . .	15,779@	6,322	571
	कुल .	113,88,451	72,97,972	17,56,741

*पहले केरल में इस प्रकार के आवास स्थलों का आबंटन नहीं किया जा रहा था। केवल मकानों के निर्माण के बाद, मकानों को लाभ भोगियो को सौंपा जा रहा था। राज्य सरकार ने 2-10-75 को आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण की योजना को समाप्त कर दिया और अब आवास स्थल दे रही है। राज्य सरकार ने 57,000 पूर्ण मकान और 33,000 आवास स्थलों का आबंटन किया है।

@राज्य सरकार द्वारा लगाये गए अनुमानों के अनुसार।

@@योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार।

Removal of illiteracy in Bihar

2508. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the amount proposed to be given by the Central Government to Bihar State Government for removal of illiteracy in Bihar;

(b) whether the Bihar Government has sent a comprehensive scheme in this regard to the Central Government; and

(c) if so, the number of illiterate persons likely to be made literate under this scheme every year?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) There is no specific proposal to give any particular grant by the Central Government to the Bihar State Government for removal of illiteracy in that State. However, Government of India propose to launch a massive adult education programme from 1978-79 which will cover all illiterate adults in the country in the age-group 15-35 within 5 years of its launching. Details of this Programme including the costing pattern and allocation of funds between the States and Central Government etc. are being worked out.

(b) No such scheme has been received.

(c) Does not arise.

केरल में विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

2509. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विश्वविद्यालयों ने गत तीन वर्षों में कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की और उसका वर्ष-वार एवं विश्वविद्यालय अनुसार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 1977-78 के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) तथा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 1977-78 में केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग से प्राप्त अनुदान निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 (25-11-77)
			(रुपए लाखों में)		
1	केरल	9.37	40.55	40.22	13.84
2	कालिकट	25.53	18.53	37.03	16.98
3	कोचीन	9.58	12.25	26.93	11.68
4	केरल कृषि	..	0.22	0.20	..

इसके अतिरिक्त, केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्राप्त की :

1974-75	44.70 लाख रुपए
1975-76	55.25 लाख रुपए
1976-77	63.64 लाख रुपए
1977-78 (अभी तक)	20.00 लाख रुपए

विमानन प्रभाग विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2510. **श्री माधवराव सिंधीया : क्या कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के विमानन प्रभाग का एक स्थिर विंग विमान हाल ही में कालाहाण्डी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण थे और इसके फलस्वरूप विभाग को अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि और सिचाई मंत्रालय के अधीन कृषि विमानन निदेशालय का बसंत वायुयान वी०टी० —ई०ई०ई० क्षेत्र में धान की फसलों पर हवाई छिड़काव पूरा करने के पश्चात्, जूनागढ़ (कालाहांडी जिले) के समीप बेलपाड़ा हवाई पट्टी को ओर वापिस लौटते समय दिनांक 27-10-1977 को जूनागढ़ के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ।

(ग) महानिदेशक, सिविल विमानन इस मामले को जांच कर रहा है । जांच पूरी होने के पश्चात् ही दुर्घटना का कारण और हानि की मात्रा के बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध होगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की, वसूल की गई कीमत का ब्यौरा

2511. **श्री टी० एस० नेगी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 11 जुलाई 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मांगी गई सूचना काफी अधिक है और विभिन्न रिकार्डों से इकट्ठी की जानी है ।

Import of Urea from Indonesia

2512. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether Government have imported urea from Indonesia and if so, the quantity thereof and how it will be utilised ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): Against the two contracts during 1977, one for 0.60 lakh tonnes (bagged) and the other for 1.00 lakh tonnes (bulk) of urea placed on Messrs. P. T. Pupuk Srividjaja, Indonesia, they have so far shipped 17,800 tonnes and 34,600 tonnes respectively ending November, 1977. The material is to be sold to the farmers for agricultural production.

किरायेदार से क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली

2513. **श्री मोहनलाल पिपिल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3689 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरायेदार से क्षतिपूर्ति की राशि इस बीच वसूल कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और वह राशि कितनी है; और

(ग) उस राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) करदाता ने 7200 के रुपए के देय हर्जाने नहीं दिए। इसलिए पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के अधीन वसूली के लिए कार्यवाही की गई। करदाता ने सम्पदा अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दायर की तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस मामले को 17-2-75 को सम्पदा अधिकारी को वापस भेज दिया। मुकदमा अभी भी चल रहा है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए सहायता

2514. **श्री एडूआर्डो फैलीरो :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो उन भूमिहीन श्रमिकों को सहायता देते हैं जिन्हें अपने मकान निर्माण करने के लिये स्थानों का आबंटन किया गया है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी जा रही सहायता का स्वरूप क्या है ;

(ग) यदि कोई सहायता दी गई है, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(घ) गोआ, दमण और दीव सरकार द्वारा अक्टूबर, 1977 तक कितने मामलों में सहायता दी गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केरल, कर्नाटक, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के राज्य तथा दिल्ली और गोआ, दमण तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र उन भूमिहीन मजदूरों को सहायता देते हैं जिन्हें उनके मकानों के निर्माण के लिये स्थल आबंटित किया गया है।

(ख) तथा (ग) इन प्रत्येक राज्य तथा दिल्ली, और गोआ, दमण तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सहायता की पद्धति का विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(घ) गोआ, दमण तथा दीव प्रशासन ने 144 व्यक्तियों में से केवल 79 व्यक्तियों को ऋण और राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी है जो योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए और जिन्होंने राष्ट्रीकृत बैंको से ऋण ले कर अपने ही उद्यम से अपने मकानों का निर्माण किया ।

विवरण

भूमिहीन मजदूरों को आबंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई पर एक नोट

केरल : 1972 में केरल सरकार ने "एक लाख आवास योजना" के नाम से एक विशेष योजना चलाई जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने समस्त लकड़ी सप्लाई की । जबकि सीमेन्ट और टाइलें जनता समाज सेवा संगठन, एसोसियेशनों, संस्थानों, क्लबों आदि द्वारा "केरल मुख्य मन्त्री फण्ड" नाम की गठित निधि में से दिए गए स्वैच्छिक योगदान से खरीदी गई । इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम से 1.50 करोड़ रुपये का विशेष ऋण लिया गया । पंचायतों को यह कहा गया कि वे भी अपने क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के खर्चे को पूरा करने के लिए अपनी निधियों में से योगदान दें । आवास स्थलों के आबंटियों को भी मासिक किस्तों में योगदान देना अपेक्षित था । प्रत्येक मकान की लागत लगभग 1400 रुपये आयी ।

कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने भूमिहीन कर्मचारियों को आबंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए "जनता आवास योजना" नाम की एक योजना बनाई है । इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक के खर्चों की ओर अलाटियों ने 500 रुपये का योगदान दिया और राज्य सरकार ने 1000 रुपये का योगदान दिया है । मकानों के निर्माण पर खर्च की गई शेष राशि को ऋण माना गया है जिसे 25 वर्षों में वसूल किया जाना है ।

तमिल नाडु : तमिल नाडु सरकार ने हरिजनों के लिए मकानों के निर्माण के लिए तमिल नाडु हरिजन आवास और विकास निगम की स्थापना की है । ऐसा पता चला है कि एक लाख मकानों के कार्यक्रम के विपरीत 6,354 मकानों का निर्माण किया गया है और 13,082 मकान निर्माणाधीन है ।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को आदर देने की दृष्टि से आबंटित आवास स्थलों पर झोपड़ियों के निर्माण के लिए एक योजना बनाई है । आवास स्थलों के आबंटियों को स्वैच्छिक श्रमदान देना होता है । सरकार उन्हें लगभग 200 रुपये प्रति झोपड़ी निर्माण हेतु देती है । समाहर्ताओं को यह शक्ति दी गई है कि रोज़गार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ईंटें और देसी टाइलों का उत्पादन आरम्भ करें । जिन्हें ऐसी झोपड़ियों के निर्माण में प्रयोग में लाया जा सकता है । अब तक योजना के अन्तर्गत लगभग 1.26 लाख झोपड़ियां बनाई जा चुकी हैं और सरकार का मार्च, 1978 तक इस कार्यक्रम को पूरा करने का प्रस्ताव है ।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को कई सुविधाएं दी हैं ताकि वे उनको आबंटित आवास स्थलों पर मकानों का निर्माण कर सकें । सुविधाएं इस प्रकार हैं :

(i) आरक्षित वनों के 30 मील के घेरे के भीतर रहने वालों के लिए 18 बल्लियां तथा 50 बांस ; और

(ii) सरकारी खानों से चिकनी मिट्टी, बालू, मुर्रम और पत्थर मुफ्त निकाले जा सकते हैं।

आन्ध्र प्रदेश : ऐसा मालूम हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन पिछड़े वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम आरम्भ करने का सरकार का प्रस्ताव है। जिसके अन्तर्गत सामाजिक सहकारी संस्थानों के जरिए ऋण दिए जाते हैं।

पश्चिम बंगाल : आवास स्थलों के आबंटन का कार्य पूरा किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने द्रुत गति के आधार पर झोपड़ियों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया है। झोपड़ियों के निर्माण के लिए लाभभोगियों को व्यक्तिगत रूप में या ग्रुपों में श्रम तथा स्थानीय उपलब्ध सामग्री उपलब्ध की जाती है। सरकारी सहायता केवल छत की सामग्री के रूप में दी जानी होगी। इसमें छतों को सहारा देने के लिए अनिवार्य सामग्री शामिल है। छत को सामग्री देने के लिए 500 रुपये की सीमा निश्चित की गई है। इसमें छत को आवश्यक सहारा देने के लिए संरचना भी शामिल है।

उड़ीसा : उड़ीसा में न केवल आवास स्थल देने के लिए एक एकीकृत योजना बनाई गई है, अपितु कतिपय सामग्री (बांस और बल्लियां) भी उपलब्ध की गई हैं और स्थानीय ब्लाक विकास अधिकारी को निर्माण कार्य का इन्चार्ज बनाया गया है जो उप मण्डलीय अधिकारी की समस्त देखरेख में कार्य करेगा। ब्लाक विकास अधिकारी को मकानों के निर्माण के लिए सामग्री इकट्ठी करनी भी अपेक्षित होगी। लाभभोगियों को यह अपेक्षित है कि वे अकुशल श्रमिकों के रूप में योगदान दें और जंगलों से सामग्री लाकर स्थल पर पहुंचाएं। क्योंकि स्थानों का निर्माण लाभभोगियों द्वारा स्वयं स्थानीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया जाना है। मकानों के निर्माण टिकाऊपन तथा छतों को अग्निरोधक बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण सामग्री के मामले में कुछ उदारता बरतने की अनुमति दे दी गई। उड़ीसा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना को घरेलू उद्योग, मुर्गी पालन, भेड़-बकरी पालन आदि के विकास से संबंधित कुछ अन्य प्लान योजनाओं के साथ संबद्ध करने का विचार रखती है। ये योजनाएं आबंटियो को नए स्थलों पर आय के गौण साधन उपलब्ध करायेंगी और सारे राज्य में एकीकृत विकास के बड़े पैमाने पर स्थानों का विकास करने में सहायता देंगी।

दिल्ली : आबंटियों को आवास स्थलों पर मकानों का निर्माण करने में सहायता देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने उन्हें पत्थर, रेत, बदरपुर आदि पर रायल्टी देने से छूट दे दी है जिन्हें मकानों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा आबंटी बिना किसी बाधा के गांव सभी भूमि पर उगी मूंज की घास और चिकट्स आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। आबंटी स्थलों पर निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने नगर निगम अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में ढील भी दी है।

गुजरात : गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आबंटित आवास-स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए एक योजना बनाई है। योजना के अन्तर्गत एक मकान की लागत 1,800 रुपये है। 1,000 रुपये बैंक ऋण के रूप में है। 400 रुपये राज सहायता के रूप में सरकार देती है। जिला विकास प्राधिकरण और/या स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा योगदान 250 रुपये है और शारीरिक श्रम के तौर पर लाभ भोगियों का योगदान 150 रुपये है।

पंजाब : आबंटियों को आवास स्थलों पर मकान बनाने के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 1,100 ग्रामीण स्तर की सहकारी आवास निर्माण समितियां बनाई हैं (इसमें आवास स्थल का आबंटी

सदस्य बन सकता है) और प्रत्येक सोसायटी को 84.14 लाख रु० के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक आबंटी को बैंकों से ऋण देने का भी प्रबन्ध किया है। प्रत्येक आबंटी को दी जाने वाली ऋण की राशि 2,100 रुपये है जिसकी ब्याज की दर 4 प्र० श० प्रतिवर्ष है और उसे 10 वर्ष में वसूल किया जाना है।

हरियाणा : हरियाणा में प्रत्येक उस अलाटी को जिसने उसी स्तर तक मकान का निर्माण कर लिया है 2,000 रुपये के ऋण का पात्र है। उसे यह ऋण उस द्वारा ब्लाक विकास तथा पंचायत अधिकारी से इस बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि उसने कुर्सी स्तर तक निर्माण पूरा कर लिया है। यह 2,000 रुपये की राशि आबंटी को 1,000 रुपये की दो बराबर किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त तब दी जाती है जब निर्माण कार्य कुर्सी स्तर तक हो जाता है और दूसरी किस्त तब दी जाती है जब निर्माण कार्य छत स्तर तक पूरा हो जाता है। पुनः अदायगी की अवधि 10 वर्ष है या जैसी बैंक द्वारा निर्धारित की जाए। ब्याज की दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अबंकल दर ब्याज योजना के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।

गोआ, दमण और दीव : गोआ, दमण और दीव के संघ राज्य प्रशासक ने ग्रामीण क्षेत्रों से भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत आबंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। अतः यद्यपि इसने 144 व्यक्तियों में से केवल 79 व्यक्तियों को ऋण और सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उन योजना के अन्तर्गत उन लाभ भोगियों को दी है जिन्होंने अनुसूचित बैंकों से ऋण लेकर अपने प्रयासों से अपने मकानों का निर्माण किया है।

उड़ीसा में फूलबनी में जनजाति क्षेत्रों में फसल खराब होना

2515. **श्री बाटचा डिगल :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों में उड़ीसा में फुलबनी जिले में जनजाति क्षेत्रों में फसल खराब रही है और

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तीन मूर्ति भवन में 'ध्वनि एवं प्रकाश' कार्यक्रम

2516. **श्री पी० वी० पेरियास्वामी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन मूर्ति भवन में 'ध्वनि एवं प्रकाश' कार्यक्रम पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) इस कार्यक्रम के आरंभ होने की तिथि से अब तक कितनी आय हुई है ; और

(ग) इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय आता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नेहरू मेमोरियल फण्ड द्वारा इस प्रदर्शन, जो कि उनके द्वारा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय को उपहार में दिया गया था, की स्थापना पर 33,53,027 रुपये की राशि खर्च की गई थी। इस राशि

में से, 4,08,200 रुपये की राशि फण्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा नेहरु मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय के माध्यम से उपस्कर के आयात पर सीमा शुल्क अदा करने हेतु दी गई थी ।

(ख) अप्रैल, 1975 में इसके शुरू होने से लेकर अक्तूबर, 1977 तक इस प्रदर्शन से 65,256/- रुपये की राशि का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस प्रदर्शन के संचालन और अनुरक्षण पर 1975-76 के दौरान 1,24,825 रुपये और 1976-77 के दौरान 89,000 रुपये खर्च हुए ।

भारतीय खाद्य निगम के पास गैर सरकारी फर्मों के गोदाम

2517. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता कितनी है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों में विभिन्न स्थानों पर गैर-सरकारी फर्मों से कितने गोदाम लिये ;

(ग) उनमें से कितने गोदाम मालिकों को वापिस कर दिये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त प्राइवेट गोदामों को उनके मालिकों को वापिस लौटाने के क्या कारण हैं जबकि भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण की पूरी क्षमता नहीं है और प्रत्येक वर्ष लाखों क्विंटल खाद्यान्न सड़ जाता है ; और

(ङ) इस असावधानी के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता 198.5 लाख मोटरी टन है (इसमें कवर स्थान और प्लिथ शामिल है) ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से इकट्ठी होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

संसदीय सौध भवन के निर्माण संबंधी प्राक्कलन

2518. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संसदीय सौध भवन के निर्माण सम्बन्धी तैयार किये गये संशोधित प्राक्कलन एवं अन्तिम प्राक्कलन क्या हैं और तीनों प्राक्कलनों में इतने अधिक अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ख) उसी भवन के साज-सजावट के बारे में उक्त तीनों प्रकार के प्राक्कलनों की राशि क्या है और उनमें भिन्नता के क्या कारण हैं ;

(ग) नए फर्नीचर के सप्लाई के लिये किन किन फर्मों से निविदाएं मांगी गईं थीं और प्रत्येक मामले में स्वीकृत निविदा की राशि क्या थी और उन निविदाओं को किस अधिकारी द्वारा मंजूर किया गया ;

(घ) क्या सरकार का इस भवन के निर्माण और साज-सजावट के बारे में एक उच्चस्तरीय तकनीकी जांच करवाने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संसदीय सौध के मुख्य भवन तथा अन्य संबंधित मदों से संबंधित निर्माण कार्य 1968 तथा 1975 के मध्य विभिन्न प्राक्कलनों के जरिए कुल मिलाकर 2,20,52,900 रुपये का मंजूर किया गया था । तथापि, निर्माण कार्य पर कुल खर्च 3,75,00,000 रुपये होने की आशा है ।

इस वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :—

(i) भवन निर्माण सामग्री तथा मजदूरी में वृद्धि ;

(ii) कार्य की अतिरिक्त मदें तथा अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना ; और

(iii) कार्य निष्पादन के दौरान विशिष्टियों में परिवतन ।

(ख) वास्तविक प्राक्कलन की राशि 32,87,831 रुपये थी (विभागीय प्रभारों सहित) । मार्च, 1977 तक खर्च 25,95,138 रुपये था (विभागीय प्रभारों सहित) । यह अन्तर अधिक नहीं है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1260/77]**

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जांच करने के लिए कोई आधार नहीं दिखाई दिया ।

Homeless Scheduled Caste and Scheduled Tribe families

2519. **Shri Chhabiram Argal:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of homeless Scheduled Caste and Scheduled Tribe families respectively in each State in the country as on the 31st October, 1977 ;

(b) the names of the States which have conducted survey in regard to shortage of houses for the aforesaid families ;

(c) the number of families belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for which houses have been conducted during the last three years ;

(d) the State-wise number of families allotted plots and given possession thereof on the spot ; and

(e) the various measures taken to settle homeless persons in each State and the expenditure incurred in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) to (e) No specific estimate of housing shortage for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections has been made.

Housing is a State subject and Central financial assistance is being given to States in the form of 'block grants' and 'block loans' for all State Sector Schemes (including housing schemes).

Moreover, under the programme for Backward Classes in the State Sector, there is a scheme for giving subsidy for construction of houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

A statement showing the number of families allotted houses-sites is appended.

Statement

Sl. No.	Name of State/Union Territory	No. of Scheduled Castes/Scheduled Tribes families allotted house-sites
1	Andhra Pradesh	N.R
2	Assam	7,834
3	Bihar	N.R.
4	Gujarat	1,51,921
5	Haryana	1,36,130
6	Himachal Pradesh	2,556
7	Jammu and Kashmir	N.R.
8	Karnataka	2,59,727
9	Kerala	28,760
10	Madhya Pradesh	4,54,862
11	Maharashtra	1,63 800
12	Orissa	31,278
13	Punjab	*
14	Rajasthan	6,11,820
15	Tamil Nadu	N.R.
16	Tripura	N.R.
17	Uttar Pradesh	9,93,816
18	West Bengal	1,77,787
	Union Territories	
1	Andaman & Nicobar Islands	Nil
2	Chandigarh	13
3	Dadra & Nagar Haveli	715
4	Delhi	5,934
5	Goa, Daman & Diu	318
6	Pondicherry	1,138

N.R.-Particulars not received from the State Government/Union Territory.

*The State Government have intimated that they are not maintaining separate figures of allotment of house-sites to S.C./S.T. families as the scheme does not make any distinction between S.C./S.T. families and others in the allotment of house-sites. The State Government, however, estimate that approximately 75% of the families allotted house-sites belonging to S.C./S.T. on this basis the number of S.C./S.T. families allotted house-sites in Punjab comes to about 2.25 lakh families.

POTATO PRODUCTION

2520. **Shri Ram Lal Rabi:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the efforts being made to increase the potato production with a view to earn foreign exchange ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): Supply of disease free potato seed is one of the most important factors in increasing production. The programme of seed production and requirements of various States is properly monitored twice every year. The variety-wise production programme of breeders, foundation stage I, foundation stage II and certified seeds by different organisations and States of the country is carefully chalked. The seed so multiplied is distributed to the growers. Besides, the State Governments have been advised to launch a motivational campaign to increase the production of potatoes through the following measures:—

(i) Adoption of full package of practices over large area,

(ii) To increase the coverage under improved varieties of potatoes, and

(iii) To increase the area under the crop.

The export of potatoes is, however, banned for the present.

Admission in Aligarh Muslim University

2521. **Shri Ram Naresh Kushwaha:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the rules governing the admissions of students to the Aligarh Muslim University ;

(b) whether students with second class marks and third class marks were given admission by ignoring the students with first class marks ; and

(c) if so, the reason therefor and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) A statement containing the rules governing the admission of students to various courses in the Aligarh Muslim University as indicated in the General Information Bulletin for 1977-78 is attached. **[Placed in the Library. See No. L.T.—1261/77.]**

(b) & (c) According to the information furnished by the Aligarh Muslim University, the following priorities for admission were approved by the Academic Council at its meeting held on 6th August, 1977:—

First Priority:

I & II Class students of the University and 1st Class students of other Universities/Boards are to be admitted in the first priority. In case, however, the seats in a particular subject/course are filled up by the internal students, 10% 1st class students of other Universities/Boards be admitted over and above the intake of subject/course.

Second Priority:

1st class external candidates.

Third Priority:

All internal eligible candidates.

Fourth Priority:

External candidates on merit.

The University has further stated that while adhering to the priorities determined by the Academic Council, it had to refuse admission to a few candidates with First class marks, as the number of applicants for admission to various courses this year was quite large compared to the previous years and the number of seats was limited. Further, out of the limited seats in each course except MBBS, 15% seats are reserved for certain categories of candidates to be nominated by the Vice-Chancellor, in accordance with the guidelines laid down by the Academic Council from time to time, from amongst the eligible candidates. Of these 15% seats, 5% are reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Appointment of Persons for solving Problem in Indian Braille Script

2522. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a technical Assistant was appointed about 25 years ago to solve the problem of the music notations, mathematical signs and word contractions in the Indian Braille script;

(b) if so, the work done so far in this connection and how far this problem has been solved; and

(c) in case nothing has been done, the reasons therefor?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) This Department is not aware of the appointment of a Technical Assistant for solving these problems.

(b) and (c) The work relating to Braille musical notations, mathematical signs and word contractions is of a continuing nature to be carried out by a host of individuals, organisations and Institutes. However substantial progress has been made in evolving a common Bharati Braille Code, and in production of a sample book in Braille Mathematical Code/Braille music notations etc. The Government of India proposes to set up a National Institute for the Visually Handicapped which will stimulate research and work in this area.

अखिल भारतीय ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगितायें

2523. **श्री के० राममूर्ति :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976 में किन किन राज्यों में तथा कितनी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ;

(ख) इनमें भाग लेने वालों की संख्या कितनी हैं ; और

(ग) ऐसी ग्रामीण प्रतियोगिताओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1976-77 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताएं और इसमें भाग लेने वालों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

दल	स्थान	राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जिन्होंने भाग लिया	भाग लेने वालों की कुल संख्या
दल—I कबड्डी, खो-खो, कुश्ती तथा धनुविद्या	**मेरठ** (उत्तर प्रदेश)	असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गोआ, दमन और दीव ।	831
दल—II ऐथलेटिक्स, हाकी, और बास्केट-बाल	**रुप नगर** (पंजाब)	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव तथा मिजोरम ।	948
दल—III फुट बाल, वालोबाल और व्यायाम	**कोल्हापुर** (महाराष्ट्र)	आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गोवा, दमन तथा दीव ।	537
दल—IV तैराकी	**नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाल** (पंजाब)	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव तथा लक्ष्यद्वीप ।	178
			2494

(ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं पर वर्ष 1976-77 के दौरान व्यय की गई राशि 3,97,573.46 रुपये थी ।

Ranthambore Tiger Project

2524. **Shri Meeta Lal Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Ranthambore Tiger Project, Sawai-Madhopur, Rajasthan is an important Tiger Project of the country from geographical, historical, tourism and wild life point of view ;

(b) despite its importance this project is not being at all developed, if so, the reasons ;

(c) whether there is no road to enable the tourists going on this project area conveniently and if so, the reasons therefor and the action being taken by Government for the construction of road etc. in this area, if no action is being taken, the reasons therefor ; and

(d) whether suitable rest houses, telephones, electricity and other necessary facilities have not been provided for the tourists in the area, if so, the reasons therefor and the time by which these facilities would be provided in this area in future ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes Sir.

(b) The Tiger Reserve is being developed in accordance with a Management Plan aimed at ensuring an optimum habitat in which wild life can flourish.

(c) and (d) Promotion of tourism is not the object for the time being and until the tiger population viably increases in this Tiger Reserve. It is not, therefore, planned at present to build an infrastructure for promoting tourism. There is, however, a network of fair weather roads and more are planned for effective management of the Tiger Reserve.

उर्वरकों का आयात

2525. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का अभी भी आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान उसका कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ग) आयात किन-किन देशों से किया गया तथा आयात किए गए उर्वरक का मूल्य कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान क्रमश: 32.52 लाख मीटरी टन तथा 21.41 लाख मीटरी टन उर्वरक आयात किया गया था ।

(ग) 1975-76 और 1976-77 के दौरान हालैंड, इटली, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, जापान, कनाडा, अमरीका, बलगीरिया, पोलैंड, रोमानिया, रूस, पूर्वी जर्मनी, कातार, कुवैत तथा सऊदी अरब से उर्वरकों का आयात किया गया था । 1975-76 के दौरान आयातित उर्वरकों का मूल्य 699.45 करोड़ रु० और 1976-77 के दौरान 220.36 करोड़ रु० है ।

सिमिलिपाल मयूरभंज (उड़ीसा) में राष्ट्रीय आखेट स्थल का खोला जाना

2526. **श्री जेना बैरागी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक सौंदर्य स्थलो की अधिकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में मयूरभंज के सिमिलिपाल रेंज में एक राष्ट्रीय आखेट स्थल खोलने के बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां । सत्कोसिया जार्ज आश्रय स्थल, भित्तर-कणिका आश्रय-स्थल, चिल्का आश्रय स्थल और सिमिलिपाल पहाड़ियां वन्य-प्राणियों तथा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से सम्पन्न है ।

(ख) प्रस्तावित सिमिलिपाल राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं के निर्धारण के लिए उड़ीसा सरकार ने पहले ही से कार्यवाही शुरू की हुई है ।

कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों की सप्लाई बढ़ाना

2527. **श्रीमती अहिल्या पो० रांगनेकर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : एक विवरण संलग्न है ।

कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए उठाए गए पग

(1) **खाद्यान्न** राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने हेतु केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के प्रति मास आबंटन करती है । राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की चावल और गेहूं से संबंधित मांगों को इस समय पूर्णतया पूरा किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्नों के अन्तर-राज्यीय संचलन पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिससे कमी वाले राज्यों में खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि होने और अधिशेष तथा कमी वाले राज्यों के बीच असमानताओं में कमी होने की आशा है ।

दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों का वितरण नहीं किया जाता है । तथापि, सहकारी समितियो से कहा जा रहा है कि वे दालों की अधिप्राप्ति और वितरण के बारे में अधिक जिम्मेदारियों सम्भालें । दालों की कुछ खरीदारियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नाफेड) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (एन० सी० सी० एफ०) द्वारा की जा रही हैं ताकि उन्हें राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों, सुपर बाजारों आदि के माध्यम से विभिन्न राज्यों को

सप्लाई किया जा सके । इसके अलावा नाफेड ने राज्यों को वितरित करने के लिए 10,000 मोटरी टन काली मसूर (साबुत) आयात करने के प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया है ।

तिलहन केन्द्रीय सरकार फिलहाल किसी राज्य सरकार को तिलहन सप्लाई नहीं कर रही है । तथापि, तोरिया को आयात करने का प्रस्ताव है, जोकि राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकतानुसार सप्लाई किया जाएगा ताकि लाइसेंसशुदा उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 7.50 रु० प्रति किलो के मूल्य पर वितरित किया जा सके ।

2. इसके अलावा, सक्षम क्षेत्रों में सघन खेती अपनाकर और नये सिंचित क्षेत्रों में इन फसलों को उगाकर, खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर पर्याप्त और समय पर पौध संरक्षण उपाय कर, अपेक्षित मात्रा में विभिन्न प्रकार के आदानों को उपलब्ध कर, फसलों की खेती करने के आधुनिक तरीकों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन कर, साहाय्य मूल्यों का निर्धारण आदि कर देश में खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी विभिन्न पग उठाए गए हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के टोकिन के लिए प्रतीक्षा सूची

2529. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिए जाने वाले दुग्ध टोकिनों के लिए प्रतिक्षा सूची में 30-10-77 को अति विशिष्ट तथा सामान्य श्रेणियो में पृथक पृथक कितने कितने व्यक्ति थे ; और

(ख) वर्ष में कितने टोकिन दिए जाते हैं और वर्तमान सूची के लोगों को अनुमानतः कब तक टोकिन दे दिए जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के टोकन जारी करने के लिए आवेदन-पत्रों को विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है । प्रत्येक वर्ग की प्रतीक्षा-सूची में व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

(1) बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति	4,710
(2) सरकारी अधिकारी	3,416
(3) सरकारी कर्मचारी	14,337
(4) वरिष्ठ रक्षा अधिकारी	109
(5) रक्षा अधिकारी	90
(6) रक्षा कर्मचारी	194
(7) चिकित्सा	1,073
(8) विशेष	214
(9) दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी	141
(10) यमुना पार के इलाके	11,700
(11) सामान्य	2,328
(12) दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए	128
योग . . .	38,440

(ख) प्रति वर्ष टोकन जारी करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दिल्ली दुग्ध योजना में दूध की उपलब्धि के अनुसार समय-समय पर दूध के टोकन जारी किए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान, 11,824 आवेदकों को प्राधिकृत पत्र जारी किए जा चुके हैं। दिसम्बर, 1977 के अन्त तक सारी प्रतीक्षा-सूची को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Central Grants to West Bengal for Propagation of Education among Adivasis

2530. **Shri Pius Tirkey :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total amount of Central grants provided to West Bengal during the last three years for propagation of education among Adivasis ; and

(b) the institution-wise break-up thereof and the amount returned unutilised ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) A statement is enclosed.

(b) Central Government gives grant to the State Government. The State Government is responsible for distribution among the institutions and utilisation.

Statement

(Rs. in lakhs)

Year	As Special Assistance for tribal Sub-Plan areas (all sectors including education)	For Post Matric Scholarship Scheme	For Girls' Hostels
1975-76 . . .	72.00	7.90	2.50
1976-77 . . .	149.00	7.90	2.50
1977-78 . . .	126.00*	11.00**	3.00**

*Upto 7-11-1977 only.

**Administrative approval only.

छोटी सिंचाई के लिए परिव्यय

2531. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी सिंचाई के लिये परिव्यय में सरकारी क्षेत्र और संस्थागत स्रोतों दोनो से वृद्धि के बारे में अपना मत स्पष्ट कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिये बड़ो और छोटो सिंचाई परियोजनाओं के लिये नियत की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। सरकारी क्षेत्र और संस्थागत दोनों स्रोतों से लघु सिंचाई योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि करने पर अधिक से अधिक बल देने को नीति है ।

(ख) बड़ो, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के लिये अनुमोदित परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । लघु सिंचाई के अन्तर्गत संस्थागत पूंजो-निवेश के संभावित आंकड़े भो इसो अनुबंध में दिए गए हैं ।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बड़ी/मध्यम सिंचाई परिव्यय (अनुमोदित)	छोटी सिंचाई	
			प्लान क्षेत्र परिव्यय (अनुमोदित)	संस्थागत पूंजी-निवेश (संभावित)
1	आंध्र प्रदेश . .	109.32	7.63	21.00
2	असम . . .	7.40	6.65	0.50
3	बिहार . . .	81.86	23.35	24.00
4	गुजरात . . .	82.13	11.95	6.00
5	हरियाणा . .	55.64	0.92	12.00
6	हिमाचल प्रदेश . .	1.40	1.85	0.10
7	जम्मू और कश्मीर . .	11.95	4.70	0.05
8	कर्नाटक . . .	58.88	9.50	16.00
9	केरल . . .	30.50	3.50	5.50
10	मध्य प्रदेश . .	75.40	22.00	36.00
11	महाराष्ट्र . .	131.39† 19.10* (र ग य)	20.04	20.00

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बडी/मध्यम सिंचाई परिव्यय (अनुमोदित)	छोटी सिंचाई	
			प्लान क्षेत्रपरिव्यय (अनुमोदित)	संस्थागत पूंजी-निवेश (संभावित)
12	मणिपुर .	5.70	0.60	उ० न०
13	मेघालय	0.02	0.60	उ० न०
14	नागालैण्ड	..	0.50	उ० न०
15	उड़ीसा .	30.60	10.58	15.00
16	पंजाब .	28.35	5.80	12.00
17	राजस्थान .	60.80	3.40	12.00
18	सिक्कम .	0.35	0.26	उ० न०
19	तमिलनाडु	30.08	7.07	15.00
20	त्रिपुरा . .	0.06	0.93	0.05
21	उत्तर प्रदेश	137.54	35.82	50.00
22	पश्चिम बंगाल	24.16	16.84	15.00
		963.53†		
		19.10* (रगय)	194.49	260.20
	योग संघ राज्य क्षेत्र	6.20	2.69	0.10
	योग अखिल भारत	969.73	197.18	260.30
		†19.10*		

*--रोजगार गारंटी योजना उ० न०--उपलब्ध नहीं

विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों के कर्मचारियों की यूनियनों से सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को आवास दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन

2532. **श्री के० मायातेवर :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों के कर्मचारियों की यूनियनों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आवास दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त हुए या सेवावधि के दौरान मरे कर्मचारियों को आवास देने का निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आवास संबंधी सुविधाएं देने के लिए विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) तथा (ग) : एक ऐसी योजना है जिसके अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए तथा आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों आदि से बने-बनाए मकान/फ्लैट आदि खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम ले सकते हैं । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अन्य लोगों के साथ निम्न/मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन लाभ उठा सकते हैं । वे मकान बनाने या मकान अर्जित करने या आवास-स्थल खरीदने के प्रयोजन के लिए भविष्य निधि लेखा में जमा अपनी राशि से भी रकम निकलवा सकते हैं ।

आवास तथा नगर विकास के राज्य मन्त्रियों के कलकत्ता में दिसम्बर, 1976 में हुए सम्मेलन में इस विषय पर विचार किया गया कि क्या राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ साथ यह भी अनुरोध किया जाए कि विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न व मध्यम आय वर्गों के लिए उनके द्वारा बनाए गए मकानों में कुछ कोटा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को किराया-खरीद आधार पर आबंटन के लिए आरक्षित किया जाए जो तीन वर्षों की अवधि में सेवा- निवृत्त होने वाले हैं । सम्मेलन ने सिफारिश की कि इस प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृह निर्माण-अग्रिम के वार्षिक नियतन में वृद्धि की जाय ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाकाल के दौरान ही अपना मकान बना सकें ।

ये तथ्य उन संसद्-सदस्यों को सूचित कर दिए गए हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन इस मन्त्रालय को भेजे थे ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त बटर आयल

2533. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बटर आयल के बारे में 11 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न सं० 407 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त बटर आयल की बिक्री से वर्ष 1976 और 1977 में कितनी-कितनी राशि एकत्र की गई ;

(ख) बिक्री आय का किस ढंग से उपयोग किया गया है ;

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान कुल कितनी मात्रा में बटर आयल प्राप्त किया गया और मार्च, 1978 तक कितनी मात्रा में किये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या इस धन में से देश में डेरियों के विकास करने का ब्यौरा तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1976 और 1977 (अक्तूबर 1977 तक) के दौरान बटर आयल को बिक्री से एकत्र की गई धन राशि क्रमशः 231.95 लाख रु० तथा 127.54 लाख रुपये है। यह बटर आयल 1976-77 से पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त किया गया था ।

(ख) अब तक विक्रय से हुई आय का उपयोग नहीं किया गया है ।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 1976-77 के दौरान बटर आयल प्राप्त नहीं किया गया था। वर्ष 1977-78 के दौरान 3000 मीटरी टन बटर आयल उपहार स्वरूप प्राप्त किया गया था । मार्च, 1978 तक बटर आयल की और मात्रा प्राप्त होने की संभावना नहीं है ।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल को उपाहारस्वरूप प्राप्त हुई जिंसों के निपटान से तैयार की गई धन राशि, आपरेशन फ्लड 1 जैसी डेरी विकास परियोजनाओं के उपयोग के लिये निर्धारित की जाती है ।

दिल्ली में दुकानों का गिराया जाना

2534. **डा० माहीपक सिंह शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1966 में दिल्ली में आबंटित बहुत सी दुकानें गिरा दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में आर० के० पुरम के दुकानदारों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही न किया जाना

2535. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय बिजली और सफाई जैसी अविलम्बनीय किस्म की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय की रिपोर्ट की गई है कि दर्ज की गई शिकायतों पर उसी दिन कार्यवाही नहीं की जाती है ;

(ग) क्या सरोजिनी नगर के अनेक निवासियों ने इस बारे में अधिशासी अभियन्ता से शिकायतें की हैं ;

(घ) क्या सरोजिनी नगर का इलाका काफी बड़ा है और सभी शिकायतों पर उसी दिन कार्यवाही कर पाना सम्भव नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का बी० डी० और डी० जी० ब्लाकों के निकट छोटे पूछताछ कार्यालयों को स्थापना करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री : (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) कार्यपालक इंजीनियर को इस किस्म की कुछ शिकायतें की गई थीं तथा इस मामले की जांच की गई थी । अधिकांश शिकायतें उसी दिन दूर कर दी गईं थीं लेकिन कुछ शिकायतों को उसी दिन या तो शिकायत देर से आने या स्टाफ की कमी होने के कारण ठीक नहीं किया जा सका ।

(घ) यद्यपि सरोजिनी नगर का विस्तृत क्षेत्र है किन्तु अनुरक्षण स्टाफ पर्याप्त है । तथापि, उपर्युक्त कारणों से शिकायत को उसी दिन दूर करना कभी-कभी सम्भव नहीं हो पाता ।

(ङ) जी, नहीं ।

Allotment of flats in Delhi and around to Harijans and S/C

2536. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any concessions have been provided in regard to the allotment of residential flats constructed in and around Delhi to ensure that the Harijans and the Scheduled Castes could get these flats easily ;

(b) whether Government are formulating a scheme with a view to allot plots to the Scheduled Castes persons and also to extend co-operation in the construction of houses thereon ; and

(c) if so, the time by which the scheme would be started ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Since 1976 the D.D.A. has reserved 25% of the flats constructed in every category for allotment to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) and (c) 15% of the plots allotted under the LIG and MIG categories of any scheme are reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The D.D.A. does not have any proposal at present to undertake the construction work on behalf of allottees of plots.

मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का अनुपात

2537. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, निर्माण, अन्वेषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । तथापि, भारत सरकार ने राज्य के विकास

कार्यक्रमो में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) निर्माणाधीन बृहद्/मध्यम स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक परिव्यय ;

(2) बृहद्/मध्यम सिंचाई सेक्टर में नई स्कीमें हाथ में लेना ;

(3) राज्य सरकार के साधनों के भीतर धनराशि के आबंटन में उच्चतम प्राथमिकता, ए० आर० डी० सी० और विश्व बैंक की सहायता से बैंकों से यथासम्भव अधिकतम सीमा तक संस्थागत निवेश कराना, लघु सिंचाई कार्यों के लिए सिंचाई पम्पों को बिजली देने के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम पर अधिक से अधिक जोर देना ;

(4) भूतपूर्व मालगुजारी का, जो गादीकरण के कारण जीर्ण अवस्था में है, सुव्यवस्थित ढंग से नवीकरण और आधुनिकीकरण करना ताकि वह अपनी खोई हुई सिंचाई क्षमता फिर से प्राप्त कर सके ।

Projects under 'Food for Work' Programme in Bihar

2538. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of projects received from Bihar under the 'Food for Work' programme ; and

(b) the numbers out of them, sanctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) and (b) Government of Bihar proposed to take up projects relating to the construction of link roads and minor irrigation under the scheme 'Food for Work'. They have not, however, prepared it on the form of proper schemes qualifying for assistance under the rules. While the State Government has been advised to formulate regular schemes and 'Ad-hoc' allotment of 10,000 M. Tonnes of wheat has been made in favour of the State Government.

Basis of Sugar and Sugarcane Policy

2539. **Shri Ram Dhari Shastri:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation be** pleased to state:

(a) the basis of sugar and sugarcane policy declared by Government ; and

(b) the mode of distribution of 65 per cent levy sugar and its ex-factory price ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh):

(a) Sugarcane Policy :

The present policy regarding sugarcane prices is reflected broadly in the Sugarcane Control Order 1966. Government fix the minimum notified price to be paid by each sugar factory in the country during each sugar year. Opinions of Expert Bodies, Associations of cane growers, State Governments, etc. are taken into consideration before the minimum price is notified. At present, the basic minimum price is related to a basic recovery of sugar of 8.5% or less from the sugarcane. The basic minimum price is Rs. 8.50 per

quintal. Recoveries higher than 8.5% fetch proportionally higher prices. This minimum price takes into account the cost of production and a reasonable return to the grower and is intended to be a floor price. In addition the sugarcane grower gets, under Law, 50% share of the excess realisations from the sale of free sale sugar. The total excess realisations are distributed over the total quantity of cane crushed by a factory and the additional cane price per quintal is thus arrived at. In practice, however, sugarcane growers get a higher price than that prescribed by law. These prices are usually known as "State-Advised Prices" and are determined by negotiations between the State Governments, sugar factories and representatives of sugarcane growers. Actual sugarcane prices as compared to the minimum notified prices paid during the 1976-77 season is given in the statement attached. It may be added that these prices are fairly attractive as has been reflected in increased cane production during the last few years.

Sugar Policy :

The present policy is known as the Partial Control Policy and is also referred to as the dual pricing policy. The term dual pricing has arisen from the fact that there is a controlled price of sugar distributed through fair price shops and a free market price which is determined by the market forces of supply and demand. The advantage of this policy, as compared to the two extremes of full control or complete decontrol, has been that it has maintained harmony between the interests of the 3 parties affected by any policy, viz., sugarcane growers, consumers and producers. 65% of the production is taken by way of levy and distributed through fair price shops at a unifom retail price of Rs. 2.15 per Kg. throughout the country. The levy price is below the cost of production and is intended to meet a substantial portion of the requirements of the ordinary domestic consumers at a reasonable price. Any additional need is expected to be met from sugar available in the open market. The producer is allowed to sell 35% of the production in the open market at prices determined by the market forces of supply and demand These prices are generally much higher. The overall realisations, particularly, the flexibility obtained in the selling of free sale sugar, enable sugar producers to pay higher prices to the cane grower as already mentioned above. Thus, it may be seen that this policy has given the consumer a substantial portion of his needs at a reasonable price, a fairly attractive price to the sugarcane grower and also brought in a reasonable return to the producer of sugar.

(*b*) The machinery for distribution of levy sugar in most of the States/Union Territories is the Food Corporation of India. In other States/Union Territories the wholesale trade is handled by nominees of the State Governments which are usually Co-operatives or State Civil Supplies Corporations. The FCI or the State nominees lift the sugar from the mills and transport it to godowns located in the districts from where fair price shop owners are delivered the sugar after allowing for retailers' margin fixed by the State Governments with or without the concurrence of the Central Government. For

example, if the retailers' margin has been fixed at Rs. 3/- per quintal the wholesaler gives a bag of sugar to the fair price shop owner for Rs. 212/- per quintal. The retailer gets the cost of the empty gunny bag in addition to this margin.

Statement

Statement showing actual sugarcane prices as compared to the minimum notified prices paid during the 1976-77 *Season.*

For 1976-77 *Season*

(Rs./quintal)

State	Minimum notified price	Price paid by factories
Uttar Pradesh . . .	8 50 to 10.80	12.25 to 13·25
Bihar	8 50 to 10.50	12.25@
Punjab	8 50 to 9.00	13.25 to 15.25
Haryana	9.10 to 10.30	13.00
Assam	8.50 to 8.70	11.00 Plus Transport subsidy
West Bengal . . .	8.50 to 9.20	12.50 to 14.50
Orissa	8.50 to 8.90	8.50 to 10.50
Madhya Pradesh . .	8.80 to 10.30	12.00@@
Rajasthan . . .	8.50 to 10.10	12.25 to 14.25
Maharashtra . . .	8.50 to 12.70	9.50* to 16.60*
Gujarat	8.50 to 11.40	9.00* to 13.66*
Andhra Pradesh . .	8.50 to 11.50	10.00 to 12.50
Tamil Nadu . . .	8.50 to 10.20	8.50 to 11.90
Karnataka . . .	8.50 to 11.40	10.00* to 15.00*
Kerala	8.50 to 9.00	13.00
Pondicherry . . .	9.40	9.50
Nagaland . . .	8.50	11.00
Goa	8.80	12.00

NOTE:—@One factory in Bihar (Harinagar) has paid Rs. 12.50 per qtl.

@@Morena Co-operative factory is paying Rs. 13.50 per quintal.

*These are the provisional prices paid as advance mostly ex-field by co-op. factories.

Amount sanctioned to Flood and Drought affected States

2540. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether advance plan assistance has been sanctioned for the flood and drought affected States namely, Tamil Nadu, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Kerala, Rajasthan, Assam, Tripura and Manipur, and if so, the amount sanctioned for each State keeping in view the estimated loss suffered by them; and

(b) whether flood control schemes of States are pending consideration, and if so, the names of schemes, State-wise and since when each of them has been pending together with the present position in each case ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Advance Plant assistance/interim advance Plan assistance has been sanctioned to the following States affected by drought/floods/cyclones:

Assam	Rs.	498.28	lakhs
Gujarat	Rs.	1043	,,
Karnataka	Rs.	475	,,
Orissa	Rs.	852	,,
Rajsthan	Rs.	797	,,
Uttar Pradesh	Rs.	1000	,,
West Bengal	Rs.	441	,,
Haryana	Rs.	1100	,,
Himachal Pradesh	Rs.	270	,,
Tamil Nadu	Rs.	500	,, (Interim)
Andhra Pradesh	Rs.	500	,, (Interim)
Kerala	Rs.	200	,, (Interim)

(b) The Planning Commission have laid down the following procedure for processing of the flood control schemes for approval of the Planning Commission: —

(i) Scheme costing Rs. 2 crores or more are to be examined in detail by Ganga Flood Control Commission for schemes in Ganga basin and Central Water Commission for other States and recommended for approval of the Technical Advisory Committee of Planning Commission.

(ii) Schemes costing more than Rs. 50 lakhs but less than Rs. 2 crores are to be approved by the Planning Commission on proforma basis.

(iii) Schemes costing less than Rs. 50 lakhs are to be approved by the State Government on the recommendation of the Technical Advisory Committee of the State Flood Control Boards or the Board of Technical Consultants of the Brahmaputra Flood Control Commission or North Bengal Flood Control Commission as the case may be.

A statement showing the list of flood control schemes (state-wise) pending clearance indicating the present position is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. L.T.—1262/77.]**

डी० ए० पी० और पोटाश उर्वरकों का उपलब्ध न होना

2541. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विभिन्न केन्द्रों में किसानों के पहुंच में डी० ए० पी० और पोटाश उर्वरक सहज उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के ध्यान में यह बात लाने और इसकी सहज उपलब्धता निश्चित करने का है ताकि देश के किसी भी भाग में बीज बोने के कार्यक्रम और रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव न पड़े ; और

(ग) क्या किसानों तथा सहकारी समितियों से उन्हें दिए गए उर्वरक का भार कम होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार ने हाल ही में इन शिकायतों को दूर करने और उर्वरक कम तोलने से राहत देने के बारे में कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में पोटाश काफी मात्रा में उपलब्ध है। डी० ए० पी० की कमी की कुछ रिपोर्टें मिली है, परन्तु अन्य प्रकार के पोटाशपूरक व मिश्रित उर्वरक काफी मात्रामें उपलब्ध हैं जिन्हें डी० ए० पी० के स्थान पर काम में लाया जा सकता है ।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विशेषकर, देश के अन्दरूनी भागों में उर्वरकों की और अधिक खुदरा दुकाने खोलें । आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उर्वरकों को तुरन्त उठाने के लिए तुरन्त व्यवस्था करें ।

(ग) उर्वरकों के कम भार के विषय में 4 शिकायतें मिली हैं जिन्हें जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों व संबंधित विनिर्माताओं के पास भेजा गया है । इसके अतिरिक्त निर्णय किया गया है कि जहां तक हो सके आयातित उर्वरकों को स्टैंडर्ड माप के अनुसार थैलों में भर कर सप्लाई किया जाएगा और यदि किसी खेप में माल वजन में कम उतरे तो सामग्री की डिलीवरी होने से पहले 100% अदायगी की जाएगी ।

Grants to various Universities

2542. **Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the amount of grant given to various Universities during the year 1976-77 and 1977-78 ; and

(b) the criteria or procedure adopted for sanctioning grant to each University ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander) : (a) According to the information furnished by the University Grants Commission, the total grants released to universities (including institutions deemed to be universities) during the year 1976-77 were Rs. 5,680.55 lakhs. The total amount of grants released during 1977-78 (upto 29-11-1977) is Rs. 2,773.68 lakhs.

(b) Development grants to universities are approved on the basis of an assessment of the proposals of each university through visiting committees for a plan period. The approved grants are released in suitable instalments depending upon the progress of expenditure.

कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

2543. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) देश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पद्धति और परम्परा सुनिश्चित करने का है ; और

(घ) क्या एक या अधिक मामलों में छात्रों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की मांग की थी और विश्वविद्यालय प्राधिकारियो ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को मिलाकर जिसे कि 'डीम्ड' विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है 22 कृषि विश्वविद्यालय हैं। सभी विश्वविद्यालयों की एक सूची संलग्न है।

(ख) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अलावा जहां कि गुजराती माध्यम प्रारंभ कर दिया गया है, सभी विश्वविद्यालयो में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी व हिन्दी दोनो ही माध्यम हैं। जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपूर में, छः घटक (कांस्टीटुएंट) महाविद्यालयों में से तीन कृषि महाविद्यालय जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है जबकि रीवा, सीहोर और रायपूर में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है।

(ग) हां श्रीमान्। विश्वविद्यालयो को यह छूट दी गई है कि वे अंग्रेजी हिन्दी अथवा स्थानीय भाषाओं में से किसी को भी शिक्षा का माध्यम रखें।

(घ) जी हां, श्रीमान्। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की मांग की है। पता चला है कि विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल द्वारा यह सिफारिश की गयी है कि शिक्षा का माध्यम गुजराती और अंग्रेजी दोनों ही रखे जायें। इसके विषय में आगे के विवरण तथा पुष्टि गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा रही है।

विवरण

कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500 030।
2. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785 013 (असम)।
3. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, डा० खा० पूसा, जिला समस्तीपूर-848 125।
4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर (डा० दन्तीवाड़ा), जिला बनास कांठा (गुजरात)।
5. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-123 001 (हरियाणा)।
6. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, (एग्रो-कल्चरल कम्पलैक्स) समर हिल्स, शिमला-171 005 (हि० प्र०)।
7. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बाल, बंगलौर-560 024 (कर्नाटक)।
8. केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुत्तो-680 651 (केरल)।
9. जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपूर-482 004 (म० प्र०)।
10. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली-415 712 जि० रत्नागिरि (महा०)।
11. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी-413 722 जि० अहमदनगर (महा०)।

12. मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी-431401 (महा०) ।
13. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला-444001 (महा०) ।
14. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003 (उड़ीसा) ।
15. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-140001 ।
16. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001 (राज०) ।
17. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर-641003 (तमिलनाडु) ।
18. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 (उ० प्र०) ।
19. गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145, नैनीताल (उ० प्र०) ।
20. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ० प्र०) ।
21. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, हरिनघाटा, डा० खा० मोहनपुर, नाडिया-741246 (प० बंगाल) ।
22. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली । ('डीम्ड' विश्वविद्यालय)

शुष्क भूमि में खेती

2544. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सात महीनों के दौरान शुष्क भूमि में खेती करने में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं ;

(ख) ऐसी प्रक्रिया से कितना उत्पादन हुआ और अगले पांच वर्षों के दौरान इसकी क्या संभावनाएं हैं ; और

(ग) किन राज्यों में इस बारे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश का लगभग 75 प्रतिशत सस्यगत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है । यह कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक है । तथापि, अव्यवस्थित वर्षा के कारण उत्पादन स्थिर नहीं होता है । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और कृषि विभाग ने शुष्क-भूमि में खेती करने की नयी प्रौद्योगिकी के विकास और परीक्षण तथा उसे अपनाने के लिए देश के 24 चुनींदा क्षेत्रों में अनुसन्धान और मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू कीं । 1977-78 के दौरान अनुसन्धान केन्द्रों में विकसित शुष्क-खेती की प्रौद्योगिकी को अपनाने की उपयोगिता प्रदर्शित करने के लिए 19,200 हेक्टार अतिरिक्त क्षेत्र लिया गया । शुष्क खेती की उपलब्ध प्रौद्योगिकी आधार पर राज्यों के कृषि विभाग वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक फसल पैदा करने के लिए विभिन्न पैकेज पद्धतियों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं ।

दाल, कपास और तिलहनों को मुख्यत: वर्षा पर आश्रित फसलों के रूप में पैदा किया जाता है । आलोच्य वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा सचिवों के एक विशेष दल का गठन किया गया । उनकी सिफारिशों के आधार पर इन फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, विशेषकर शुष्क क्षेत्रो में विशेष कार्यक्रम शुरू किये गये । बीज की विभिन्न अवस्थाओं (प्रजनक, आधारी और प्रमाणिक) के उत्पादन, वनस्पति संरक्षण उपकरणों के रियायती वितरण और कीट नियंत्रण उपायों की परिचालनात्मक लागत पर आर्थिक सहायता के लिए उर्वरकों, विशेषकर फास्फेट, की खपत बढ़ाने के हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

1978-79 के लिए चने का अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है जिससे कि कृषक इस फसल, जोकि मुख्यतः वर्षा पर आश्रित फसल है, के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसे उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों पर व्यय कर सकें। इस वर्ष की कीमत 125/- रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि पिछले वर्ष यह 95/- रुपये थी।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के 74 जिलों में चलाया जा रहा है। भूमि संरक्षण और शुष्क-खेती इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। चालू वर्ष के लिए 1315.29 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है।

(ख) और (ग) शुष्क खती के परिणामस्वरूप पंजीकृत उत्पादन से सम्बन्धित जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है तथापि, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां तूफानी हवा और ज्वार भाटे की लहरोंसे फसलों को हानि पहुंची है, ज्वार, मूंगफली और कपास जैसी शुष्क फसलें की सम्भाव्यताएं साधारणतया अच्छी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण चालू वर्ष के दौरान बाजरा और मक्के की फसलों पर कुप्रभाव पड़ा। अगले पांच वर्षों के दौरान शुष्क फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा काली सूची में दर्ज किये गये ठेकेदारको ठेका दिया जाना

2545. **श्री पी० के० कोडियान**
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठेकेदार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच हुए विवाद के कारण मार्च, 1976 में वजीरपुर चरण III में फ्लेटों के निर्माण का ठेका निरस्त कर दिया था और फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया था गया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और फर्म का नाम क्या है ;

(ख) क्या इस विवाद के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई हानि हुई है, यदि हां, तो कितनी और यदि उसे पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिये पुनः टेण्डर मांगा गया था और उसे काली सूची वाले ठेकेदार को दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो (एक) पहले ठेके की अनुमानित लागत क्या थी, (दो) दूसरे टेके की अनुमानित लागत क्या थी, (तीन) ठेके की दर बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) काली सूची में दर्ज पिछले ठेकेदार को पुनः ठेका देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण नवम्बर, 1976 में ठेका रद्द कर दिया गया था। दिसम्बर, 1976 में ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज किया गया था। फर्म का नाम मैसर्ज उप्पल इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी है।

(ख) से (ङ) शेष कार्य के लिए मूल ठेकेदारों के जोखिम व उनकी लागत पर नए टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे। सबसे कम टेण्डर देने वाले के साथ बातचीत करके पहले से अधिक दर पर

ठका दिया गया । टेण्डरकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी थी जबकि काली सूची में दर्ज किया गया ठकेदार उसी नाम वाली फर्म का एक साझीदार था । समस्त कार्य के लिए प्रथम ठेके की अनुमानित लागत समस्त कार्य के लिए 41,02,850 रुपये थी । दूसरा ठेका केवल शेष कार्य के लिए था तथा इसका मूल्य 14,96,855 रुपये था । इस टेण्डरकर्ता की मद-दर पहले वाले टेण्डरकर्ता की अपेक्षा सामान्यतया ज्यादा थी लेकिन दो बारा आमन्त्रित टेण्डरों में यह सबसे कम दर थी ।

College for Trans-Yamuna area in Delhi

2546. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there are only two colleges in the trans-Yamuna area of Delhi ;

(b) whether these are inadequate to meet the requirement of this big area with a population of about ten lakhs ; and

(c) the number of new colleges to be opened there and the time by which these will be opened ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes Sir.

(b) and (c) According to the information furnished by the Delhi Administration the existing colleges are not inadequate to meet the requirements of that area and that it may establish additional college if it is considered necessary.

अनुसूचित जातियों द्वारा भूमि की बिक्री पर रोक

2547. **श्री क० मालप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसे कौन कौन से राज्य हैं जहां अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को दी गई भूमि को बेचने से रोकने तथा जो व्यक्ति ऐसी भूमि खरीदते हैं उन्हें दंड देने का कानून बनाया गया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बतायें हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) सरकार के पास उपलब्ध परती भूमि अथवा जोत की सीमा से राज्य के पास उपलब्ध हुई फालतू भूमि में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि अलाट की जाती है । अनेक राज्यो में अलाट की गई भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिये या तो भूमि के अलाटमेंट के नियमों या कानूनो में व्यवस्था की गई हो, ये प्रतिबंध सभी अलाटियों पर लागू होते हैं । भारत सरकार के पास उपलब्ध और जानकारी से यह पता चलता है कि इस प्रकार को व्यवस्था गुजरात और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यो में मौजूद हैं । यह बताया गया है कि मेघालय और नागालैंड में यह समस्या नहीं है और जम्मू तथा कश्मीर में सभी हस्तांतरण राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किये जाते हैं । अप्राधिकृत हस्तांतरणों को अवैध घोषित कर देने की व्यवस्था है । आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्रेता को दण्ड देने के लिये कानून में व्यवस्था है ।

(ख) जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के बारे में 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के पश्चात् जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शनों के अनुसार भूमि-हीन कृषि श्रमिकों विशेषकर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सबंधित हैं, को जोत की सीमा से फालतू हुई भमि प्रदान करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । हस्तांतरणों पर सजा देने के सुझाव के बारे म कोई मार्गदशन जारी नहीं किए गए हैं ।

फार्म मशीनीकरण

2548. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग फार्म मशीनीकरण तथा ट्रेक्टरों के प्रयोग के पक्ष में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) योजना आयोग इस प्रकार के फार्म मशीनीकरण के खिलाफ नहीं है, परन्तु यह कम्बाईन हारवेस्टर की तरह की मशीनरी के पक्ष में नहीं है, जिससे काफी श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। जहां तक ट्रैक्टरों का संबंध है यह उनका सीमित तथा कठिन परिस्थितियों में उपयोग के पक्ष में है। तथापि, यदि उचित ढंग से किये गये ताजा अध्ययनों के आधार पर आवश्यक समझा जाये तो वह अपने वर्तमान विचारों को बदलने के लिये तैयार है।

(ख) योजना आयोग के उक्त विचारों पर सरकार विचार कर रही है।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति को आबंटित की गयी अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल

2549. **चौधरी बलवीर सिंह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली को आबंटित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है और आबंटन की क्या शर्त है;

(ख) समिति के पास पहले से ही उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल और ऐसे प्लाटों के आकार का ब्योरा क्या है, जिनका अभी विकास/आबंटन किया जाना है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, अनुमोदित ले आऊट प्लान के मुताबिक अतिरिक्त भूमि में से कांटे गये प्लाटों की संख्या और उनके आधार का ब्यौरा क्या है और क्या वे समिति में पंजीकृत सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार हैं; और

(घ) क्या ले आऊट प्लान की प्रतियां समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई थी और समिति ने उनके सुझाव/टिप्पणियां मांगी थीं और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) समिति ने सामान्य शर्तों के आधार पर पट्टे पर 49 बीघे 14 बिस्वे अतिरिक्त भूमि का आबंटन किया गया था।

(ख) 160-167 वर्ग गज के प्रत्येक 16 प्लाट, 176 वर्ग गज का 1 प्लाट और एक अन्य 250 वर्ग गज का प्लाट आबंटन के लिये उपलब्ध है। 49 बीघे और 14 बिस्वे अतिरिक्त भूमि का विकास अभी किया जाना है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले-आउट के अनुसार अतिरिक्त भूमि में 97 प्लाट काटे गये हैं । प्लाटों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	प्लाट का आकार	प्लाटों की संख्या
1.	125–150 वर्ग गज	39
2.	151–200 वर्ग गज	6
3.	201–250 वर्ग गज	19
4.	251–300 वर्ग गज	1
5.	301–350 वर्ग गज	1
6.	351–375 वर्ग गज	31
		97

भूमि की उपलब्धता तथा बृहत योजना में निर्धारित जन संख्या के घनत्व को ध्यान में रख कर प्लाटों को काटा गया है ।

(घ) सदस्यों को उन्हें आवंटित प्लाटों के उप-पट्टे का निष्पादन करते समय अनुमोदित ले-आऊट प्लान की प्रतियां दे दी जाती हैं । क्योंकि ले-आऊट बृहत् योजना के उपबन्धों के अनुसार सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है, समिति से सुझाव/टिप्पणियां आमन्त्रित नहीं की जातीं ।

छठी योजना के दौरान गुजरात को केन्द्रीय आवास सहायता

2550. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के विकास के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में गुजरात राज्य से पता लगाया है ;

(ख) क्या पहले भी योजनाओं के दौरान गुजरात राज्य की अपेक्षा की गई थी और अपनी आवास योजनाओं के लिए उसे केन्द्र से कम धनराशि प्राप्त हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार कितनी योजनाओं में सहायता देगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) सरकार ने राज्य सरकारों को छटी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने प्रस्ताव भेजने के लिए अभी तक नहीं कहा है ।

(ख) से (ङ.) राज्य को केन्द्रीय सहायतों 'समेकित अनुदानों' तथा 'समेकित ऋणों' के रूप में दी गई थी और यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं वे स्वयं निर्धारित करें। यह इस समय बताना मुश्किल है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को सहायता दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू मोतीनगर के स्लम प्रगृहों की मरम्मत

2551. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को अगस्त, 1976 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू मोतीनगर में अनेक स्लम प्रगृह आबंटित किये थे ;

(ख) क्या आबंटित क्वार्टरों में आवश्यक मरम्मत कराने के लिए आबंटितयों ने अनेक अभ्यावेदन दिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है और मरम्मत कब तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) भवनों की सामूहिक सेवाओं तथा सम्मिलित भागों की मरम्मत पहले ही कर दी गई है।

सिंचाई के पानी की दरों में असमानता

2552. **श्री वसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों के लिये किसानों को दिये जाने वाले सिंचाई के पानी की दरों में बहुत अधिक असमानता है;

(ख) यदि हां, तो सिंचित महत्वपूर्ण फसलों के लिए राज्य-वार तथा फसलवार किसानों से वसूल की जाने वाली पानी की दरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कृषि उन्नत उत्तरी राज्यों में वसूल की जाने वाली सिंचाई की दरें बहुत कम हैं जबकि देश के पश्चिमी तथा दक्षिणी राज्यों में ये बहुत अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो लघु तथा सीमान्त किसानों के हितों को बढ़ने की व्यवस्था करने तथा पानी की बढती हुई आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से नियन्त्रण में रखने के लिये सिंचाई की दरों के राष्ट्रीयकरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों के लिये जल-प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत पानी की दरों का ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1263/77**]

(ग) और (घ) : सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी की दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं और कुछ मामलों में तो एक ही राज्य में एक परियोजना से दूसरी परियोजना से भिन्न हैं। इस समय ली जा रहीं पानी की दरें कुल कार्य-प्रचालन एवं ब्याज प्रभारों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जल दरों में वृद्धि तथा युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर बहुत से सम्मेलनों एवं बैठकों में विचार किया जा चुका है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए समान जल दरों के ढांचे की तैयार करने के लिए अंतर्विभागीय जल-दर पुनरीक्षण बोर्डों की स्थापना की जाए।

आन्ध्र प्रदेश में दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2553. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय संस्कृति

2554. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय के महत्व पूर्ण देशों में भारतीय संस्कृति की क्या नियति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : भारत सरकार विदेशों में भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करने तथा विदेशी सरकारों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों की प्रोन्नती से सम्बन्धित है। यह विभिन्न क्षेत्रों के ख्याती प्राप्त भारतीयों को भेजती है तथा भारतीय अध्ययनों में रुचि रखने वाले विख्यात विदेशियों को भारत आने हेतु आमन्त्रित करती है। आशा है कि इस के माध्यम से विदेशों में भारतीय संस्कृति की सूझबूझ बेहतर होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण समितियों के ले आऊट प्लानों का अनुमोदन करने से अनावश्यक विलम्ब

2555. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की ऐसी गृह निर्माण समितियों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें भूमी आबंटित की गई है और ऐसी समितियों की संख्या कितनी है, जिन्हें भूमि का कब्जा दे दिया गया है और किस किस तारीख को आबंटन एवं दखल दिया गया;

(ख) कितने मामलों में इन समितियों के ले आऊट प्लान का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) उनके ले आऊट प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण को किस तारीख को प्रस्तुत किये गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ले आऊट प्लान और विकास योजना का अनुमोदन करने से एक वर्ष से भी अधिक समय लगाता है; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी सहकारी समितियों को शीघ्र से शीघ्र भूमी आबंटित करने और उनके ले आऊट का अनुमोदन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ड.) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

काजू के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन

2556. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के उत्पादन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि विश्व संस्थाओं से इसके उत्पादन के लिए कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) भारत सरकार काजू उगाने वाले प्रमुख राज्यों में चलाई गई विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिये काजू उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है ।

राज्य सरकारों द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों के संबंध में, राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) **उत्पादकों के फलोद्यानों में प्रदर्शन भूखण्डों को आयोजित करना** : इस योजना का उद्देश्य यह है कि उन्नत फार्म तकनीकों (अर्थात उसी प्लाट में खाद डालने और वनस्पति रक्षण उपायों) को अपनाने का प्रभाव का प्रदर्शन किया जाये । वर्ष 1975-76 के दौरान 0·8 हैक्टार में प्रति भूखंड को राज सहायता के रुप में 300 रु० की राशि दी गई थी, जिसमें 1976-77 के दौरान बढ़ाकर 500 रु० कर दिया गया था ।

(2) **उत्पादनक्षम प्रसार द्वारा काजू का सुधार** : इस योजना का उद्देश्य "इन सीटू" पंक्तिबद मुकुलन अथवा शल्कल कलम या पार्श्व कलम द्वारा उत्पादनक्षम प्रसार की तकनीकों को अपनाकर हाल ही में लगाए गये काजू के उन बागानों का सुधार करना है, जिनमें कम उत्पादनशील पौधों का रोपण किया गया हैं, ताकि उन्हें अधिक उत्पादनशील वृक्षों में परिवर्तित किया जा सके । श्रमिक व्यय, औजार और उपकरणों की लागत, स्टाफ और अनुचर सुविधाओं संबंधी सारा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(3) **संवर्धक उद्यानों की स्थापना :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के अनुसंधान केन्द्र में विकसित: श्रेष्ठ किस्म के बीजों से क्लोनल फलोंद्यानों और निजी फलोदयानो मे बढीया किस्म के अधिक उत्पादनशील वृक्षों का लगाना है, जिससे वे भविष्य प्रसाद सामग्री के लिए बृहत स्तर पर एककों के रुप में कार्य कर सकें। स्टाफ सहित फलोद्यानों को लगाने, उत्पादन क्षम प्रसार, औजारो वनस्पति रक्षण उपकरणों और उपस्करों की लागत संबंधी पूर्ण वित्तीय सहायता फलोद्यानों को लगाने की तारीख से पांच वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(4) **चौथी योजना के दौरान 4000 हेक्टार में पौद रोपण किए गए काजू का रख रखाव :** इस योजना के अन्तर्गत, चौथी योजना के दौरान विभागीय क्षेत्रों में 4000 हैक्टार क्षेत्र में पौद-रोपण किए गए काजू की पांचवी योजना में रख-रखाव करने की व्यवस्था है। राज्यों को चार वर्ष की अवधि के लिए 900 रु०प्रति हैक्टार के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है जिसे 1976-77 में चार वर्ष के लिए 1480 रु० तक बढ़ा दिया गया था।

(5) **विभागीय और गैर विभागीय क्षेत्रों में काजू का साहाय्य पौद रोपण :** 6 वर्ष की अवधि के दौरान विभागीय क्षेत्रों के अंतर्गत 60000 हैक्टार क्षेत्र और गैर-विभागीय क्षेत्रों के अंतर्गत 85000 हैक्टार क्षेत्र लाने की दृष्टि से यह योजना, वर्ष 1976-77 में स्वीकृत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, विभागीय पौद-रोपण के लिए 500 रु० प्रति हैक्टार की दर से और गैर-विभागीय पौद-रोपण के लिए 300 रु० प्रति हैक्टर, की दर से सहायता दी जाती है। यह धनराशि दो वर्ष की अवधि में दी जाती है।

(6) **आंध्र प्रदेश में अभिजात काजू के बीजों का संग्रह और वितरण :** इस योजना का उद्देश्य नेलौर जिले में आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा, 50 हैक्टार क्षेत्र में रोपित अधिक उत्पादन शील वृक्षों की ज्ञात तथा परीक्षित किस्मों से बढ़िया किस्म के बीजों का संग्रह करना है। भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसमें बागानों की क्रमबद्ध खेती करने और रख-रखाव का पूरा व्यय शामिल है।

उपर्युक्त योजनाओं के लिए 1975-76 और 1976-77 के दौरान काजू उगाने वाले विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दे दिया गया है :

राज्य	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	
	1975-76	1976-77
1. केरल . .	7.597	25.442
2. कर्नाटक . .	5.087	12.587
3. आंध्र प्रदेश .	5.027	7.671
4. तमिलनाडू . .	9.687	18.648
5. उड़ीसा . .	7.867	27.522
6. महाराष्ट्र . .	4.237	11.322
7. पश्चिम बंगाल	0.450	0.272
8. गोवा .	1.200	6.232

(ग) वर्ष 1977-78 से विश्व बैंक की सहायता से एक केरल कृषि विकास नामक परियोजना क्रियान्वयन के लिए शुरु की गई है, जिसका परिव्यय 61.90 करोड़ रु० होगा। इस परियोजना के अंतर्गत, विश्व बैंक 2280 हैक्टार क्षेत्र में राजकीय काजू के बागानों को दुबारा लगाने और केरल राज्य के कन्नौर जिले में 1470 हैक्टार क्षेत्रों मे नये पौद-रोपन के लिए 10.0 लाख डालर (लगभग 90 लाख रु०) का ऋण दे रहा है।

Suicide by a Junior Stenographer of DDA

2557. **Shri Ram Vilas Paswan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Kamal Kant Chadda, a junior stenographer, of the Delhi Development Authority committed suicide by leaping from the seventeenth floor of the Vikas Minar on the 18th May, 1977 ;

(b) whether it is also a fact that Shri Kamal Kant Chadda committed suicide because of the harassment by the bureaucracy ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir. Shri Kamal Kant Chadda had committed suicide on 19-5-1977 (and not on 18-5-1977).

(b) & (c) It transpires that Shri Kamal Kant Chadda felt so. Services of Shri P. L. Madan, against whom Shri Chadda had a grievance, were terminated.

सोवियत गेहूं ऋण की वापसी के लिये बातचीत

2558. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री रामधारी शास्त्री
श्री लालजी भाई
श्री माधवराव सिन्धिया
श्री विजय कुमार मल्होत्रा } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत गेहूं ऋण की वापसी के लिये भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सोवियत रुस को गये दल ने सोवियत सरकार के साथ समझौता किया है ; और यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ख) भारत सरकार किन शर्तों पर गेहूं ऋण को वापस करने को सहमत हुई है ; और

(ग) ऋण के गेहूं की मात्रा से कितनी अधिक मात्रा में गेहूं इस आधार पर वापस लिया जा रहा है कि भारतीय गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कम है और गेहूं की किस्म भी घटिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) जुलाई, 1977 में नई दिल्ली में हुई चर्चा के बाद दो दल–एक भारत सरकार की ओर से और दूसरा भारतीय खाद्य निगम की ओर से-सितम्बर 1977 में मास्को गए थे। ये दल 1973-1974 में प्राप्त उधार गेहूं की वापसी के बारे में सोवियत रुस के साथ गेहूं की वापसी संबंधी शर्तों पर आगे बातचीत करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए गए थे।

इस बातचीत के परिणामस्वरूप, भारत सरकार और सोवियत रुस के बीच 28 सितम्बर, 1977 को एक करार हुआ था। करार में 14.98 लाख मीटरी टन गेहूं भारतीय बन्दरगाहों पर जहाज तक मित्रभार के आधार पर वापस करने की शर्त थी जिसका जहाजों पर लदान अक्तूबर, 1978 तक पूरा होना है। इस करार के आर्टीकल 4 के अनुसरण में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और मास्को के 'एक्सपोर्टखलेब' के बीच 28 सितम्बर, 1977 को एक ठेके पर हस्ताक्षर हुए जिसमें करार को कार्यान्वित करने के लिए माल की किस्म, लदान और अन्य विस्तृत प्रबन्ध करने की व्यवस्था थी।

7.76 लाख मीटरी टन सोवियत गेहूं (किस्म में यू०एस० हार्ड नं० 2, रेड विन्टर व्हीट के समतुल्य), 3.97 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलिया की गेहूं और 2.98 लाख मीटरी टन कनाडा की गहूं जोकि कुल 14.71 लाख मीटरी टन गेहूं बनती है जोकि करार के हस्ताक्षर की तारीख को सोवियत रुस को वापस करने के लिए शेष मात्रा बैठती है, इस मात्रा के प्रति 7.50 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलिया की पानक सफेद गेहूं, 3.50 लाख मीटरी टन यू०एस० नं० 2 हार्ड रेड, विन्टर व्हीट, 1.40 लाख मीटरी टन यू०एस० नं० 2 वेस्टर्न वाइट व्हीट और 2.58 लाख मीटरी टन भारतीय गेहूं जोंकि कुल 14·98 लाख मीटरो टन बनती है, वापस करने का निश्चय किया गया है। अक्तूबर, 1973 में भारतीय खाद्य निगम और एक्सपोर्ट खलेब के बीच हुए ठेके के अनुसार, क्योंकि सोवियत रूस के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का जहाजों पर लदान करना है, यह गेहूं सोवियत रुस से प्राप्त गेहूं की किस्म के तुल्य या बेहतर होनी चाहिये, इसलिए सोवियत रुस से प्राप्त गेहूं और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली प्रस्तावित गेहूं के बीच किस्म संबंधी अन्तर पर विचार करते हुए भारत सरकार ने लगभग 28,000 मीटरी टन गेहूं की अधिक मात्रा देने का निश्चय किया है।

कोसी और गण्डक परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2559. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी और गण्डक परियोजनाओं के लिए कुवैती आर्थिक विकास निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कुवैती आर्थिक विकास निधि ने भारत की भेड प्रजनन और कृषि परियोजनाओं को स्थापना में रूचि दिखाई है ; और

(घ) यदी हां, तो सरकार को क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी परियोजनाओंके क्रियान्वय के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) कोसी और गण्डक सिंचाई परियोजनाओं को अरब आर्थिक विकास सम्बन्धी कुवैत निधि में से किसी धनराशी की मंजूरी नहीं दी गई है। केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने अक्तूबर 1977 की अपनी कुवेत यात्रा के दौरान कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री से बातचीत की थी उक्त विचार-विमर्श मे कुवेत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कोसी बाढ़ नियंत्रण-एवं-सिंचाई परियोजना और भेड़पालन एवं फल उगाने के संयुक्त उद्यमों में रुचि प्रकट की थी। कुवेत के प्राधिकारियों ने बताया था कि वे हमारे राजदूत की मार्फत एक नोट भेजेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि विचार विमर्श के दौरान औद्योगिक और आर्थिक सहकारिता को बढ़ाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्धारित किए गए थे ताकि दोनों पक्षों द्वारा अनुगामी कार्रवाही की जा सके। सरकार मामले की जांच कर रही है।

सिक्किम में कालेज

2560. **श्री के० बी० चेत्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कीम में एक भी पूर्ण विकसित कालेज नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सिक्किम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1976 में गंगटोक में एक डिग्री कालेज स्थापित किया गया था। 1976-77 के दौरान यह कालेज सायंकालीन कक्षाएं चला रहा था। चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान कालेज में नियमित दैनिक पाठयक्रम शुरू कर दिए गए हैं।

Supply of Foodgrains to Employees of State Farms Corporation

2561. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether employees of the State Farms Corporation were supplied foodgrains at a price 10 per cent less than the market price and whether they are still being supplied foodgrains at the same rate ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): At present, wheat and other cereals are being supplied to the employees of various Farms of the State Farms Corporation of India at the following rates:—

(i) Fair average quality wheat. .	Issue price of FCI viz. Rs. 125/- per quintal.
(ii) Cut-grain wheat	Procurement price of FCI viz. Rs. 110/- per quintal.
(iii) Other cereals	10% less than the prevailing market rate.

जम्मू और काश्मीर में नदियों के कटाव से प्रभावित हुई जमीन

2562. **श्री बलदेव सिंह जतरोया :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में गत तीन वर्षों में नदियों के कटाव से कुल कितनी भूमि प्रभावित हुई।

(ख) मंत्रालय का इस दिशा में शीघ्र क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) इस सम्बन्ध में मंत्रालय की दीर्घकालीन नीति क्या है ; और

(घ) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में तहसील जम्मू में तबीयां नामक बीस गांव और अखनूर तहसील में पर्गवाल क्षेत्र क्रमश: तबी नदी और इसकी सहायक नदियों और चीनाव नदी के कारण खतरे में हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (घ) जम्मू और कश्मीर में पिछले तीन वर्षों में नदियों से कटे क्षेत्रों के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) नदी-कटाव-रोधी निर्माण कार्य बाढ़ सेक्टर का भाग होते है, जो राज्य विषय है, और बाढ़ नियंत्रण उपायों के, जिनमें नदी-कटावरोधी निर्माण कार्य भी शामिल है, प्रस्तुत करने, उन्हें तयार करने और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अनुरोध पर इस सेक्टर से सम्बन्धित तकनीकी मामलों पर सहायता प्रदान करती है।

जम्मू और काश्मीर में नदी-कटाव की समस्या के बारे में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए जाली मंजूरी आदेश

2563. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम म कुछ अधिकारियों ने एक बड़ी राशि का जाली मंजूरी आदेश तैयार किया, एक जाली चैक तयार किया परन्तु वे इसको भुनाने की कोशिश करते समय एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों द्वारा पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) प्रश्न में तथाकथित घटना का ब्यौरा नहीं दिया गया है। सम्भवतया यहां उस मामले का उल्लेख किया गया है, जोकि जून, 1975 में केन्द्रीय भाण्डागार निगम म हुआ था, जिसकी स्थिति नीचे दी गई है :—

तथाकथित स्टेशनरी को छपवाने के लिए 27,745 रु० की धनराशि का भुगतान करने हेतु एक नकली मंजूरी आदेश के आधार पर, निगम ने तथाकथित मुद्रक के पक्ष में 10-6-75 को एक चैक जारी किया था ; संबंधित पार्टी द्वारा चैक को भुना सकने के पूर्व ही बैंक से भारी धनराशि होने की दृष्टि से निगम से चेक की प्रामाणिकता के बारे में पूछ-ताछ की और संबंधित पार्टी ने बैंक में केवल कुछ दिन पूर्व ही खाता खोला था। तब यह पाया गया कि वह दावा नकली था और चेक के भुगतान को रोक दिया गया था। इस संबंध में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर दी गई, जिन्होंने निगम को सूचित किया है कि जांच अधिकारी ने इस संबंध में इस कारण कि इस मामले का पता नहीं चल रहा, अन्तिम फार्म प्रस्तुत कर दिया है।

निगम ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की। प्रबंध को जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसके निष्कर्षों की दृष्टि में उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भविष्य में ऐसे कोई मामले न होने पाएं, निगम ने उपर्युक्त प्रशासनिक उपाय किए हैं और कार्यविधि में सुधार किया गया है ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर न होने पाएं।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के लिए समिति

2564. **श्री रोबिन सेन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के प्रशासन के कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिए जय कृष्ण समिति गठित की थी ; और

(ख) यदि उपरोक्त समिति ने असंगतियां आदि दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) उच्च कोटि और स्तर की अखिल भारतीय संस्थाओं के रूप में कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय और राज्य संसाधनों से वित्तपोषण की पद्धति सहित इन कालेजों के भावी गठन के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए जनवरी, 1972 में रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति डा० जय कृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के कार्यकरण के पुनरीक्षण हेतु किया गया था।

2. इस समिति ने फरवरी, 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :–

(i) संसद के एक अधिनियम द्वारा इन इंजीनियरी कालेजों के लिए एक ऐसी परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जिसके पास डिग्रीयां प्रदान करने और अनुदानों के संवितरण के अधिकार हों ;

(ii) अलग-अलग कालेजों के स्वायत्त शासक बोर्ड होने चाहिए ;

(iii) दो संसाधनों से इन कालेजों का वित्तपोषण होना संतोषजनक नहीं है, और इन कालेजों के लिए भावी वित्तीय जिम्मेदारी पूर्णत: केन्द्रीय संसाधन से होनी चाहिए।

3. पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने 17 मई, 1974 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। परिषद ने सिफारिश की कि (क) नीति संबंधी मामलों में परामर्श देने और इन कालेजों हेतु मार्गदर्शी रुपरेखाएं निर्धारित करने के लिए इन इंजीनियरी कालेजों के लिए संविधिक परिषद् के स्थान पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए, (ख) केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए शासी मंडल के गठन में संशोधन होना चाहिए, और (ग) दाखिलों और भर्ती दोनों की नीतियों से संबंधित इन कालेजों के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखा जाना चाहिए। बाद में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 21 मई, 1976 को हुई अपनी बैठक में सलाहकार समिति का विधान निर्धारित किया।

4. तदनुसार इन कालेजों की सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। इन कालेजों के शासक बोर्ड के गठन में भी संशोधन कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कालेजों के वित्त पोषण की वर्तमान पद्धति सन् 1974-75 से अगले पांच वर्षों की अवधि तक जारी रहनी चाहिए ।

Irrigation Schemes For Ladakh

†2565. **Shrimati Parvati Devi** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of irrigation schemes under consideration for Ladakh at present;

(b) the names of the irrigation schemes recommended by the State Government for approval of the Central Government; and

(c) the reaction of Government to these schemes ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (c) According to the information furnished by J.&K. State Government the following irrigation schemes have so far been taken up for Ladakh:

A.—*Schemes continuing from IV Five Year Plan*

1. High Level Mercellang (originally Stakna Irrigation Project).
2. Kharbathang Canal.
3. Abhichannothang Canal.
4. Upshi Canal.
5. Garjarthang Canal.
6. Khumbathang Canal.

B.—*New Schemes taken up during* 1977-78

7. Sasoma Irrigation Scheme.
8. Irrigation Canal for Hanley.
9. Irrigation Scheme for development of pastures in Chongthang.
10. Irrigation Canal at Bodth Karboo.
11. Canal at Dehtang.
12. Chek Dam at Tomail.
13. Chek Dam at Brokdog.
14. Remodelling for Stakna Khul.
15. Irrigation Scheme at Lathoo.

Of these, the first two schemes namely, Stakna Irrigation Project and Kharbathang Irrigation Schemes, being medium irrigation schemes, were sent to the Central Government for approval as required under the approved procedure and both were forced to be technically acceptable. No other irrigation scheme has been recommended by the State Government for approval of the Central Government.

Sukhi River Irrigation Scheme in Gujarat

†2566. **Shri Amarsinh V. Rathawa :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the time by which Sukhi river irrigation scheme in Vadodhara district in Gujarat will be completed and the acreage of land to be irrigated under this scheme ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): Sukhi Irrigation Project has been approved by the Planning Commission in February, 1977. The preliminary works have been started, and the project is expected to be substantially completed during the next Five Year Plan subject to the availability of adequate funds. The project, on completion, will provide annual irrigation to an area of 21,246 hectares.

पुरूषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात

2567. **श्री धर्मवीर वशिष्ट : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषदके हाल ही के प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमे बताया गया है कि स्वाधीनता के वर्षों में पुरुषों की तुलना मे महिलाओं के अनुपात मे न केवल जनसंख्या-वार अपितु कार्य-शक्ति में भी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है, तो वह क्या है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा सम्बंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को भेज दी गई है ताकि अपनी-अपनी योजना तैयार करते समय वे सुझावों का उचित उपयोग कर लें।

Development of Hindi and Sanskrit in Universities

†2568. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Hindi and Sanskrit are not developing in the Universities as compared to other languages, if so, the reasons therefor ;

(b) whether Hindi and Sanskrit will be developed through the medium of other languages, particularly English ; and

(c) if so, the details of the programme, if any, started by the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a), (b) and (c) No comparative study about the development of different languages in Universities has been carried out. Regarding development of Hindi and Sanskrit through the medium of English, Government have correspondence courses through Central Hindi Directorate and Rashtriya Sanskrit Sansthan, respectively. In case of Hindi, Tamil has also been adopted as a medium and it is proposed to add other languages gradually.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य भविष्य निधि के लेखों का सम्भाला जाना

2569. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य भविष्य निधि के लेखे सही रूप में नहीं संभाले जा रहे हैं और इसके कारण कर्मचारियों में काफी असंतोष व्याप्त है ;

(ख) विलुप्त हुए 'क्रेडिटों' को ठीक करने के लिये सरकार कोई तारीखें निश्चित क्यों नहीं करती तथा इन निश्चित तारीखों तक वह कार्य पूरा करने में कर्मचारियों से यदि कोई भूल होती है तो उन्हें इसके लिये उतरदायी क्यों नहीं ठहराती ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सरकारी कर्मचारियों को पूर्णरूप से यह विश्वास दिलाना असम्भव है कि उनके खाते बिना किसी त्रुटि के सही ढंग से रखे जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) वर्ग 'घ' कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित स्टाफ के लेखे का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग हिसाब किताब रखता है और इससे कोई असन्तुष्टि नहीं है। वर्ग 'क' 'ख' और 'ग' के कर्मचारियों के लेखे संबंधी कार्य का महालेखा के कार्यालय से मंत्रालय के वेतन तथा लेखा अधिकारियों को हस्तान्तरण करने से कुछ अस्थायी अन्त विवर्ती समस्याएं उत्पन्न हुई थीं किन्तु अधिकांश कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं। मुख्यतया प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के उन संगठनों ने वसूली एवं जमा रकम का पूरा हवाला नहीं भेजा है, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर गये हैं उनके संबंध में अभी खातों में त्रुटि हैं। उनके विवरण प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेखा रखना एक सतत प्रक्रिया है और अस्थायी असंगतियां समय समय पर उठती ही हैं किन्तु इन्हें यथा सम्भव शीघ्र दूर किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के यूवाओं के लिए वयस्क शिक्षा

2570 **श्री के०प्रधानी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए वयस्क शिक्षा का कोई बृहत् कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) 15-35 आयु वर्ग की कुल लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों की जनसंख्या को, कार्यक्रम शुरू होने से पांच वर्षों के अन्दर शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए एक व्यापक प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन 2 अक्तूबर 1978 को होगा, शुरु करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिलाओं तथा पुरुषों में निरक्षरता तथा शैक्षिक वचन की समस्या पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है।

Promotion of Education in Hilly Area

2571. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether any scheme for promotion of education in the hilly areas is under consideration of Government ;

(b) Whether any Central Educational Institutions are likely to be opened in the hilly areas during the financial year 1977-78 ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by the Government for promotion of education in hilly areas ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The States and Union Territories in which the hilly areas are located, are expected to assess the requirement of the hilly areas in regard to educational facilities and provide for these in their Plans. There is no separate scheme in the Ministry of Education for promotion of education in the hilly areas.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise in view of (a) and (b) above.

Gupta Age Caves in Thar district of M.P.

2572. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item in the 'Hindustan' dated the 26th September, 1977, regarding discovery of Gupta Age Caves in the Thar District of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) Seven unfinished caves, assignable roughly to the Gupta period on the basis of moulding on one of the pillars, have been discovered in a damaged condition in Bagh, District Dhar, Madhya Pradesh. The caves are located on the left bank of the river Baghuni, about half a km to the south of the Mahakalesvara temple.

पांचवी लोकसभा के सदस्यों की ओर से उनसे अधिक मकान किराया वसूल किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें

2573. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वसन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पांचवी लोकसभा के सदस्य तथा उनके प्रतिनिधियों की ओर से, सीधे हो अथवा लोकसभा सचिवालय के माध्यम से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि उन्हें दिये गए आवास के लिए गलत बिल बनाकर उनसे अधिक मकान किराया वसूल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वसूल किए गए अधिक किराये को लौटाने अथवा किसी अन्य ढंग से हिसाब में लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) कोई सांख्यिकीय रिकार्ड नहीं रखा जाता है, किन्तु फर्नीचर देने और वापस लेने, भवनों में परिवर्धन एवं परिवर्तन और नेमी गणना की मणितीय त्रुटियों के बारे में सामान्यतया शिकायतें मूल्यांकन से संबंधित होती हैं।

(ग) इस संबंध में शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और उन्हें दूर किया जाता है। अधिक राशि यदि कोई हो, या तो नकद वापस कर दी जाती है या अगले किराया बिलों में जैसी भी स्थिति हो, समायोजित कर दी जाती है।

Import of Tiger (Cheetah)

2574. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether Government propose to import tiger (cheetah) from Africa and Iran with a view to check its breed from extinction and leave them in protected forests and animal sanctuaries to increase their breed ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): Government have taken no decision to import the cheetah from Africa or Iran.

वृक्षों के काटने पर प्रतिबन्ध

2575. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर वनों के काटे जाने के परिणामस्वरूप हिमालय की उर्वरता और सौंदर्य घटता जा रहा है और मिल्या और पिंडारी जैसे ग्लेशियर बर्फ के पिघल जाने से पतले होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या समस्या के और अधिक गम्भीर रूप लेने और उप-महाद्वीप को विनाश से बचाने के उद्देश्य से सरकार का विचार आगामी बीस वर्षों के लिये वृक्षों के काटने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वनों की कटाई रोकने का क्या कार्यक्रम है और इसको क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार इस बात से अवगत है कि आरक्षित वनों के बाहर बड़े पैमाने पर वृक्ष काटे गए हैं, परन्तु बर्फ के पिघल जाने से ग्लेशियरों के पतले होने के कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) आगामी बीस वर्षों के लिए वृक्षों के काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है ।

(ग) 'हिमालय के क्षेत्रों में संमेकित मृदा और जल संरक्षण' के बारे में एक योजना तैयार की गई है और आशा है कि यह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मिजोराम के पहाड़ी क्षेत्रों में 1977-78 से शुरू हो जाएगी । इस योजना में अन्यों के अलावा बड़े पैमाने पर चरागाह विकास, वनारोपण, के खतरनाक क्षेत्रों में कृषि भूमि सीढीदार खेत बनाने और पर्वतीय चरागाहों का उपचार किया जाएगा । चूंकि आरक्षित वन के बाहर के क्षेत्र अधिकतर प्रभावित होते हैं, अतः ऐसे खतरनाक अपक्षरित क्षेत्रों में निर्माण-कार्य उप स्रवण क्षेत्र के आधार पर शुरू किया जाएगा । इस वर्ष और आगामी वर्षों के कार्यक्रम के आकार, केन्द्रीय सहायता, आदि के स्वरूप के बारे में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

Correspondence Course in B.Ed., L.L.B. and L.L.M.

2576. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the advertisements appearing in the prominent dailies to the effect that the (i) B.Ed (ii) LL.B, (iii) LL.M examination could be passed direct through correspondence or privately through Semester-System through Hindi medium ;

(b) the names of the Universities conducting these examinations ; and

(c) the full details thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chundur): (a) The Government are aware of the advertisements issued in the newspapers by private coaching institutions relating to passing privately B.Ed. and LL.B. examinations.

(b) and (c) According to the information furnished by the University Grants Commission, a proposal of the Jammu University for institution of two year LL.B. (Academic) course through correspondence has been accepted. The Universities of Madurai and Mysore also offer correspondence course for B.G.L.

The Universities of Bombay, Jammu, Mysore and Rajasthan offer correspondence courses for B.Ed. degree. In Jammu and Kashmir a teacher having a bachelor's degree and minimum service of 7 years is eligible for admission to the correspondence course in B.Ed. In Rajasthan the corresponding experience is 3 years in a recognised educational institution. Universities of Bombay and Rajasthan offer Hindi as medium of examination. No University is providing facilities for studies leading to LL.M. degree through correspondence course.

Purchase of paddy by Rice Mills below Procurement Price

2577. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether rice mills are purchasing paddy from the farmers at a rate Rs. five to ten lower than the rate fixed by the Government ; and

(b) the arrangements proposed to be made by Government to ensure prescribed rates of paddy to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Information received from the State Governments show that there are no complaints of purchases of paddy from the farmers by Rice Mills at rates lower than that fixed by Government.

(b) Food Corporation of India, whenever it operates as procurement agency, and the State Governments, have made extensive arrangements by opening purchase centres for purchasing all the paddy of fair average quality offered by the producers at the support prices fixed by the Government for different varieties. On receipt of any complaint, wherever and whenever the prices fall below those fixed by the Government, purchases are made by these agencies at the prescribed support prices.

उड़ीसा में फूलबनी में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग

2578. **श्री बाटचा डिगल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य में फुलबनी जिले में उपयोग के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि रखी गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) यदि कुछ राशि लौटाई गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के फुलबनी जिले में उपयोग के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 284.65 लाख रूपये की धनराशि रखी गई थी।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 213.49 लाख रुपये उपयोग में लाए गए थे ;

(ग) कर्मचारी-वर्ग को नियुक्ति न होने के कारण 19,000 रुपये की धनराशि वापस कर दी थी।

उड़ीसा में 'फूड फार वर्क्स प्रोग्राम' (कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम)

2579. **श्री श्रीबाटचा डिगल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाएं, सड़कों का निर्माण जैसी लघु परियोजनाएं क्यों आरम्भ नहीं करती जिससे उड़ीसा के पिछड़े जिलों में जनजाति लोगों के लिए 'फूड फार वर्क्स प्रोग्राम' कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सके ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा नीति सम्बन्धी निर्णय लेने का है और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) व (ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करना कार्यक्रम का अंग नहीं है। तथापि, कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाएं शुरू की जाती हैं। पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में कालाहंडी और फुलबैनी के चुने जिलों में सिंचाई योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 480.16 लाख रुपये है। सितम्बर, 1978 तक लघु सिंचाई पर किया गया व्यय 311.92 लाख रुपये है। उड़ीसा सरकार की 'कार्य के लिए भोजन' कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 10,000 मीटरी टन गेहूं आबंटित किया गया है।

मास्को से आए रंगमंच कलाकारों के अतिथेय पर खर्च

2580. **श्री एम० ए० हन्नान अलहाज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के लिए चालू वर्ष के लिए निर्धारित बजट की कुल राशि का आधा भाग मास्को से आये बोलशोई रंगमंच कलाकारों के अतिथेय पर खर्च कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस भारी खर्च के बाद मंत्रालय ने इस बात का ख्याल रखा गया है कि कला प्रेमियों को अधिकतम संख्या उनके प्रदर्शन देख सके ; और

(ग) क्या कारण है कि मंत्रालय ने उनके प्रदर्शन की व्यवस्था कमानी आडिटोरियम में की है जहां केवल 639 सीटें है (जिनमें से आधी से अधिक तो तथाकथित महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा सरकारी अधिकारियों को ही मिलेगी) और विज्ञान भवन में नहीं की है जहां एक विशाल आडिटोरियम है तथा बोलशोई ग्रुप के कलाकारों को नृत्य मंडलों के अनुरूप विशाल मंच है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन प्रदर्शनों में नृत्य तथा संगीत क्षेत्र के बहुत से कलाकारों तथा विख्यात व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था। उद्घाटन के दिन, 13 प्रमुख व्यक्तियों सहित, नृत्य तथा संगीत क्षेत्रों के 52 कलाकार तथा विशेषज्ञ इसमें उपस्थित थे। 27 तारीख के विशेष बोलशोई प्रदर्शन में 100 कलाकार उपस्थित थे।

(ग) कमानी आडिटोरियम की एक विशेषज्ञ रूसी दल की सिफारिशों पर, जिसने विज्ञान भवन सहित, दिल्ली के विभिन्न सभा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच की थी, चुना गया था। विज्ञान भवन को इस लिए नहीं चुना जा सका क्योंकि रंग-मंच का विस्तार पर्याप्त नहीं है और विशेषज्ञ दल द्वारा इसे अनुपयुक्त समझा गया था।

इन प्रदर्शनों को देखने के लिए आम जनता को अधिकतम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवेश टिकटों द्वारा किया गया था और किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन में सम्मानार्थ आमन्त्रितों की संख्या कुल सीटों के 10% तक सीमित थी।

Construction of Building for District Headquarter, Leh

2581. **Shrimati Parvati Devi:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the steps being taken by the district headquarters in Leh (Ladakh) for the construction of buildings there; and

(b) the amount earmarked by Government for the construction of buildings there this year, the details of the proposed constructions and the time by which the proposed constructions are likely to be completed:

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) & (b) This Ministry is not aware of any proposal of District Headquarters in Leh (Ladakh) for the construction of buildings there and the funds earmarked for that purpose as this is a matter within the competence of the State Government.

Post of Sanskrit Teachers lying vacant in Delhi University

2582. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the posts of Sanskrit teachers in the Sanskrit Department of Delhi University have been lying vacant since the time of Emergency and they have not yet been filled up and the development of Sanskrit Department has been thus hampered;

(b) the steps being taken by Government for the re-organisation and expansion of Sanskrit Departments in all the Universities in the country; and

(c) the arrangements made by the Government for ensuring jobs to the candidates who have passed M.A. examination in Sanskrit in the first division?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) According to the information furnished by the University of Delhi, none of the posts of teachers in its Department of Sanskrit, has been lying vacant since the time of Emergency.

(b) On the basis of recommendations made by the Visiting Committees appointed by the University Grants Commission to assess the development requirements of Sanskrit Departments of various universities, the Commission provides assistance for such programmes as are recommended by these Committees and accepted by the Commission. These programmes include provisions for additional accommodation, books and journals and additional staff.

The Language Panel of the Commission also advises it on measures required for development of languages including Sanskrit.

Further, the Commission has instituted a number of postgraduate scholarships to be awarded to students of Sanskrit studying for postgraduate courses in Sanskrit, Pali and Prakrit in different universities in the country Fellowships—Junior and Senior—Research Associateships, Teacher Fellowships in various subjects including Sanskrit are also awarded with assistance from the Commission.

(c) The teaching jobs in the various Departments of the Central Universities, including the Department of Sanskrit are offered to candidates selected through a process prescribed in the Acts and Statutes of the respective Universities. The Government do not, therefore, come into the picture.

नेशनल सेंटर फार ब्लाइंड्स, देहरादून के बारे में जांच

2583. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संकृती मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सेन्टर फार ब्लाइन्डस्, देहरादून के दो युनिटों में वयस्क पुरूष प्रशिक्षण केन्द्र और वयस्क महिला प्रशिक्षण केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा और अराजकता के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा क्या न्यायाधीश सिन्हा और डा० ए० जी बीस ने इसकी जांच की थी, और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले और दोषी पाये गए अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को क्या दण्ड दिया गया तथा क्या इन संस्थानों को पुन: खोला गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) जांच अधिकारियों की रिपोर्ट पर इस विभाग में विधिवत विचार किया गया। जांच प्राधिकरण द्वारा चार अधिकारियों, सर्वश्री पी० के० सेन, एस० एस० दुग्गल, डा० विजय बहादुर गुप्ता तथा कुमारी शांति श्रीवास्तव को दोषी पाया गया। उनमें से एक डा० विजय बहादुर गुप्ता को उनके नियन्त्रक प्राधिकरण अर्थात् स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। कुमारी शांति श्रीवास्तव लेडी सुपरवाइजर को उनके खिलाफ की गई अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। शेष दो व्यक्तियों के खिलाफ अब तक अनुशासनिक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है।। वयस्क नेत्रहीनार्थ प्रशिक्षण केन्द्र के पुरुष अनुभाग को फिर से खोल दिया गया है।

पश्चिम बंगाल को उर्वरक की सप्लाई

2584. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को उर्वरक की हमेशा कम सप्लाई होती है और विशेष कर उस उर्वरक को जिसकी किसानो को आवश्यकता होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पश्चिम बंगाल को उर्वरक की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यह ठीक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में उर्वरकों, जिसमें कम्पलेक्स उर्वरक भी शामिल है, की सप्लाई हमेशा कम होती है।

(ख) उर्वरकों की मांग का निर्धारण कृषि उत्पादन कार्यक्रमों तथा कृषकों की उर्वरक प्रयोग करने की इच्छा और जागरूकता के स्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रमुख फसल मौसमों अर्थात् खरीफ और रबी मौसमों के आरम्भ होने से पहले किया जाता है। और बाद में उन पर क्षेत्रीय सम्मेलनों में भारत सरकार तथा विनिर्माताओं से विचार-विमर्श किया जाता है। इसी आधार पर देशी स्रोतों से पूरा की जाने वाली मांगों तथा केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा पूरी की जाने वाली देशी सप्लाई तथा वास्तविक मांग के बीच कमी को प्रदर्शित करते हुए एक सप्लाई योजना तैयार की जाती है। तथापि, मौसम शुरू होने के साथ साथ कृषकों की वास्तविक मांग वर्षा जलवायु की परिस्थितियों आदि अनेक घटकों पर निर्भर करती है। कभी-कभी देशी स्रोतों से सप्लाई निम्न कारणों के फलस्वरूप किये गये वादों से भी कम हो जाती है :—

(1) श्रम संबंधी कठिनाइयों आदि के कारण संयंत्र बंद होने से उत्पादन में गिरावट आना।
(2) बिजली की कम सप्लाई आदि घटकों के कारण उत्पादन कम होना।
(3) कृषकों की ओर से मांग की कमी अथवा वित्तीय बाधाओं आदि जैसे कुछ कारणों से वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर माल न उठाना।

जब भी राज्य सरकार ऐसी स्थिति के बारे में सूचित करता है, उस कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय उर्वरक पूल से तत्काल अतिरिक्त सप्लाई तेज करने की व्यवस्था की जाती है।

राज्य की सामान्य तथा आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय उर्वरक पूल भारी मात्रा में उर्वरकों का स्टाक करने के उपाय किये गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त महत्वपूर्ण स्थानों पर भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिसमें वहां भारी मात्रा में भण्डार रखा जा सके।

बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

2585. **श्री चित्त बसु : श्री सी० आर० महाटा :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश को वे कौनसी सिंचाई परियोजनायें हैं जो गंगा नदी से पोषक जल लेती हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गयी है ;

(ख) इन परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य बहाव से कितना गंगा-जल परिवर्तित किया गया है ; और

(ग) क्या ऐसी कोई परियोजनाओं अब आयोग से मंजूरी की प्रतिक्षा कर रही है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत बिहार और उत्तर प्रदेश की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम, जिनमें गंगा के पानी उपयोग की परिकल्पना की गई है, विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) इस समय उपर्युक्त सभी स्कीमें निर्णयाधीन हैं और गंगा के प्रवाह से अब तक कोई पानी व्यपवर्तित नहीं किया गया है।

(ग) गंगा बेसिन में उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं के नाम विवरण-दो में दिए गए हैं जो इन राज्य सरकारों से स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं।

पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत गंगा नदी की सिंचाई स्कीमें

क—बिहार

स्कीम का नाम

1. डकरानाला पम्प नहर चरण-एक
2. सूरजगढ़ पम्प नहर
3. बटेश्वरस्थान पम्प नहर चरण-एक

ख—उत्तर प्रदेश

1. उमरहाट पम्प नहर
2. धबा पम्प नहर
3. मध्य गंगा नहर

गंगा नदी की सिंचाई स्कीमें, जिनकी जांच की जा रही है

क—बिहार

1. सकरोगली पम्प नहर
2. बटेश्वरस्थान पम्प नहर चरण-दो
3. जमानिया पम्प नहर
4. बराड़ी पम्प नहर
5. अजगायवीनाथ पम्प नहर
6. सुखसेनाघाट पम्प नहर
7. डकरानाला पम्प नहर चरण-दो

ख—उत्तर प्रदेश

1. देवकली पम्प नहर की क्षमता का विस्तार
2. जमानिया पम्प नहर की क्षमता का विस्तार
3. ज्ञानपूर पम्प नहर
4. आगरा नहर का आधुनिकीकरण
5. पूर्वी गंगा नहर
6. समान्तर लोअर गंगा (ऊंचा करना)

ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कार्य दिवसों का सर्वेक्षण

2586. **श्री डी०बी०चन्द्रगौडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में लोगों के कार्य दिवसों के औसत के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) सरकार ने ग्रामीण विकास सम्वर्धन के लिए तथा जिस मौसम में काम नहीं होता उसके दौरान रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के अन्तर्गत दी गई योजनाएं

2587. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नीति के अनुसार किन राज्यों ने ग्रामीण विकास कार्य के लिए भोजन देना सम्बन्धी योजना और 'माइक्रोप्लानिंग' परियोजनाओं के अन्तर्गत योजनायें दी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : कार्य के लिए भोजन योजना के अन्तर्गत अब तक असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने खाद्यान्न सहायता का लाभ उठाया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल और राजस्थान से भी खाद्यान्न सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। खण्डों के लिए 'माइक्रोलेवल प्लानिंग' के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय आयोग

2588. **श्री के० ए० राजन**
श्री ओम प्रकाश त्यागी
श्री के० लकपा
श्री एम० कल्याणसुन्दरम } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण ने सरकार को एक नोट भेजा है जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नई दिशा प्रदान करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या शिक्षा प्रणाली में पुनरीक्षण करने के लिये सरकार का विचार एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार को श्री जय प्रकाश नारायण से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ मालूम शैक्षणिक पुनर्निर्माण की एक योजना का प्रारुप संलग्न है जो न्यायमूर्ति श्री तारकुंडे द्वारा तैयार किया बताया जाता है, जिसके अन्तिम पाठ को दिसम्बर, 1977 के अन्त तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है। सरकार अन्तिम रूप से तैयार की गई योजना की प्रतीक्षा कर रही है।

(ग) शिक्षा पद्धति का पुनरीक्षण करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के सामने नहीं है।

चावल की पैदावार

2589. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल की पैदावार बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किय गये हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सिंचाई सुविधाओं के विकास और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई खपत के साथ-साथ और अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती करना भी शामिल है। इनके अलावा (1) चावल के मिनिकट कार्यक्रम जो विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त किस्मों का चयन करने में किसानों को सहायता करता है, (2) चावल का सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम जो बुवाई के समय को आगे बढ़ाने में किसानों की सहायता करता है, जिससे उत्पादकता में में वृद्धि होती है, (3) असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष बोने वाले क्षेत्रों में धान की पंक्ति में बुवाई करने को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नत औजारों के प्रदर्शन करना, (4) उर्वरकों के पर्याप्त और संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए चुने हुए जिलों में उर्वरक प्रोन्नति अभियान चलाना, (5) चावल उत्पादन को उन्नत प्रोद्योगिकी का तेजी से हस्तांतरण करने के लिए कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा आदि जैसे विशेष कार्यक्रम भी आरम्भ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अच्छी किस्म के अनाज और विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों में खेती के लिए ऐसी किस्मों, जो न केवल अधिक उपज देने वाली हैं बल्कि कीटों तथा रोगों से भी कम प्रभावित होती हैं, का विकास करने के लिए अनुसंधान संबंधी कार्यों को तेज किया गया है।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

2590. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य की कुल कमी को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष 25 लाख टन अनाज की सप्लाई सुनिश्चित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आगे अनुरोध किया है कि 25 लाख टन में से आधा चावल यथा सम्भव अधउबला होना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) और (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनकी कमी और आवश्यकताएं इतनी ही मात्रा में हैं।

(ख) और (घ) राज्य सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय पूल से तथा आवश्यक आबंटन बराबर करती रहेगी। तथापि, चावल, विशेषतया सेला चावल का आबंटन भारत सरकार की स्टाक स्थिति पर निर्भर करेगा।

Mixing of waste etc. in Foodgrains by F.C.I. Employees before sending to Godowns

2591. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether while procuring wheat and paddy from farmers in rural areas, the employees of the Food Corporation of India lift the foodgrains only after getting it sieved again but mix waste in the bags at the time of sending them to the Government godowns and thus save large quantity of foodgrains from each centre as a result of which ration card holders get inferior quality of foodgrains from the ration shops ; and

(b) if so, whether Government propose to make any arrangements to carry out inspections secretly at procurement centres in the country with a view to check such irregularities and to punish the corrupt employees ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) No complaint of the nature referred to against the employees of the Food Corporation of India has come to the notice of the Government. Special Quality Control Staff of the F.C.I. carries out continuous evaluation of quality at the time of purchase at the mandis, and arrival at the depots. Cases where variation in quality is noticed are investigated and responsibility fixed. Surprise checks by senior quality control officers are also carried out to ensure that quality of stocks conforms to the prescribed standards.

Dairies shifted from Delhi Colonies during emergency

2592. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether dairy owners in the trans-Jamuna Colonies in Delhi were rehabilitated outside the city by shifting them from those colonies during emergency ;

(b) whether the people of those colonies have also taken loans of lakhs of rupees from nationalised banks for the development of their dairies and they have again come back to the colonies from the dairies constructed by Government ; and

(c) if replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action being taken by Government to send them back to the dairies constructed for them ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) From information available it appears that many dairy-owners had taken loan from the banks and constructed. In some cases, DDA built sheds for them. However, the dairies have come back to the city.

(c) The Municipal Corporation had given one week's time to the dairy-wallas to shift back to their dairy colonies. Thereafter, they have started taking legal action against stray cattle.

सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली में पेय जल की सुविधा का अभाव

2593. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदर्शन पार्क, मोतीनगर, नई दिल्ली के एफ ब्लाक में रहने वाले सभी लोगों के लिए पानी जैसी मूल आवश्यकता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) उपरोक्त हजारों निवासियों के लिए जीवन की इस मूल आवश्यकता की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) 'एफ' ब्लाक के नियमित भाग को पानी की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है । 'एफ' ब्लाक के अनधिकृत अन्तिम भाग में यह सुविधा नहीं है ।

(ख) तथा (ग) कालोनो के निवासियों से विकास प्रभारों की प्राप्ति के बाद 6 महीनों के अन्दर इन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दुकानदारों से अधिक किराया और जमानत की अधिक राशि लिया जाना

2594. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका अपने क्षेत्र में दुकानदारों के लिए बहुत अधिक मासिक लाइसेंस शुल्क लेती है ;

(ख) क्या दुकानों के आबंटन के लिए आमंत्रित टेंडर मनमर्जी से रद्द कर दिए गए थे और टेंडरों के साथ जमा करवाई जाने वाली जमानत की धनराशि को हाल ही में 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अलाट की गई दुकानों का अन्तरण सही मामलों में भी नहीं किया जा सकता, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दुकानें आरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। नई दिल्ली नगरपालिका सामान्यतया निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् दुकानों/स्टालों का आबंटन करती है और सबसे अधिक लाइसेंस फीस वाले निविदाकर्ता को आबंटन किया जाता है।

(ख) निविदायें मनमर्जी से अस्वीकार नहीं की जाती है बल्कि उन्हीं मामलों को अस्विकार किया जाता है जिसमें निविदा में दी गई दरें वाजिब नहीं पाई जाती है। बयानों की रकम वर्ष 1974 में 250 रुपये से बढाकर 500 रुपये और वर्ष 1976 में 1000 रुपये कर दी गई थी।

(ग) किसी आबंटी की मृत्यु होने पर आबंटन उसके/उसकी कानूनन उत्तराधिकारियों के नाम में कर दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

प्राथमिक स्तर से यौन सम्बन्धी शिक्षा देना

2595. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या प्राथमिक विद्यालय स्तर से यौन सम्बन्धी शिक्षा देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या हाल ही में नई दिल्ली में हुई साउथ ईस्ट एशिया इन्टर कंट्री कन्सलटेशन की बैठक में भी कोई सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) सरकार महसूस करती है कि हमारे सांस्कृतिक तथा सामाजिक लोकाचार के अनुकूल एक दृष्टिकोण, व्यापक परामर्श तथा परिपक्व सोच-विचार के पश्चात्, बनाना होगा।

ग्रेटर बम्बई में हटमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था

2596. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेटर बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर हटमेंट्स में रहने वाले लोगों को आधारभूत सुविधायें देने की नीति के बारे में निर्णय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है और बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर "हटमेंट्स" में रहने वाले लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार की भूमि पर अनधिकृत रूप से बनी गन्दी बस्तियों के उन्मूलन/सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों और भूमि के मालिक केन्द्रीय सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार आगे विचार कर रही है।

महाराष्ट्र बैंक में ऋण का समय पर भुगतान न किया जाना

2597. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव लैंड डवलपमेंट बैंक, द अपेक्स कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक और भूमि विकास बैंकों में दोषी किसानों द्वारा समय पर भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की देय राशि बहुत अधिक बढ़ गई है और यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक संस्थान में इस प्रकार के ऋण की कुल धनराशि कितनी है और वह किस-किस अवधि की है; और

(ख) सरकार ने देय राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) जी हां। महाराष्ट्र

राज्य की सहकारी सोसायटियों में अतिदेय बढ़ रहे हैं। इस राज्य में सहकारी ऋण संस्थाओं में अतिदेयों का स्तर निम्न प्रकार है :—

संस्था	30-6-74 की स्थिति		30-6-75 की स्थिति		30-6-76 की स्थिति		30-6-77 की स्थिति	
	राशि	मांग में प्रतिशत	राशि	मांग में प्रतिशत	राशि	मांग में प्रतिशत	राशि	मांग में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों का स्तर (ऐकिक ढांचा) .	1698	44	1881	56	2136	62	अप्राप्य	66
शीर्ष सहकारी बैंकों का स्तर .	1267	10	264	3	296	2	अप्राप्य	अप्राप्य
केन्द्रीय सहकारी बैंकों का स्तर .	5396	35	6617	36	7919	37	9221	44
प्राथमिक सोसायटियों का स्तर	7990	44	9254	43	10348	40	14361	58

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित सहकारी ऋण संस्थाओं के अतिदेयों से सम्बन्धित अध्ययन दल ने अतिदेयों के कारणों, दी जाने वाली राहत तथा अतिदेयों को कम करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तारपूर्वक विचार किया था। भारत सरकार ने सामान्यतः इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा राज्य सरकारों को भेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना है। अतिदेयों की वसूली के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

नेपाल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

2598. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाओं के लिये सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) चन्द्रा नहर प्रणाली के नवीकरण और विस्तार, पश्चिमी कोसी नहर से लिफ्ट सिंचाई और पश्चिमी कोसी नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए नेपाल सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा गंडक और पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं के उन निर्माण-कार्यों के लिए जिनसे नेपाल को सिंचाई-लाभ प्राप्त होंगे बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को सहायता-अनुदान दिया जा रहा है।

इंटरमिडिएट शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा मानना

2599. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य प्राध्यापकों को उपलब्धियां देने के संबंध में इंटरमिडिएट शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा का अंग मान रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किये है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमानों के संशोधन की योजना, चिकित्सा, कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान कालेजों को छोड़कर केवल विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकारों में शामिल कालेजों के अध्यापकों पर ही लागू होती है। अतः इंटरमिडिएट भाग के अध्यापक इस योजना में नहीं आते।

निर्धन साहित्यकारों व कलाकारों को वित्तीय सहायता

2600. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धन साहित्यकारों और कलाकारों को वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) किन नियमों के अधीन सहायता दी जाती है ;

(ग) क्या वित्तीय सहायता देने के लिये कोई आयु निर्धारित है; और

(घ) क्या अपंग साहित्यकारों और कलाकारों के मामले में आयु सीमा कम करने का सरकार का इरादा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणूका देवी बरकटकी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) "साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को, जो अभाव ग्रस्त परिस्थितियों में हों, वित्तीय सहायता" देने की एक योजना है। व, जिनकी मासिक आय 400 रु० से अधिक नहीं है तथा जिनकी आयु 58 वर्ष से ऊपर है, 200 रु० तक के मासिक भत्ते के अनुदान के पात्र हैं। योजना, सहायता के मामलों पर सिफारिश हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में परिचालित की जाती है। खर्चा, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीज 2 : 1 के अनुपात में बांटा जाता है, परन्तु संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तर पश्चिमी तट पर भारत पोलैण्ड सर्वेक्षण

2601. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तर पश्चिमी तट पर मत्स्य संसाधनों के बारे में भारत तथा पोलैंड सरकार संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर रही है, और

(ख) क्या पोलैंड भारत को मछली पकडने वाली नौकाएं (फिशिंग ट्रालर) भी सप्लाई कर रहा है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। चार्टर के आधार पर।

Central aid to Uttar Pradesh and Rajasthan for Agricultural Development

2602. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the assistance given by the Centre to Uttar Pradesh and Rajasthan in the current financial year for the development of agriculture and increasing agricultural production in the rural areas ; and

(b) the time by which the assurance given by him in Lucknow on 25th September, 1977 would be implemented ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) Necessary information is being collected and would be laid on the Table of the Sabha.

डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा सफाई सेवा

2603. **श्री उग्रसेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से 3-10-77 को अपने अधिकार में लिए गए क्षेत्रों में डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' में सफाई सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या प्रतिदिन सेवा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने 3-10-1977 से पक्की सड़को और खुली नालियों के अनुरक्षण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यक्रम के अनुसार पक्की सड़को की प्रतिदिन सफाई करने और महीने में एक बार बरसाती पानी की नालियो की सफाई करने के लिए नियमित सफाई स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Transfer of Employees of National Seeds Corporation

2604. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of employees, out of those who were working in National Seeds Corporation, New Delhi, transferred outside during the period of emergency from June, 1975 to March, 1977 ; and

(b) whether the National Seeds Corporation had received complaints against those employees, and if not, the reasons for their transfer ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) Twenty-three, from out of 460 employees located in Delhi, were transferred during the period.

(b) There were no complaints against any of these employees. Reasons for transfer are : —

1. Eighteen persons were transferred in the interest of the Corporation's work.
2. Four persons were transferred on promotion to higher posts ; and
3. One person was transferred on his own request.

Foodgrain self-sufficiency in Gujarat

2605. **Shri Dharmasinhbhai Patel : Will** the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Gujarat State has not become self-reliant in the matter of foodgrains so far, and if so, the reasons therefor;

(b) the steps taken so far or proposed to be taken by the Central Government to make this State self-reliant in foodgrains ;

(c) the quantity of foodgrains supplied to Gujarat by Central Government during the last three years ; and

(d) the quantity of foodgrains likely to be required by the State from outside in 1977-78 ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Gujarat State is, more or less, self-sufficient or marginally deficit in years of good production in the matter of foodgrains. However, supplies from the Central Pool to the State become necessary in poor crop years.

(b) The steps taken to increase foodgrain production in Gujarat State include extending the coverage under suitable high yielding varieties of rice, wheat, maize, jowar and bajra, increasing the irrigated area, adequate and timely supply of inputs and special fertilizer campaign in selected districts, training of extension workers and farmers in the latest production technology developed by various research institutions, coordination between the State Irrigation and Electricity Departments for ensuring un-interrupted and timely supply of electricity and irrigation water, etc. In addition, the Minikit Programmes of rice, wheat, maize, jowar and bajra and Centrally Sponsored Scheme of Pulses Development are also being implemented in the State.

(c) The quantities of foodgrains supplied to Gujarat from the Central Pool during the last three years were of the order of 7.29 lakh tonnes in 1975, 0.18 lakh tonnes in 1976 and 3.8 lakh tonnes (provisional) in 1977.

(d) It is too early to indicate the likely requirements of foodgrains of Gujarat State from outside during the year 1977-78 as production estimates for the year have not yet become due from the various States including Gujarat.

Existing Sugar Mills and Production of Sugar in Gujarat

2606. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the district-wise number of existing sugar mills in Gujarat and the number of new sugar mills being set up there; and

(b) the production of sugar and Khandsari in Gujarat in 1976-77 and the estimated production thereof in 1977-78 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) A statement is enclosed at Appendix-I.

(b) The production of sugar in Gujarat during 1976-77 season was 2.29 lakh tonnes. The estimated sugar production as reported by sugar factories in Gujarat for the season 1977-78 is 2.97 lakh tonnes.

The production of khandsari in Gujarat during the season 1976-77 and the estimated production for the season 1977-78, as reported by the State Government is 19,019 and 30,000 tonnes respectively.

Statement

(i) *Statement showing district-wise number of existing sugar mills in Gujarat*

Sl.No.	District	Number of existing Sugar mills
1	Surat	3
2	Valsad	2
3	Amreli	2
4	Junagadh	1
5	Kaira (Kheda)	1
6	Rajkot	1
	Total	10

(ii) *Statement showing district-wise number of new sugar mills being set up in Gujrat*

Sl.No.	District	Number of new sugar mills for which licences have been issued and are yet to be set up
1	Surat	2
2	Valsad	1
3	Junagadh	1
4	Ahmedabad	1
5	Bhavnagar	1
	Total	6

Central Assistance for Book Banks Scheme in Gujarat

2607. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Education, Social, Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Book Banks functioning in Schools in Gujarat at present ;

(b) the details about the Book Banks Scheme ;

(c) whether any Central assistance is provided to these Banks ; and if so, the nature thereof and the criteria adopted in providing the assistance ; and

(d) the provisions made by Government for providing facilities to the children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and low income Groups together with the nature of facilities provided ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) About 2239 Book Banks are functioning in schools in Gujarat.

(b) and (c) A statement is attached.

(d) Besides book bank facilities, midday meals, free uniforms, free text-books and stationery, and attendance scholarships are some of the main facilities provided by the Government for children belonging to low income groups including scheduled castes and scheduled tribes. The Fifth Plan provision for these incentives is of the order of Rs. 41 crores available to States and Union Territories.

In July, 1975 the State Governments/Union Territory Administrations were requested to set up book banks in all primary and middle schools. Earlier, some of the State Governments/Union Territory Administrations used to supply free textbooks to children belonging to the deprived sections of the society, varying in scope and coverage. Book Banks are intended to provide textbooks on loan basis to all children of scheduled castes and scheduled tribes and other deprived sections of the community, so that the same books can be used for 2 or 3 years. The book banks should have at least as many

sets of textbooks of each class as there are children of these categories in a class (roughly 15% on an average). The State Governments and Union Territory Administrations were requested to meet additional expenditure on this account from the funds particularly available under the National Programme of Minimum Needs of Elementary Education. No other special Central assistance is available for this purpose.

स्लम प्रगृह रणजीतनगर, नई दिल्ली

2608. **श्री मही लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू रणजीतनगर, नई दिल्ली में स्लम प्रगृह किस वर्ष बनाये गए थे;

(ख) उस समय प्रत्येक स्लम प्रगृह के निर्माण पर कितनी लागत आई थी ;

(ग) जिन स्लम निवासियों को ये प्रगृह आवंटित किए गए थे, उनसे प्रत्येक प्रगृह के लिए क्या कीमत वसूल की जाएगी ;

(घ) यदि किराया खरोद मूल्य के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो सरकार के सामने स्लम प्रगृह की कीमत तय करने में क्या कठिनाई आ रही है ; और

(ङ) क्या प्रगृह का मूल्य निर्धारित हो जाने पर, प्रत्येक अलाटी द्वारा किराये के रूप में दी गई राशि प्रगृह की कुल कीमत में शामिल कर ली जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) वर्ष 1971–72 में 992 तथा वर्ष 1976–77 में 544.

(ख) पहले वाले टेनोमेंटों के लिए लगभग 7500/– रुपये प्रति टेनामेंट तथा बाद वाले चार मंजिले व दो मंजिले टेनामेंटों के लिए क्रमश: 11200/– रुपये व 11700/– रुपये प्रति टेनामेंट।

(ग) तथा (घ) अभी निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि लेखे अन्तिम रूप से बन्द नहीं किए गए है।

(ङ) जी, नहीं।

गरीब निवासियों से अत्यधिक किराया लिया जाना

2609. **श्री मही लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों से आए गरीब लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलाट किए नये मकानों के लिए इतना अधिक किराया देना पड़ता है जो उनके मूल निवास स्थान के लिए दिए जाने वाले किराये से 5–10 गुना अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों के गरीब निवासियों से इतना अधिक किराया लेने का क्या औचित्य है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा मकानों के मूल्य निर्धारित करने की अपेक्षा किराये की वसूली पर अधिक जोर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रत्येक अलाटी द्वारा मकान के किराये के रूप में दी गई धनराशि मकान के कुल मूल्य में, जब वह निर्धारित किया जाएगा, समायोजित की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क)स्लम टेनामैन्टो का किराया सामान्यतया आवंटियों द्वारा अपने मूल मकानों के लिए दिए गए किराये से अधिक है ।

(ख) वसूल किया जा रहा किराया रहन सहन के बेहतर हालात को देखते हुए इतना अधिक नहीं है । सहायता का अंश शामिल किए जाने के बाद किराया निर्धारित किया गया है ।

(ग) इस समय टेनामैन्टों के अलाटियों से किराया वसूल किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

Expenditure on Sports Training Institutions

2610. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by Government on various sports training institutions during the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77; and

(b) the expenditure proposed to be incurred thereon during the financial year 1977-78 ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala (with its Southern Branch at Bangalore, started in 1975) is the only Sports Training Institute receiving financial assistance from the Education Department of the Government of India. The figures of expenditure in respect of this Institute are as follows:—

Year	Expenditure (Rs. in lakhs)
1974-75	56·72
1975-76	64.50
1976-77	86.99

(b) Rs. 78 lakh.
(Budget provision)

Rice, Wheat and Sugar to U.P.

2611. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the quota of rice, wheat and sugar prescribed for supply to Uttar Pradesh by Central Government during the financial year 1976-77; and

(b) the quantity of foodgrains supplied by Government to the State during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) About 312.8 thousand tonnes of wheat and 345.9 thousand tonnes of sugar were allotted by the Central Government to the Government of Uttar Pradesh for the financial year 1976-77. No rice was allotted to the State Government during this period.

(b) The total off-take of foodgrains (wheat) against the allocations was about 224.2 thousand tonnes.

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव

2612. **श्री जो०वाई० कृष्णन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से कोई ऐसे प्रस्ताव मिले हैं जिनमें उस राज्य में सिंचाई योजनाएं बनाने के लिए अनुमति मांगी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के निर्णयाधीन हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को 46 बृहद् और मध्यम परियोजनाओं की रिपोर्टें तकनीकी संवीक्षा और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजी हैं। इनमें से तीन परियोजनाएँ योजना आयोग के पास अनुमोदनार्थ लम्बित (पेंडिंग) पड़ी हैं। 27 परियोजनाओं के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों अथवा संशोधित रिपोर्टें की राज्य सरकार से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। 11 परियोजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित (पेंडिंग) पड़ी हैं क्योंकि इनमें अन्तर्राज्यीय पहलु निहिती हैं।

सिर्फ नीचे की 5 परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जाँच हो रही है।

1. हारंगी (बृहद)

2. रामथल लिफ्ट (बृहद)

3. अपर गडियाल टैंक (मध्यम)

4. कतराल टैंक (मध्यम)

5. गुण्डवान टैंक (मध्यम)

दिल्ली दुग्ध योजना के घी के मूल्य में वृद्धि

2613. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने घी के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले घी का विक्रय मूल्य उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कच्चे दूध के क्रय मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप घी के उत्पादन की लागत बढ़ गई है। तदनुसार 3-1-1977 से घी के विक्रय मूल्य में संशोधन किया गया है।

Food Production in Ganga Valley

2614. **Shri Natverlal B. Parmar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether proper development of the Ganga valley can result in production of foodgrains in huge quantity;

(b) if so, the measures being taken to utilise inland waterways, irrigation projects, and the large quantity of water available to undertake rice cultivation etc. there;

(c) whether Government's attention has been drawn to the views expressed in this regard by the newly formed Ganga Ghati Vikas Association; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) The State Governments in the Ganga Basin have taken up a number of projects for utilising the large quantity of water available in the Ganga and its tributaries, particularly in the monsoon months for irrigation and other purposes.

(c) & (d) The concerned States of Ganga Basin have been requested to furnish details in this regard and the same will be laid on the Table of the House when received.

बैजनाथ मन्दिर और कांगड़ा किला

2615. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ मंदिर और कांगड़े के कोले की हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय महत्व के इन स्मारकों का नवीनकरण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन दो स्मारकों के नवीनकरण का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये कितना धनराशि नियत की गई है और इस काम के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं। केवल कांगड़ा किले की दीवारों के कुछ भाग खंडित अवस्था में हैं।

(ख), (ग) और (घ) सर्वेक्षण अपनी कार्यनीति के अनुसार स्मारकों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य नहीं करता। तथापि क्षतिग्रस्त भागों के संरक्षण के लिए इस वर्ष में उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं। कार्य की पूर्णता क्षतिग्रस्त भाग के विस्तार पर आधारित होगी और इस में दो कार्यकाल लग सकते हैं।

(ङ) गत वर्ष सहित आज तक का कुल व्यय रु० 20,600/- है। चालू वित्तीय-वर्ष के लिए रु० 60,000/- की धनराशि स्मारकों के लिए निर्धारित की गयी है।

दिल्ली में बाढ के पानी की निकासी

2616. **श्री पी० वी० नरसिंह राव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में आई बाढ के परिणामस्वरूप दिल्ली और नजफगढ़ के क्षेत्रों में बाढ का पानी रुका रहा जिसमें बडी संख्या में गांव दो महीने से अधिक समय तक इसकी चपेट में रहे ;

(ख) ऐसे किस कारण से हुआ ; और

(ग) भविष्य में गांवों से बाढ के पानी की तत्काल निकासी के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) यह इस वर्ष बहुत भारी वर्षा होने और साहिबी नदी में अभूतपूर्व बाढ़ के आने तथा नजफगढ़ नालें की अपर्याप्त क्षमता के कारण हुआ जिसके फलस्वरूप जल-निकास में अवरोध हो गया ।

(ग) साहिबी नदी के कारण दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में आने वाली बाढ़ों की समस्या पर विचार-विमर्श करने और उसका हल ढुंढने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा 10 अगस्त, 1977, को राजस्थान और हरियाणा के मुख्य-मंत्रीयों और दिल्ली के उप-राज्यपाल की एक अन्तर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी । इस बैठक में यह फैसला किया कि साहिबी नदी के जल का उपयोग यथा-संभव सीमातक करने के लिए सिंचाई और भूगत जल री–चार्ज के लिए और फालतू जल की सुरक्षित रूप से यमुना में डालने के लिए एक मास्टर योजना अविलम्ब तैयार की जाए । केन्द्रीय जल आयोग में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य इंजीनियरों के साथ सलाह करते हुए एक ऐसी मास्टर योजना तैयार की जा रही है । आशा है कि दिसम्बर 1977 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जायेगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान में अजमेरीघुरा के स्थान पर मुख्यत: सिंचाई के लिए और हरियाणा में मसानी में मुख्यत: बाढ़ नियंत्रण के लिए साहिबी नदी पर जल-संचयन जलाशयों के निर्माण, दिल्ली में नजफगढ़ नाले की क्षमता को इष्टतम सीमा तक बढ़ाने और छोटे जलाशयों के निर्माण, भूगत जल के री–चार्ज, भू–संरक्षण और अतिरिक्त नालियों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल होंगे ।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भंडारों में खराब हुआ गेहूं

2617. **श्री एस० डी० सोममुन्दरम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों में रखा हुआ गेहूं गलत भण्डारण व्यवस्था के कारण खराब हो गया है और ऐसे अनाज को निकाले जाने पर जनता अस्वीकार कर रही है;

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के पास ऐसा कितना और कितने मूल्य का गेहू है ;

(ग) भारत के विभिन्न स्थानों पर भण्डारण व्यवस्था की क्या स्थिति है; और

(घ) जिन अधिकारियों की गलती के कारण गेहूँ खराब हुआ है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने सूचित किया है कि 34,835.19 रु० के मूल्य की 18.464 मीटरी टन खाद्यान्नों की मामूली मात्रा, जो कि निचाई के क्षेत्रों में स्थित किराये के गोदामों के निचले प्लिथ और शेडों में रखे हुए थे, वहां बाढ़ का पानी प्रवेश हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में ढके हुए गोदामों और कैप स्टोरेज (कवर और प्लिन्थ) में खाद्यान्नों के स्टाक रखे जाते हैं। 1-11-77 को, जिस तारीख तक सूचना उपलब्ध है, भारतीय खाद्य निगम के पास ढ़के हुए भण्डारों में लगभग 91.9 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था और कैप स्टोरेज में लगभग 53.4 लाख मीटरी टन का स्टाक था। उपयुक्त भण्डारण सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं:--

(1) गोदामों का मानसून-पूर्व निरीक्षण किया जाता है और आवश्यक मरम्मत की जाती है।

(2) खाद्यान्नों के भाण्डारण के लिए आवश्यक निभार सुलभ किए जाते हैं ताकि भूमि की नमी से जो पानी रिसता है उसके कारण क्षति को रोका जा सके।

(3) समय-समय पर निरीक्षण करने और खाद्यान्नों का उपयुक्त रख-रखाव करने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को लगाया जाता है।

(4) कैप भण्डारण में पौलीथीन की चादरों को उपयुक्त रूप से बांधने के लिए नायलान की रस्सियां सुलभ की जाती हैं ताकि उड़ने के कारण चादरों को क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सके।

(5) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्रमुख कैप काम्पलैक्सों मे मोनोफिलामेंट के जाल और कवर-टाप्स भी सुलभ किए गए हैं।

(6) खराब हुई चादरों को तुरन्त बदलने के लिए पोलीथीन की अतिरिक्त चादरें भी सप्लाई की गई हैं।

(7) ठीक मौसम में स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि स्टाक को ठीक-ठीक बनाए रखा जा सके।

(8) बड़े पैमाने पर गोदामों का निर्माण करने से सम्बंधित काम शुरु किया गया है ताकि "कैप" भण्डारण को समाप्त किया जा सके।

Import of Fertiliser

2618. **Shri S. D. Somasundaram :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilisers imported during the last three years, the quantity distributed; if not fully distributed, the reasons therefor;

(b) in view of the great demand for fertilisers during the same period and the action taken for not meeting the demand despite adequate stock of fertilisers;

(c) the quantity and value of fertilisers that had to be condemned because of ineffective distribution and delay and the foreign exchange involved; and

(d) the components of the total loss contributed by unnecessary occupation of storage space, salaries of godowns supervisors, watchmen, decline in value of fertilisers due to decrease and quality etc. ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Quantities of fertilisers, in terms of plant nutrients; imported the allotments made for these fetilisers to and the quantities actually lifted by the States and others during the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are indicated below:—

(Figs. in lakh tonnes)

Year	Imports			Allotment made			Quantity lifted by States etc.		
	N	P	K	N	P	K	N	P	K
1974—75	8.84	2.81	4.37	10.16	3.61	4.37	7.47	2.01	3.08
1975—76	9.50	3.37	2.67	16.28	5.96	3.53	7.14	1.44	2.35
1976—77	7.50	0.23	2.78	8.98	2.64	3.40	4.20	1.35	3.76

The reasons for the gap between the quantities imported and the quantities lifted are as follows:—

(1) As per the decision of the Government, buffer stocks of fertilisers are maintained in the consuming areas. While fixing the quantum of import of different types of fertilisers of a year, the agronomic requirements as well as the requirements for the buffer stocks are taken into consideration. Thus, the quantum of import could be different in any year as compared to the quantities actually distributed/lifted in that year.

(2) Arrangements for import of fertilisers are made nearly one year in advance in order to ensure timely and adequate supply from foreign sources. Actual lifting may, however, vary from the projections of agronomic requirements because of a number of variable factors like weather, price situation, availability of credit etc.

(3) In the wake of the oil crisis the prices of fertilisers shot up in the world market and as a result prices of fertilisers had to be increased in India. This sudden spurt in the prices of fertilisers adversely affected the fertiliser consumption.

(4) Maintenance of buffer stocks of fertilisers in adequate quantity to avoid distress purchase at higher costs in international market, and to meet sudden spurt in demand.

(b) It is not a fact that in spite of the demand for fertilisers during these years and the availability of adequate stocks, action was *not* taken for meeting the demand. It is evident from the figures indicated in reply to part (a) of the question that in spite of adequate allotments, the State Governments and their reallottees did not lift the allotted quantities. Moreover, distribution of fertilisers in a State is a State subject.

(c) No fertiliser has been condemned as a result of ineffective distribution and delay. However, in a massive operation like the one undertaken by the Government of India and the hygroscopic nature of fertilisers, there would inevitably be some small quantities, which get affected during handling, transportation and storage. The quantum of such deterioration works out to 0.42%. This is sold as substandard fertilisers.

(d) Buffer stocking of fertilisers has been done at more than 600 depots in the country. This is in accordance with the Government policy to maintain buffer stocks of 20% of the projected trend demand. Since this is a normal feature of fertiliser operation, the question of the amount of loss contributed by unnecessary occupation of storage space, salary of godown supervisors, watchmen, decline in value, does not arise.

भूमिगत जल संसाधन और सिंचाई की जाने वाली भूमि

2619. **श्री समर गुह**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 और 1977–78 के लिए (एक) बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और (दो) छोटी सिंचाई परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय आबंटन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं और ऐसी परियोजनाओं के बारे में तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या गहन नलकूप और उथला नलकूप सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भूमिगत जल संसाधनों के बारे में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या है ;

(घ) वर्ष 1977–78 में अधिक कृषि भूमि की सिंचाई के लिए अपनाई गई परियोजनाओं सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) वर्ष 1977–78 के अन्त तक ऐसी कृषि भूमि के राज्य–वार आंकड़े क्या हैं जिसकी सिंचाई होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विकास शीर्ष अथवा किसी विशिष्ट स्कीम से सम्बद्ध नहीं होती है। किन्तु 1976–77 के दौरान कुछ चुनी हुई स्कीमों के लिए उनकी प्रगति में तेजी लाने के हेतु केन्द्र द्वारा अग्रिम योजना सहायता की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से वर्तमान वर्ष के दौरान भी कुछ सतत एवं नई स्कीमों के लिए अग्रिम योजना सहायता देने का प्रस्ताव है। इनका ब्यौरा विवरण–एक में दिया गया है।

विवरणी-दो में भूतल और भूगत जल (लघु सिंचाई) संगठनों के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 1976–77 तथा वर्तमान वर्ष में 30 सितम्बर, 1977 तक विभिन्न राज्यों को दी गई धनराशि को दिखाया गया है।

(ख) और (ग) यह अनुमान लगाया गया है कि देश के 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से लगभग 2.8 मिलीयन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए

जलीय भू-वैज्ञानिक अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी । केन्द्रीय भूतल जल बोर्ड द्वारा मार्च, 1978 के अन्त तक लगभग 1.36 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षत्र को शामिल करने की संभावना है। इसमें कुल 1860 दोहनात्मक होलों का सुराख करना शामिल होगा। राज्य भूतल जल संगठनों द्वारा आयोजन के उद्देश्य के लिए जलीय भू-वैज्ञानिक स्थिति के संबंध में अतिरिक्त सर्वेक्षण भी किए जा रहे है ।

पहले से किए गए सर्वेक्षणों एवं उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित देश के कुल भूतल जल संसाधनों का मोटे तौर पर अन्तिम रूप से सिंचाई के अंतर्गत 40 मिलियन हैक्टेयर के क्षेत्र को शामिल किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) 1974 में पांचवीं योजना के आरंभ से पहले की योजना से 75 बृहद् और 155 मध्यम सिंचाई स्कीमों को आगे ले जाया गया। इनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक 16 बृहद् और 90 मध्यम स्कीमें काफी हद तक पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा पांचवीं योजना के आरंभ होने से लेकर सितम्बर, 1977 तक कार्यान्वयन के लिए 246 बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों की स्वीकृत किया गया है और यह निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। [वर्तमान वर्ष के दौरान बृहद् एवं मध्यम स्कीमों के जरिए 1.3 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के सृजित होने की संभावना है। 1977-78 के दौरान भूतल और भूगत जल का समुपयोजन करने के लिए एक बड़ी संख्या में लघु सिंचाई स्किमों से 1.79 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता भी सृजित होगी।

(ङ) विररण-तीन में 1977-78 के अन्त तक बृहद्/मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए सृजित होने वाली सिंचाई शक्यता का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

विवरण---एक

चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1976-77 और 1977-78 के दौरान राज्यों को दी गई अग्रिम योजना सहायता को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	के दौरान दी गई सहायता	
		1976-77	1977-78 (प्रस्तावित)
1	आंध्र प्रदेश	0.75	3.00
2	बिहार	3.00	10.25
3	गुजरात	3.00	6.00
4	हरियाणा	6.50	7.00
5	कर्नाटक	3.55	6.00
6	केरल	2.50	3.50

क्रम सं०	राज्य का नाम	के दौरान दी गई सहायता	
		1977–77	1977–78 (प्रास्तावित)
7	मध्य प्रदेश	1.75	13.00
8	महाराष्ट्र	3.85	8.50
9	उड़ीसा	2.00	6.00
10	पंजाब	1.50	10.00
11	राजस्थान	3.00	7.50
12	तमिलनाडु	कुछ नहीं	2.25
13	उत्तर प्रदेश	8.00	11.00
14	पश्चिम बंगाल	0.50	6.00
	कुल	39.90	100.00

विवरण—दो

भूतल और भूगत जल (लघु सिंचाई) संगठनों के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई राशियों को दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्रम० सं०	राज्य का नाम	1976–77 के दौरान	1977–78 के दौरान (30–9–77 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	2.20	8.75
2	असम	..	..
3	बिहार	..	10.45
4	गुजरात	..	10.06
5	हरियाणा	3.00	5.63
6	हिमाचल प्रदेश	..	..
7	जम्मू और कश्मीर	..	..
8	कर्नाटक	..	..
9	केरल	..	3.62
10	मध्य प्रदेश	..	0.99

क्रम सं०	राज्य का नाम	1976–77 के दौरान	1777–78 के दौरान 30-9-77 तक
11	महाराष्ट्र	2.02	8.12
12	मणिपुर	..	..
13	मेघालय	..	..
14	नागालैंड	..	..
15	उड़ीसा	2.50	6.15
16	पंजाब	..	..
17	राजस्थान	..	..
18	सिक्किम	..	..
19	तमिलनाडु	..	3.42
20	त्रिपुरा	..	2.03
21	उत्तर प्रदेश	2.00	8.41
22	पश्चिम बंगाल	..	9.39
	कुल	11.72	77.02

विवरण—तीन

बृहद्, मध्यम और लघु स्कीमों से 1977–78 तक सृजित की जाने वाली सिंचाई शक्यता के राज्यवार ब्यौरे को दिखाने वाला विवरण

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बृहद् और मध्यम	लघु
1	आंध्र प्रदेश	2838	1775
2	असम	74	388
3	बिहार	2316	2255
4	गुजरात	982	1410
5	हरियाणा	1710	1045
6	हिमाचल प्रदेश	..	95
7	जम्मू और कश्मीर	101	327
8	कर्नाटक	1034	1030
9	केरल	465	315

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बृहद् और मध्यम	लघु
10	मध्य प्रदेश	1350	1510
11	महाराष्ट्र	1207	1610
12	मणिपुर	1	25
13	मेघालय	..	12
14	नागालैंड	..	35
15	उड़ीसा	1324	605
16	पंजाब	2258	2840
17	राजस्थान	1361	1950
18	सिक्किम	..	7
19	तमिलनाडु	1177	2040
20	त्रिपुरा	..	30
21	उत्तर प्रदेश	5478	8145
22	पश्चिम बंगाल	1407	1360
	कुल राज्य	25076	28809
	संघ राज्य क्षेत्र	10	105
	कुल अखिल भारत	25086	28914

जवाहरलाल नेहरु के नाम से चल रही केन्द्रीय संस्थाएं

2620. **श्री समर गुह:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडित जवाहरलाल नेहरु के नाम से चल रही विभिन्न संस्थाओं के लिए वर्ष 1977-78 के लिए कितनी केन्द्रीय वित्तीय राशि नियत की गई है ;

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से चल रही किस-किस संस्था के लिए उसी वर्ष के लिए कितनी-कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण			
उन संस्थाओं के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरु के नाम पर हैं	1977–78 के दौरान विनिधान	उन संस्थाओं के नाम जो महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर हैं	1977–78 के दौरान विनिधान
1	2	3	4
	रुपये		रुपये
राजकीय नेहरु डिग्री कालेज, अशोक नगर . .	1,500	महात्मा गांधी स्मारक महाविद्यालय, सोहागपुर	1,000
राजकीय नेहरु डिग्री कालेज, डोंगरेगढ़	4,000	महात्मा गांधी महाविद्यालय, कवीली	1,400
राजकीय जवाहरलाल नेहरु कालेज, बरेवाह	8,932	महात्मा गांधी स्मारक कालेज, इटारसी	5,498
राजकीय जवाहरलाल नेहरु स्मृति कालेज, सुजालपुर	42,000	राजकीय गांधी स्मारक कालेज, जम्मू	1,96,000
नेहरु राजकीय कालेज, अगर (मालवा)	40,931	गांधी स्मारक कालेज, श्रीनगर	90,000
छात्राओं के लिए जवाहर लाल नेहरु स्मारक नगर-पालिका कालेज, मंडी, गोविंदगढ़	6,000	महात्मा गांधी बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, फिरोजाबाद	1,316
नेहरु स्मारक कालेज, मन्सा	10,250	बापू डिग्री कालेज, पेपेगंज, गोरखपुर	19,000
पंडित जवाहरलाल नेहरु कालेज, बांदा	17,500	गांधी शताब्दी स्मारक महाविद्यालय, कोईलसा, आजमगढ़	2,26,800
जवाहरलाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, बाराबंकी	1,602	महात्मा गांधी डिग्री कालेज, गोरखपुर	2,813
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	21,85,796.90 (योजनागत) 1,28,19,000 (योजनेत्तर)		
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्र, इम्फाल	2,00,000		
नेहरु कालेज, छिबरामाऊ, फरुखाबाद	2,813	महात्मा गांधी सती स्मारक महाविद्यालय, गरुआ मकसूदपुर, गाजीपुर	4,500

विवरण

उन संस्थाओं के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरु के नाम पर है	1977–78 के दौरान विनिधान	उन संस्थाओं के नाम जो महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर है	1977–78 के दौरान विनिधान
1	2	3	4
	रुपये		रुपये
सी० एस० नेहरु कालेज, हरदोई	1,45,312	श्री गांधी डिग्री कालेज, मालतरी, आजमगढ़	1,88,500
केने ग्रोवर्स नेहरु कालेज, गोआ गोकलनाथ	4,688	महात्मा गांधी स्मारक डिग्री कालेज, सम्बहाल (मुरादाबाद)	2,250
नेहरु महाविद्यालय, ललितपुर	1,500	गांधी फैजम कालेज, शाहजहांपुर	16,743
नेहरु स्मारक शिव नारायण दास कालेज, बदौम	2,536	महात्मा गांधी राजकीय कला कालेज, महे	1,500
जवाहर भारती, कावली	5,000	महात्मा गांधी स्मारक कालेज, उदीपी (एस० कनारा)	1,60,000
नेहरु स्मारक कला तथा विज्ञान कालिज, जोगीपेट	27,500	महात्मा गांधी महाविद्यालय, अहमदपुर	3,817
नेहरु स्मारक कालेज, पुट्टानम पत्ती (त्रिचिरापल्ली)	86,000	नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला (बंगलोर में इसकी शाखा सहित)	35,00,000 (योजनागत) 43,00,000 (योजनेत्तर)
जवाहरलाल शिक्षा सोसायटीज, विद्यानाथ कालेज, पारलिया वैजनाथ	9,424		
पंडित जवाहरलाल नेहरु महाविद्यालय, औरंगाबाद	232	गांधी स्मारक राष्ट्रीय कालेज, अम्बाला छावनी	2,667
नेहरु स्मारक डिग्री कालेज, हनुमानगढ़	2,000	महात्मा गांधी स्मारक कालेज, इन्दौर	1,444
श्री नेहरु शारदापीठ, बीकानेर	1,500		
जवाहरलाल मैडिकल कालेज, अजमेर	6,557		
जवाहरलाल कालेज, पटनागढ़	15,000		
पंडित जवाहरलाल नेहरु कालेज, बांदा	3,288		

राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता

2621. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान में परिभाषित राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिए वर्ष 1977-78 के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिए भिन्न-भिन्न राशि नियत करने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) कोई भी भाषा संविधान में राष्ट्र भाषा के रूप में परिभाषित नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिये संस्था को वित्तीय सहायता

2622. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिये विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उसी अवधि में साक्षरता के प्रसार के बारे में इन संस्थाओ को क्या-क्या उपलब्धियां थीं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में र ा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1264/77]**

केरल में सिंचित भूमि का प्रतिशत

2623. **श्री वयालार रवि :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कुल कृषि भूमि के सिंचन क्षेत्र का प्रतिशत अखिल भारतीय प्रतिशत से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उस राज्य में और अधिक सिंचाई योजनाएं शुरू करने का है ;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम जिले की वामनपुरम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नई योजनाओं में सम्मिलित है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) 1974-85 के भूमि उपयोग के आंकड़ो के अनुसार केरल में सकल फसल क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता 21.5 थी जबकि अखिल भारतीय औसत 25.4 थी।

(ख) राज्य में सिंचाई विकास की गति के धीमे होने का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार द्वारा बहुत अधिक सिंचाई स्कीमें हाथ में ली गई हैं और इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को धन का कम आबंटन हुआ है। लेकिन पिछले दो वर्षों में परिव्यय में वृद्धि हो जाने से, राज्य सरकार द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए गम्भीर प्रयत्न किए जा रहे हैं। राज्य सरकार नई सिंचाई स्कीमें हाथ में लेने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है।

केरल सरकार ने सुचित किया है कि 15 नई प्रस्तावित परियोजनाओ से 3.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा।

(ग) राज्य सरकार ने वामनपुरम परियोजना को नई प्रस्तावित परियोजनाओ की सूची में शामिल कर लिया है। इस समय केन्द्रीय जल आयोग में राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए इस परियोजना की जांच की जा रही है।

(घ) वामनपुरम परियोजना पर 780 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसमें जल-संचय जलाशय और नहर प्रणाली के निर्माण द्वारा राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले में 8090 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

वसूली के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्रों की नाकाबंदी

2624. **श्री के० लकप्पा**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नवम्बर, 1977 को एक संकल्प पारित किया है कि अनाज वसूली के मौसम में राज्य में अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्रो की नाकाबंदी करने का अधिकार राज्य सरकार का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया है ; और

(घ) उनमें किस हद तक संशोधन किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क), (ख), (ग) और (घ) पश्चिमो बंगाल सरकार ने वसूली मौसम के दौरान अधिशेष क्षेत्रों की नाकाबन्दी करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी थी। तथापि, भारत सरकार ने महसूस किया कि अन्तर-जिला प्रतिबन्ध लगाना राष्ट्रीय नीति के विपरित होगा क्योकि इस नीति के अधीन देश भर में चावल और धान के अबाध संचलन की अनुमति दी गई है और इसलिए राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी की कमी

2625. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग और विशेष रूप से पश्चिमी जिलो में इस वर्ष औसत से कम वर्षा हो रही है ;

(ख) क्या वर्षा की कमी के कारण इस भाग में सिंचाई और पीने के पानी की कमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे मे केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से आवश्यक सूचना सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है। यह सूचना प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्वार की समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री

2626. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ग्रामीण मंडियो में ज्वार समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर बिक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानो को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्राप्त रिपोर्टों से विदित होता है कि कुछेक भागो और केवल कुछेक किस्मों को छोड़कर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोंनो में ज्वार के ठीक मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित 74.00 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से सामान्यतया ऊंचे चल रहे हैं।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम जोकि मध्य प्रदेश में वसूली ऐजेन्सी के रूप में कार्य करता है, द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किए गए है कि जब कभी और जहां कहीं बाजार मूल्य नीचे चले जाते हैं वहां किसानों द्वारा विहित निर्दिष्टियो के अनुसार बिक्री के लिए पेश की गई ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है ।

फोपनार, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में खुदाई

2627. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पूर्वि निमाड़ जिले की बुरहानपुर तहसील के फोपनगर गांव के खेत संख्या 290/143/3, 142/2 में बुद्ध की सात खड़ी धातु मूर्तियां 1964 में पाई गई थीं ;

(ख) क्या खेत संख्या 143/2 और 142/2 में कुछ ऐसे अवशेष विद्यमान हैं जिनसे वहां स्तूप होने का संकेत मिलता है ;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय सर्किल भोपाल ने इस स्थल पर और खुदाई करने की सिफारिश की थी ;

(घ) क्या इस स्थल पर कोई खुदाई कार्य नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां।

(ग), (घ) और (ङ) पहले से ही उत्खनित अनेक समान स्थलों जैसा होने के कारण इस स्थल को कोई प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं समझी गई। इसलिए अभी तक कोई उत्खनन कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

2628. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के लिए कितनी और कौनसी सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु पड़ी है ; और

(ख) कितनी और कौनसी स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के लिए मांगी गई पूर्ण राशि नियत कर दी गई है और ऐसी प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गुजरात सरकार ने 11 बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों की रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी संवीक्षा और योजना आयोग को स्वीकृति के लिए भेजी हैं। इन स्कीमों के नाम संलग्न विवरण (उपाबन्ध-एक) में दिए गए हैं।

(ख) गुजरात के लिए 1977-78 के लिए स्वीकृत परिव्यय 81.03 करोड़ रुपये है। इसमें अग्रिम योजना सहायता और स्वीकृत स्कीमों के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त परिव्यय भी शामिल है। राज्य सरकार का इस राशि को इस प्रकार खर्च करने का विचार है :—

1. बृहद् सिंचाई परियोजनाएं	5031.80 लाख रुपये
2. मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	1824.00 लाख रुपये
3. सर्वेक्षण, अन्वेषण, जल-निकास, आधुनिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण आदि	1247.20 लाख रुपये

जिन बृहद् सिंचाई स्कीमों को धनराशि दिए जाने की परिकल्पना की गई है, उनके नाम और धनराशि संलग्न विवरण (उपाबन्ध-दो) में दी गई है। परन्तु मध्यम स्कीमों से संबंधित परियोजना वार आबंटन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण—एक

स्कीमों के नाम

बृहद्

1. हेरन (बड़ौदा)
2. जनखारी जलाशय (सूरत)
3. भादर (राजकोट)
4. वतरक

मध्यम

5. हेरनव धरण-दो (सबरकंठा)
6. वैदी (सबरकंठा)
7. फुलजार ii जामनगर
8. भादर (पंचमहल)
9. मित्ती (कुछ)
   (डी० पी० ए० पी०)
10. वेनु ii
11. कबनतारी सिंचाई परियोजना (पंचमहल जिला)

विवरण—दोन

परियोजना के नाम

	लाख रुपये
बृहद्	
1. उकई	703
2. माही धरण-एक	400
3. माही धरण-दो	1131
4. ककरापार	50
5. साबरमती	560
6. माही बजाजसागर	780
7. पानम	607
8. दमनगंगा	600
9. करजन	125
10. सुखी	75

गन्ने की खेती का क्षेत्रफल

2629. **श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में गन्ने की खेती कितने एकड़ भूमि में की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक के दौरान गन्ने के अन्तर्गत के राज्य-वार क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण (1) सभा पटल पर रख दिया गया है: वर्ष 1977-78 के लिए इसी प्रकार की जानकारी राज्य सरकारों से देय नहीं हुई है। तथापि सभा पटल पर रखे गए विवरण (2) में गन्ने के अखिल भारतीय प्रथम अनुमान, 1977-78 और 1976-77 की तुलनात्मक जानकारी के अनुसार, 1977-78 के दौरान गन्ने की कटाई की सीमा संबंधी प्रारम्भिक जानकारी दी गई है।

विवरण—एक

वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक गन्ने के क्षेत्र के अनुमान

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टार में)				
	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश .	134.3	143.6	195.1	146.6	151.8
असम . .	34.3	39.2	41.9	41.2	46.5
बिहार . .	134.3	138.8	140.7	133.7	127.8
गुजरात . .	38.2	44.4	40.8	37.7	49.0
हरियाणा . .	136.0	149.7	161.4	157.8	168.0
हिमाचल प्रदेश .	3.7	3.4	3.8	3.7	3.7
जम्मू और कश्मीर .	1.3	1.1	1.1	1.1	2.1
कर्नाटक . .	104.2	109.6	124.1	128.6	123.1
केरल . .	7.8	9.5	9.5	9.4	9.4
मध्य प्रदेश .	51.9	56.9	80.7	77.1	78.9
महाराष्ट्र . .	146.0	164.6	185.2	211.8	240.9
मणिपुर . .	...	1.1	0.7	4.6	4.6
मेघालय . .	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
नागालैण्ड . .	1.4	1.4	2.0	2.7	3.1
उड़ीसा . .	30.7	41.0	44.0	45.4	45.0
पंजाब . .	102.5	110.3	123.0	114.2	113.0
राजस्थान . .	34.0	40.2	51.3	40.2	44.1
तमिल नाडु .	143.9	186.2	160.4	128.3	132.7
त्रिपुरा . .	2.1	2.0	2.2	2.1	2.2
उत्तर प्रदेश .	1308.0	1472.7	1491.5	1440.7	1490.6
पश्चिम बंगाल .	32.5	30.8	29.0	29.3	29.5
अखिल-भारत . .	2,451.6	2,752.1	2,894.2	2,762.2	2,872.4

विवरण—दो

वर्ष 1977-78 के गन्ने के अखिल भारतीय प्रथम अनुमान

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टार में)	
	1977–78 (प्रथम अनुमान)	1976–77 (तदनुरूपी अनुमान)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश . . .	135.3	132.0
असम . .	41.8	41.8
बिहार . . .	126.4	134.5
गुजरात . . .	50.5	43.6
हरियाणा . . .	175.0	175.0
हिमाचल प्रदेश . . .	3.7†	3.7
जम्मू और कश्मीर . .	1.2†	1.2
कर्नाटक . .	105.7	102.8
केरल . .	9.3	9.3
मध्य प्रदेश . .	77.8	79.2
महाराष्ट्र . . .	283.6	245.4
मेघालय . . .	0.2	0.2
उड़ीसा . . .	46.0	47.0
पंजाब . . .	117.0†	117.0
राजस्थान . . .	44.9	44.2
तमिल नाडु . . .	44.3	43.7
त्रिपुरा . . .	2.1†	2.1
उत्तर प्रदेश . . .	1478.3	1462.2
पश्चिम बंगाल . . .	30.5	29.4
अखिल भारत . . .	2775.5	2716.1

†1977–78 के आंकड़े न होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराये गये हैं।

टिप्पणी : (1) मणिपुर तथा नागालैण्ड के संबंध में जानकारी सिर्फ अंतिम अनुमान में शामिल होगी।

(2) इस अनुमान में 1977–78 के दौरान गन्ने को फसलों के अंतर्गत बोया गया सम्पूर्ण क्षेत्र नहीं आता है। गत अनुभव से पता चलता है कि प्रथम अनुमान को अवस्था का क्षेत्र अंतिम रूप से रिपोर्ट किए गए फसल के क्षेत्र का लगभग 90 प्रतिशत है।

गुड़ और खंडसारी की तुलना में गैर-लेवी चीनी के मूल्य

2630. **श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की तुलना में चालू मौसम में गुड़ और खण्डसारी और गैर-लेवी चीनी के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : 26-11-1976 और 24-11-1977 को गैर-लेवी चीनी और गुड़ तथा खण्डसारी के तुलनात्मक थोक मुल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

चीनी के नये कारखाने

2631. **श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 के चीनी के मौसम में चीनी का कितना उत्पादन होने की आशा है ; और

(ख) इस वर्ष कितने नये कारखानों में, राज्यवार, पहली बार उत्पादन आरम्भ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चीनी मौसम 1977–78 के दौरान चीनी उत्पादन लगभग 52 लाख मीटरी टन होने की आशा है ।

(ख)

महाराष्ट्र	5
गुजरात	1
कर्नाटक	2
आन्ध्र प्रदेश	1
उत्तर प्रदेश	8
तमिल नाडु	1
जोड़	18

राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों पर पुनर्विचार के लिये आयोग

2632. **श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के पुनर्विचार के लिये एक आयोग नियुक्त किया है और यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या है ;

(ख) ऐसे आयोग की नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे आयोग नियुक्त करने के लिए अन्य राज्यों को प्रोत्साहन देगी ; और

(घ) क्या ऐसे आयोग की नियुक्ति से राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विती में विलम्ब होने की सम्भावना नहीं है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां। नवम्बर 1977 में गुजरात सरकार ने एक भूमि आयोग की स्थापना की है। विचारणीय विषय सम्बद्ध विवरण में दिये गये हैं।

(ख) भूमि आयोग का गठन सम्बन्धी संकल्प के विषय पर अध्ययन किया जा रहा है और राज्य सरकार से इस विषय में बातचीत की जायेगी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भूमि सुधार कानून का ठीक-ठीक कार्यान्वियन किया जाना चाहिए। वे भूमि की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में किसी प्रकार की ढ़ील देने के पक्ष में नहीं है। इस नीति के अनुरुप संकल्प पर पूर्ण विचार करने पश्चात गुजरात सरकार को सलाह दी जाएगी।

(ग) भारत सरकार भूमि सुधार के कार्यान्वियन को बन्द करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन नहीं देगी। यदि भारत सरकार की दृष्टि में ऐसे आयोग से कुप्रभाव पड़ने की आशंका हो तो वह उसे प्रोत्साहन नहीं देगी।

(घ) जब भारत सरकार संकल्प का अध्ययन पूर्ण कर लेगी और राज्य सरकारों से उसके परिणामों पर विचार कर लेगी तभी कोई विचार बनाया जा सकता है।

विवरण

राज्य भूमि आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित है :

(1) योजना के प्रारंभ होने से राज्य में भूमि का स्वामित्व, जोत संरचना और भूमि के सम्बन्ध में प्रवृत्ति का पुनर्विलोकन करना ;

(2) चकबन्दो और भूमि एवं जोत के पुनवर्गीकरण को प्रति का निर्धारण करना, कार्यकलापों में कमजोरो की ओर ध्यान आकर्षित करना और कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य को आगे बढ़ाने के लिये उपाय सुझाना ;

(3) भूत और विद्यमान के अधिकतम भूमि को सोमा के कानूनों, उपलब्ध हुई फालतू भूमि और ग्रामोण कमजोर वर्ग में उसके पुनर्वितरण को प्रकृति और सोमा के कार्यान्वियन की जांच करना,

(4) कृषि व्यापार, उत्पादकता के स्तर और बदलतो हुई टाकमोलोजी तथा कृषि संरचना को दीर्घकालीन स्थिरता की आवश्यकता को स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय मार्ग निर्देशन द्वारा प्रदान को गयी कसौटो को उपयुक्ता का मूल्यांकन करना।

(5) यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि उन अधिकतम सोमाओं के जो कि राष्ट्रोय मानदण्डो के अनुरूप हैं, वह अतिरिक्त अंतिम सोमा से उन लक्ष्यों को उपलब्धि हो सकती है जोकि उपर पहले हो निर्धारित कर दिये गये हैं तो ऐसो अधिकतम सीमा तैयार करना तथा सिफारिश करना जिसे कि आयोग मृदा और जलवायु, क्षेत्र, कृषि संबंधी स्थितियों, प्राकृतिक सम्पदा और फार्म संसाधनों में भिन्नता के संदर्भ में और इसके अतिरिक्त चालू प्रौद्योगिको स्तर और उनको संभावित प्रगति को दर और भूमि, पूंजो और श्रम एवं कास्तकार के उद्यम से इष्टतम लाभ सुनिश्चित करने को संभाव्यता पर विचार करना।

(6) अधिकत सोमा संबंधो कानून के कार्यक्षेत्र से बाहर भूमीका कौन सा वर्ग आना चाहिये और कानून की व्यवस्था से किसे और किस सीमा तक छूट दी जानो चाहिए।

(7) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर फालतू भूमि के बारे में निश्चय करना और कमजोर वर्गों में उसके वितरण पर विचार करना ।

(8) भूमि सुधार उपायऔर विशेषकर अधिकतम सीमा के कानून और मसौदा से पैदा हुई कृषि में रोजगार क्षमता और मजदूरो के स्तर, स्वयं लगे रोजगार और श्रमिकों के लिये, बदलती हुई अवस्थाओं का पुनर्विलोकन करना, जहां तक संभव हो राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार अधिक कठोर अंतिम सीमा के कानून द्वारा या विकल्प के रूप में जिसे आयोग अधिक उपयुक्त समझे और कार्यान्वियन के लिये जिसे वे सरकार को सिफारिश करें, के द्वारा इन क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव का पुनर्विलोकन करना ।

(9) पट्टेदारी को समाप्त करने के कानून के कार्यान्वियन का पुनर्विलोकन करना, समाप्त हुये कार्य और उसके कारणों को निर्धारण करना, गैर-कानूनी पट्टेदारी और उनकी शर्तों के विषय को जांच करना तथा पट्टेदारी कानून के पूर्णकार्यान्वियन और ऐसे पट्टेदारों के पक्ष में अन्य आवश्यक कदमों के उपायों को सिफारिश करना ।

(10) स्वामित्व और कब्जे के संबंध में भू-अभिलेखों की वर्तमान स्थिति को जांच करना तथा उसके लिये उपाय सुझाना जिससे कि इस क्षेत्र की वास्तविक स्थितियों का विश्वसनीय ढंग से पता चल सके ।

(11) अन्य बातों के साथ साथ जोत की अधिकतम सीमा के कानून के फलस्वरूप बदलती हुई फार्म संरचना और भू-स्वामित्व के संदर्भ में योजना के प्रारंभ होने से राज्य में गुणात्मक और परिमानात्मक दोनों दृष्टियों से कृषि संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना तथा विकास की दर और भविष्य वृद्धि की क्षमता में आने वाली बाधाओं का मूल्यांकन करना । उपर्युक्त निर्धारण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत अधिक कठोर अधिकतम सीमा कार्यक्रम के इन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में (यदि आयोग उन मानदण्डों से भिन्न मानदण्डों पर पहुंचता है जो कि राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित किये गये हैं, जांच पड़ताल करना ।

(12) राज्य में भूमि का कुल उपलब्धि की जांच करना और कृषि आदि के विकास के लिये इसके इष्टतम उपयोग के लिये और तरीके सुझाना ।

(13) मात्रात्मक व गुणात्मक परिणामों व भूमि सुधार व संरक्षण आदि के विषय में कृषि कार्यक्रमों की शुरुवात व सुधार के बारे में विचार करना व समन्वय के लिये सुझाव देना ।

(14) भूमिहिन श्रमिको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों तथा ग्रामीण जनता के अन्य कमजोर वर्गों, और विशेषकर भूमि वितरण, अवासीय स्थलों, आवास, भलाई के लिये अभी तक किये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करना और कम से कम मजदूरी तथा ऐसे कारणों का जिनसे बाधा पहुंचती है, तथा विशेषकर जो निम्नतम मजदूरी को लागू करने के विषय में हैं और जिनसे फार्म मजदूरी में सथायित्व आता हो विषय में सुनिश्चिय करना ।

(15) सीमा और कालक्रम की दृष्टि से फार्म-श्रम के लिये कम से कम मजदूरी के प्रश्न पर विचार करना और रोजगार और स्तर को मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव एवं भूमि सुधार से

पैदा हुई कृषि में कम से कम मजदूरो और विशेषकर अधिकतम सीमा संबंधी कानून, की प्रभावशीलता और नयी अधिकतम सीमा पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना व उपयुक्त सिफारिश करना । यदि आयोग राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतो से भिन्न अधिकतम सीमा का निर्णय करता है तो उसकी जांच करना ।

(16) उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए, यदि आयोग के विचार से इन लोगों की उन्नति के लिये कृषि से सीमित अवसर प्राप्त हो तो इन भाग्यहीन लोगों के लिये जीवन के उन्नत स्तरों का सुनिश्चिन करने के लिये और विशेषकर फार्म श्रमिकों को तथा सामान्य रुपसे ग्राम के कमजोर वर्गों को अधिक रोजगार और उत्तम मजदूरी प्रदान करने हेतु कास्तकारो के अतिरिक्त अन्य उपायों और रास्तों की जांच करना और यदि उचित समझें तो उसके लिये उपाय और दृष्टिकोण निर्धारित करना ।

(17) साधारणतया उन सभी अन्य विषयों को स्पष्ट करना जो कृषि विकास, पट्टेदारो सुधार, भूमि की अधिकतम सीमा और कमजोर वर्गों की समस्या और विशेषकर राज्य में भूमिहिन श्रमिकों की समस्या से संबंधित हैं ।

Amount Sanctioned for M.P. Under Inter-State Water Projects

†2633. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the amount of allocation made or likely to be made available for the scheme already sanctioned and likely to be sanctioned for Madhya Pradesh under Inter-State Water Projects?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : The outlays recommended for the year 1977-78 by the Subject Group of the Planning Commission for the inter-State projects of Madhya Pradesh are as under:—

Name of Scheme	Outlay recommended by subject Group for 1977-68
	(Rs. crores)
1. Chambal Stage I and II	6.28
2. Bhander Canal	0.30
3. Rajghat	0.20
4. Bansagar	0.50
5. Upper Tapti Stage II	0.50
	Provision grouped with other schemes

The actual outlays proposed by the State Government in the State Budget are available.

गुजरात में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता

2634. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार तथा अहमदाबाद नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रमश: अपनी आवास तथा गन्दी बस्तियां हटाने की परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात सरकार ने एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अहमदाबाद-नगरनिगम की चल रही परियोजनाओं के लिए 1.25 करोड़ रुपये और बड़ौदा नगरनिगम की परियोजनाओं के लिए 40 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की है। वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था की थी और ये अहमदाबाद की आवासीय तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं एवं गांधीनगर तथा बड़ौदा की भू-विकास परियोजनाओं से संबंधित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परियोजनाओं के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, गुजरात सरकार और अधिक सहायता की पात्र नहीं है।

Indian Council of Historical Research

†2635. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Indian Council of Historical Research was separated from the Indian Council of Social Science Research a few years ago;

(b) if so, the reason thereof and the work done by it during the last three years;

(c) the year-wise expenditure incurred on it during the last three years;

(d) who is the present Chairman of the Indian Council of Historical Research and who was its former Chairman; and

(e) the reasons for removal of its former Chairman?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No, Sir. The Council was established as a separate registered society from the beginning.

(b) During the last three years, the Council provided financial support to 49 research projects and 17 professional organisations and awarded fellowships to 74 research scholars. The Council made 164 study-*cum*-travel grants and provided assistance for publication of 71 research works and completed 9 out of the 26 projected surveys of Historical Writings. Under the programme of translation of core books, 212 manuscripts have been prepared of which 24 have been published, two of the nine projects relating to studies in Central Asian Civilisation have been completed, seven regional seminars were organised and 40 books besides journals and newsletters were published. The projects

on which work is in progress include, compilation of source materials relating to ancient, medieval and modern Indian history. A dictionary of Indian Archaeology, A Source Book of Indian History and Culture, Role of State Legislature in the Freedom Struggle, Compilation of Sources for the project "Toward Freedom", and Praja Mandal movement in the pre-independent princely States.

(c) The grants given to the Council during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are Rs. 21.22, 32.27 and Rs. 33.86 lakhs respectively.

(d) and (e) The term of the first Chairman of the Council Dr. R. S. Sharma, expired in March 1977. Pending appointment of a new Chairman, the Director of the Council has been requested to hold charge of the current duties of the Chairman.

Grant of Foodgrains to Bihar under the Food for Work Scheme

2636. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity of wheat proposed to be given to Bihar State by the Central Government under the 'Food for Work Scheme';

(b) whether Bihar State has decided to take up the work of development of rural roads under this scheme; and

(c) if so, the period for which the labourers in the rural areas are likely to be provided employment under the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Government of Bihar have been released 10,000 metric tonnes of wheat for minor irrigation projects as the first instalment under the scheme 'Food for Work'.

(b) & (c) The State Government has also proposed to take up earthwork for the construction of link roads. They are being advised to take up construction of durable roads, e.g., pacca roads. One hundred and eighteen lakh mandays of employment are likely to be generated during the current year. The 'Food for Work' scheme can be operated during any part of the year depending upon needs and availability of labour.

Team to Study Condition of Burma and Bangladesh Refugees in Bihar

2637. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have sent a team to Bihar to study the conditions of refugees from Burma and Bangladesh settled in Purnea, Katihar and Saharsa Districts;

(b) if so, whether Government propose to give them some special facilities; and

(c) whether their economic condition is not satisfactory ?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): (a), (b) and (c) Yes, Sir. The official team has returned on the 9th November, 1977, and has recently submitted its report to Government for consideration.

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के कार्यकरण में गिरावट के कारण

2638. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को काफी समय से वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य और कारण क्या है;

(ग) क्या इस कारण से दिल्ली में सड़कों एवं वाटर मैनों की मरम्मत जैसी नागरिक सेवाओं में गिरावट आ गई है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम के कार्यकरण की जांच एवं इसके कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और इसके वर्तमान ढांचे में क्या क्या परिवर्तन किए जाने के विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) चुनाव के बाद नगर निगम के पुनर्गठन के तुरन्त बाद निगम की वित्तीय कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाया गया था और स्टाक को अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अध्यापकों को बकाया का भुगतान, ठेकेदारों आदि को बिलों के भुगतान पर आने वाले अतिरिक्त खर्चे को पूरा करने के लिए ऋण सहायता मांगी गई थी। गृह मंत्रालय ने नवम्बर, 1977 में 2.5 करोड़ रुपये का संसाधन के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया था। निगम के पास उपलब्ध साधनों के भीतर विभिन्न नागरिक सेवाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान, नगर की सड़कों और अन्य सम्पत्ति को काफी क्षति पहुंची थी और उसकी मरम्मत करने के लिए कदम उठाय गए हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम को वित्तीय स्थिति पर विचार करने के लिए सरकार ने जनवरी, 1976 में एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति की रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। दिल्ली नगर निगम की स्थापना को बदलने के लिए किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

भूमि सुधारों के बारे में नवम्बर, 1977 में हुई बैठक

2639. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1977 में राज्यों के मंत्रियों के साथ भूमि सुधारों के बारे में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या क्या प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उन पर क्या क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की दशा को सुधारने के लिये क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, 2-11-77 को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें अन्यों के साथ-साथ कुछ मंत्रियों और राज्यों के भूमि सुधार कार्यक्रमों के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया।

(ख) और (ग): बैठक में यह स्वीकार किया गया कि भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिये और कानूनी तथा प्रक्रियात्मक कमियों का पता लगाने के लिये

कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा लगाने से जो भूमि उपलब्ध हुई है उसे जल्दी ही खेती करने वाले पट्टेदारों और भूमिहिनों में आबंटित किया जाना चाहिये। यह भी स्वीकार किया गया कि भूमि आबंटित करने से पूर्व भूमि विकास के प्रयत्न किये जाने चाहिये ताकि अलाटी भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् उस पर फसल पैदा करना शुरु कर सकें। जोतों की चकबन्दी और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिये काफी जोर दिया गया। यह महसूस किया गया कि भू-जोतों की चकबन्दी से कृषि संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और अद्यतन भूमि अभिलखों से स्वामित्व और पट्टेदारी के अधिकारों के बारे में विश्वास जागृत होगा और उससे कृषि में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप कृषक समाज को बहुत लाभ होगा।

भारत तथा सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

2640. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्री ने सितम्बर, 1977 में मास्को में भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में सोवियत संघ की साथ कोई उच्च-स्तरीय वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो उस वार्ता का क्या परिणाम रहा ;

(ग) वर्ष 1976-77 में भारत और सोवियत संघ के बीच कीतनी बार सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुए; और

(घ) क्या आगामी वर्षों में अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान होंगें या कम ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सोवियत रूस के मेरे 13 से 16 सितम्बर, 1977 तक के प्रवास के दौरान मैं सोवियत रूप के प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री ए० के सीजिन से मिला और उनसे भारत तथा सोवियत रुस के बीच सहयोग से संबंधित मामलों पर विशेषकर शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया। मैंने पारस्परिक हितों के विषयों पर सोवियत रुस के संस्कृति मंत्री परमश्रेष्ठ श्री पो० देमीचेव और उच्चतर एवं माध्यमिक विशिष्ट शिक्षा के मंत्री परमश्रेष्ठ प्रो० वी० पी० येलुतिन से भी लाभदायक विचार विमर्श किया। मैंने श्री देमीचेव के साथ कला और शिल्प के विकास, विशेष कर थियेटर के विकास के संबंध में चर्चा की। परमश्रेष्ठ प्रो० येलुतिन के साथ वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीय विषयों पर संयुक्त पाठ्य पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हुई।

15 सितम्बर, 1977 को मास्को में मैं ने भारतीय कला और संस्कृति समारोह का भी उद्घाटन किया।

(ग) और (घ) चालू सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1976 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि के लिए है और इसमें 115 विनिमय कार्यक्रम हैं। अगले कार्यक्रम जिसकी बातचीत अभी दोनो देशों के बीच होनी है, में शामिल किए जाने वाले विनिमय कार्यक्रमों की संख्या के बारे में बताना असामयिक होगा।

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा

2641. **श्री के० राममूर्ति** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं और जिन्हें वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) उन वर्ष इन परियोजनाओं पर सम्बद्ध राज्यों ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1265/77]

Excavation in Rajasthan

†2642. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether old idols and other architectural pieces etc. are often found at places like Jhalrapatan, Dug, Gagron in the Jhalwara District of Rajasthan;

(b) whether a large number of ancient remains depicting ancient culture and civilisation are found in the area around Chandrawali Temple and Jhalrapatan; and

(c) if so, whether Central Archaeological Department have any plan to undertake excavation work there?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Old idols and architectural pieces are available at the centrally protected monuments at Jhalrapatan. No loose sculptures have, however, been reported from Dug (Dag) which is a Buddhist rock-cut cave of the seventh century A.D. and from Gagron which is a fort of the Rajput Period. Of these, Dag caves are centrally protected.

(b) Architectural Remains of old temples have been found in the area around ancient temples of Chandrabhaga in Jhalrapatan, District Jhalawar (Rajasthan).

(c) At present there is no proposal to undertake excavation work, but all loose sculptures from the area have been kept in safe custody.

भूमिगत जल संसाधन

2643. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1977-78 में देश में भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजनाओं पर अनुमानतया कितना व्यय आएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वर्ष 1977-78 के दौरान देश में लघु सिंचाई पर कुल अनुमानित व्यय लगभग 460 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 200 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत और 260 करोड़ रुपये संस्थागत क्षेत्र से है। इस परिव्यय का लगभग 65 प्रतिशत भूमिगत जल योजनाओं पर व्यय होने की संभावना है ।

"व्हीट स्कैण्डल अनअर्थ्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2644. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1977 के दैनिक "ट्रिब्यून" में "व्हीट स्कैण्डल अनअर्थ्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम मात्रा में तोलने तथा अधिकारियों के तत्संबंधी भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, फिरोजपुर को यह सूचना 17 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई थी कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की देख-रेख में पंजाब राज्य सिविल सप्लाई निगम द्वारा गुरुहर-सहाय रेलवे स्टेशन से भेजे गए तीन रेलवे वैगनों में बोरियों का वजन कम था। पंजाब सरकार, सतर्कता विभाग को इसी प्रकार की सूचना मिली दिखायी देती है। क्योंकि वैगन गुरुहर-सहाय स्टेशन से चल चुके थे इसलिए फिरोजपुर छावनी जंक्शन पर उन्हें रोक लिया गया और वहां माल उतारा गया। यह पाया गया कि तीन वैगनों में 712 बोरियां थी जबकि उनमें 713 बोरियां लादी गई बताया गया था। शत प्रतिशत बोरियों का वजन करने पर कुल कमी 21 क्विंटल 59 किलो और 600 ग्राम पायी गई थी। भारतीय खाद्य निगम के दो कर्मचारियों जिन्होंने गुरुहर-सहाय स्टेशन पर इन वैगनों में लदान की देखभाल की थी, और पंजाब राज्य सिविल सप्लाई निगम के संबंधित स्टाफ को पंजाब राज्य पुलिस ने मुकदमा चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने जिला स्तर पर विशेष स्क्वायड बनाए हैं जोकि रेलवे स्टेशनों पर छापे मारते हैं कि कहीं वहां तैनात स्टाफ वैगनों के लदान में किसी प्रकार का कदाचार तो नहीं करता है। ये स्क्वायड गंतव्य स्टेशनों पर भी छापे मारते हैं।

आवास के बारे में आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान का अध्ययन प्रतिवेदन

2645. **श्री प्रकाश वीर मेहता** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान का अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह कहा है कि अगर आवास समस्या का 10 वर्षों की अवधि में संतोषजनक समाधान करना है तो 11,420 करोड़ रुपये की मात्रा में पूंजी निवेश करना होगा ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के लिए आवास नीति तैयार करते समय उक्त अध्ययन प्रतिवेदन को ध्यान में रखा जाएगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) यह रिपोर्ट राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए तथा जारी किए गए आंकड़ों तथा अनुमानों के आधार पर मुख्य रूप से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में मकानों

की मांग, भवन निर्माण की वर्तमान गति, प्रतिवर्ष मकानों के निर्माण की अपेक्षित दर और उसके लिए अपेक्षित पूंजी के बारे में संक्षिप्त रूप से विचार-विमर्श किया गया है। यदि आवास निर्माण कार्यक्रम की विभिन्न दरें अपनाई जाएं तो यह रिपोर्ट आवास कार्यक्रम को रोजगार क्षमता तथा भवन निर्माण सामग्री का मांग का भी विश्लेषण करती है। देश में मकानों की मांग को पूरा करने के लिए इस रिपोर्ट में तैयार किया गया अनुमान अधिक लगाया गया है।

(घ) आगामी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय आवास संबंधी सभी संभव अध्ययनों, रिपोर्टों तथा अन्य सामग्री को ध्यान में रखा जाएगा।

शिक्षा पर प्रति छात्र व्यय की गई राशि

2646. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल में शिक्षा पर प्रति छात्र कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ख) प्रति छात्र पर किए गए शिक्षा व्यय में यदि कोई असमानता है तो उसके क्या कारण हैं उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1976-77 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रारम्भिक और उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पर सरकार द्वारा व्यय की गई प्रतिछात्र राशि क्रमश: 109.08 और 683.49 रुपये बनती है।

(ख) प्रारम्भिक और उच्च/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में, प्रति छात्र के शिक्षा व्यय में अंतर के मुख्य कारण हैं:--

(i) शिक्षा के इन स्तरों पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन मानों में अंतर; और

(ii) शिक्षा के इन दो स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में लगने वाली गैर शैक्षणिक लागत के अनुपात में अंतर।

लघु तथा सीमान्त किसानों को ऋण देने के लिए समान मानदण्ड

2647. **श्री वसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य एजेन्सीयां विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देश के भिन्न-भिन्न भागों में लघु तथा सीमान्त किसानों को ऋण देने के भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कृषक जाति के कमजोर वर्गों को ऋण देने में समान मानदण्ड अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) व (ग) ऋण देने वाली दो बड़ी संस्थागत एजेन्सियां सहकारी सोसायटियां तथा वाणिज्यिक बैंक हैं। वे लघु तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कम मार्जिन या कम अंश-पूंजी, लम्बी वापसी अदायगी अवधियां, कम ब्याज दरें और प्राथमिकता देने जैसी रियायती शर्तें अपनाती हैं। इस प्रयोजन के लिए, ऋण देने वाली संस्थाएं लघु तथा सीमान्त किसानों की लघु कृषक विकास एजेंसी या सूखाग्रस्त

विकास कार्यक्रम में दो गई परिभाषा को अपनाती हैं। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के आवधिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजनों हेतु संस्थाएं 1972 के मूल्यों पर आधारित विकास से पूर्व की 2000 रुपये की शुद्ध आय के बारे में कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा निर्धारित परिभाषा को अपनाती हैं ; कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा आय सोमा को एकड़ सोमाओं में बदल दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा छोटे तथा सोमान्त किसानों को दिए जाने वाले अग्रिमों को कम से कम प्रतिशत की शर्तें भी निर्धारित की हैं। लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम को विशेष योजनाओं के अन्तर्गत छोटे तथा सोमान्त किसानों की परिभाषा इन योजनाओं द्वारा अन्तर्गत लाए गए इलाकों में इस प्रयोजन के लिए अपनाई जाती है। दूसरे इलाकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आम तौर पर 5 से 8 एकड़ के बीच सोमा निर्धारित की है। कार्यकारी दल जो आगामी योजना तैयार करने के लिए गठित किए गए हैं, छोटे तथा सोमान्त किसानों की परिभाषा के लिए मानदण्ड में अपेक्षित संशोधनों पर विचार कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल भी बहु एजेंसी पहुंच के अपनाने से उत्पन्न हुई समस्याओं, जिनमें विभिन्न संस्थागत एजेंसियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मानदण्ड भी शामिल हैं, पर विचार कर रहा है।

सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को आवंटित आवास संबंधी नीति का यौक्तिकीकरण

2648. **श्री बसन्त साठे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिनकी सेवा 15 वर्ष से अधिक हो गई है लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी आवास आबंटित नहीं किए गए हैं ;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है जो 20-25 वर्ष सेवा हो जाने के बाद अभी भी सरकारी आवास के आबंटन की प्रतीक्षा में है ; और

(ग) निर्माण और आबंटन नीति का इस प्रकार यौक्तिकीकरण करने के लिए क्या अविलम्ब कार्यवाही की जा रही है जिससे सरकारी आबंटन के लिए किसी भी कर्मचारी को 15 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से वास आबंटन के लिए आबंटन वर्ष के दौरान टाइप विशेष में संभवतः उपलब्ध होने वाले एककों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सीमित आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है। जिन अधिकारियों का सेवाकाल 15 वर्ष या इससे अधिक हो गया है किन्तु जिन्हें सरकारी वास नहीं दिया गया है, उनकी संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) सामान्य पूल में आवासों को काफी संख्या में बनाने का प्रस्ताव है ताकि आवास के लिए अधिकारियों को प्रतीक्षा कम करनी पड़े।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था

2649. **श्री बसन्त साठे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों और अन्तरिक क्षेत्रों में जहां हरिजन, खेतिहर मजदूर और किसान रहते हैं, पेयजल की सप्लाई के लिए महाराष्ट्र को कितनी धनराशि स्वीकृत/आबंटित की गई है ;

(ख) उपयोग की गई धनराशि और वास्तविक उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पेय जल की व्यवस्था के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन महाराष्ट्र में कितने ग्रामों का पता लगाया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि केवल हरिजनों, कृषि मजदूरों और किसानों के लिए कोई विशिष्ट जलपूर्ति योजना नहीं है। गांव के समस्त ग्रामीण समुदाय की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती है।

(ग) 855.

प्रति शेर व्यय

2650. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शेरों की अनुमानतः कितनी संख्या है और विशेष परियोजना के अधीन प्रत्येक शेर पर औसतन कितनी धनराशि खर्च की जाती और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) शेरों का शिकार करने के कितने मामले गत वर्ष सरकार के ध्यान में आये हैं और उक्त मामले में की गई कार्यवाही सहित तत्सम्बन्धी क्या ब्योरा है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश में नकदी फसलों का उत्पादन

2651. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हाल में समाप्त हुए खरीफ मौसम के दौरान नकदी फसलों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या राज्य में नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है अथवा कमी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1977-78 के खरीफ मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नगदी फसलों के उत्पादन के अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं। हाल की तूफानी हवा और ज्वार-भाटे की लहरों के आने से पूर्व अधिकांश नगदी फसलों के उत्पादन की सम्भाव्यताएं आमतौर पर अच्छी बताई गई थीं। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कृष्णा, गुंतूर और प्रकासम जिलों में हाल के तूफान और ज्वार-भाटे से कपास, गन्ना और तम्बाकू की काफी हानि हुई है।

(ख) मूंगफली, अरण्ड, नारियल, कपास, मेस्ता, गन्ना, सूखी लाल मिर्च, हल्दी, तम्बाकू और केला राज्य की प्रमुख नगदी फसलें हैं। 1972-73 से 1976-77 तक की अवधि के दौरान इन फसलों के उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। यह देखा गया है कि इन फसलों के उत्पादन में वर्षानुवर्ष भिन्नता रही है और निरन्तर वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में नगदी फसलों के उत्पादन के अनुमान

(एफ)

फसल	यूनिट	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	(1000 मी० टन)	997.8	1375.7	1413.0	1119.4	505.5
अरण्डों के बी ज	(,, ,,)	52.6	121.1	114.8	21.4	38.7
तिल	(,, ;,)	29.1	39.5	46.3	26.4	21.6
नारियल . . .	(दस लाख नट)	171.2	162.9	173.4	167.4	162.5
कपास (लिंट) . .	(प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की हजार गांठें)	119.3	347.3	483.0	239.1	249.6
मेस्ता	(प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की हजार गांठे)	418.4	438.2	524.1	668.8	914.8
गन्ना (गुड़) . . .	(1000 मी० टन)	1107.7	1190.0	1297.9	1110.7	1121.0
सूखी लाल मिर्च . .	(1000 मी० टन)	85.01	135.9	128.3	134.1	56.6
हल्दी . . .	(1000 मी० टन)	35.3	37.4	59.4	49.1	41.1
तम्बाकू . . .	(1000 मी० टम)	163.2	237.1	159.4	129.5	133.5
केला . . .	(1000 मी० टन)	113.9	158.3	157.0	112.6	118.4

(एफ) संशोधन की शर्तों के साथ अंतिम अनुमानों पर आधारित ।

देश में खुराक के कैलोरी गुण का अध्ययन

2652. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा देश में खुराक के कैलोरी गुण के लिए बम्बई में किए गए सामुहिक समुदायों के तुलनात्मक अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : समाज कल्याण विभाग ने "बम्बई में निम्न मध्यम आय वर्ग में देशी आहारों और ऊंचे पौष्टिक मूल्य वाले भोजन का अध्ययन" से सम्बन्धित एक अनुसंधान परियोजना प्रायोजित की थी, जिसे 1975-77 में कालिज आफ होम साइन्स, बम्बई द्वारा किया गया था। इस अध्ययन के अन्तर्गत गुजरातियों, महाराष्ट्रीयों, पारसियों, मुसलमानों और पूर्वी भारत के ईसाईयों को लिया गया था। यह पता चला है कि यद्यपि इन समुदायों में भोजन के ढंग में कोई खास अंतर नहीं था और एक दिन में भोजनों की संख्या 2 से 4 तक, तो भी कैलोरी प्राप्ति के संबंध में विभिन्नताएं थी। महाराष्ट्रीयनों का नम्बर प्रथम था जो प्रतिदिन 2478 कैलोरी लेते थे और उनके बाद गुजराती थे जिनकी 2343 कैलोरी की खपत थी। सबसे कम कैलोरी अर्थात् 1422 पारसी लेते थे जब कि पूर्वी भारत के ईसाई 1700 कैलोरी और मुसलमान 1773 कैलोरी लेते थ। महाराष्ट्रीयों और गुजरातियों द्वारा अधिक कैलोरी वाली खुराक का कारण उनके द्वारा घी, तेलों, अनाज गिरियों, तेल के बीजों, चीनी और गुड़ की अधिक मात्रा में खाया जाना है। पारसियों और पूर्वी भारत के ईसाइयों द्वारा अपर्याप्त कैलोरी लिए जाने का कारण अनाज, चीनी और गुड़ को कम मात्रा में खाना है। मुस्लिम समुदाय के लोग पत्ते वाली सब्जियों का सबसे अधिक प्रयोग करते पाए गए।

सहकारिताओं के माध्यम से उर्वरकों का वितरण

2653. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के वितरण का कार्य सहकारिताओं को सौंपने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उर्वरकों के वर्तमान विक्रेताओं को सहकारिताओं के एजेंटों के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सहकारी समितियां देश में खपत किए गए उर्वरकों का लगभग 60 प्रतिशत वितरण करती हैं। इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

गन्ना और चीनी का उत्पादन

2654. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976-77 और 1977-78 में गन्ना तथा चीनी के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : चीनी वर्ष 1976-77 (पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर तक) के दौरान चीनी का उत्पादन 48.43 लाख मीटरी टन हुआ था जहां तक चीनी वर्ष 1977-78 के दौरान चीनी उत्पादन का संबंध है, इस समय विश्वसनीय अनुमान

लगाना जल्दबाजी होगी । तथापि, परिचालन योजना प्रयोजनों के लिए फिलहाल 52 लाख मीटरी का अनुमान अपनाया गया है ।

2. वर्ष 1976-77 के दौरान गन्ने का उत्पादन 1540 लाख मीटरी टन था। 1977-78 के दौरान गन्ने के उत्पादन के बारे में राज्य सरकारों से अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अखिल भारतीय पहले अनुमान के अनुसार वर्ष 1977-78 के लिए गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अनुमान 2775.5 हजार हैक्टर लगाया गया है जबकि पिछले वर्ष में उसी अनुमान के अनुसार यह क्षेत्रफल 2716.1 हजार हैक्टर था ।

स्नातकोत्तर और उच्च डिग्री प्राप्त छात्र

2655. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्नातकोत्तर और उच्च डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : तीन वर्षों की अद्यतन सूचना 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 से सम्बन्धित है, तथा संलग्न विवरण में दे दी गई है ।

विवरण II

स्नातकोत्तर और उच्च डिग्री प्राप्त छात्रों के विषय में 5 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा में श्री बाला साहिब विखे पाटिल द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2655 में संदर्भित विवरण

1971-72 से 1973-74 के दौरान उत्तीर्ण होने वाले उत्तर स्नातक तथा डाक्टरेट्स ।

(क) उत्तीर्ण होने वाले स्नातकोत्तर (सभी विश्वविद्यालय मिलाकर)

परीक्षा	उत्तीर्ण		
	1971-72	1972-73	1973-74
एम० ए०	54,582	64,408	67,621
एम० एस० सी० . . .	15,951	17,699	17,437
एम० काम०	5,615	6,993	8,869
अन्य स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाएं . .	7,240	8,804	9,666
कुल .	83,388	97,904	1,03,593

टिप्पणी :— 1971-72 से अभिप्राय है 1972 वार्षिक + 1971 पूरक परीक्षाएं। 1972-73 तथा 1973-74 भी वैसे ही ।

(ख) प्रदत्त डाक्टरेट उपाधियां (सभी संकाय शामिल हैं ।)

	1971-72	1972-73	1973-74
प्रदान की गई पी० एच० डी० डिग्रीयों की कुल संख्या .	2,547	3,050	3,056

टिप्पणी : 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 से अभिप्राय × संबंधित शैक्षिक सत्र है ।

अपने मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन करने का प्रभाव

2656. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सरकारी कर्मचारीयों के पास अपने मकान है उन्हे सामन्य पूल से सरकारी आवास आबंटित करने संबंधी सरकार के हाल के आदेशों का क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) कितने सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं और खाली क्वार्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन आदेशों के जारी होने से पूर्व की स्थिति और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क): आदेश का प्रभाव यह है कि अपने मकान रखने वाले कुछ अधिकारियों को जो सरकारी वास के दखल में थे/है, अपने निजी मकानों के किराये की आय पर आधारित उन द्वारा पहले अदा की जा रही लाइसेंस फीस से कम की दरे अदा करना अपेक्षित होंगी । अपने मकान रखने वाले सभी अधिकारी सरकारी वास के आबंटन के पात्र होंगें ।

(ख) जो अधिकारी दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के आबंटन के पात्र है और आबंटन की प्रतिक्षा कर रहें है उनकी संख्या लगभग 59000 होगी । जो क्वार्टर रहने के योग्य होते है उन्हें खाली नहीं रखा जाता है । क्वार्टर के खाली होने के तुरन्त बाद उसे मौजूदा नियमों के आधार पर पात्र अधिकारी को आबंटित किया जाता है ।

(ग) अपने मकान वाले अधिकारियों की संख्या जो 31-5-77 को सरकारी मकान के दखल में थे ।	अपने मकान वाले अधिकारी जो 30–11–77 को सरकारी मकान के दखल में थे ।
1555	1320

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जमा की गई धनराशि

2657. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऐसी सरकारी समितियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों ने कुल कितनी धनराशि जमा की है जिन्हेंअब तक भूमि आबंटित नहीं की गई है अथवा भूमि का कब्ज नहीं दिया गया है ; और

(ख) इन समितियों को गत तीन वर्षों में कितने ब्याज का भुगतान किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ग्रुप हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में 96,22,555/- रुपये जमा कर दिए हैं । पृथक-पृथक व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में 35,67,264 रुपये जमा कर दिए हैं ।

(ख) कुछ नहीं ।

दिल्ली के लिए एक अन्य विश्वविद्यालय

2658. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कितने कालेज हैं और उन में कुल कितने छात्र है;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सरकार का एक और विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और उक्त धनराशि कितने छात्रों पर खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार दक्षिणी कैम्प्स् के कुछ कालजों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या 78,781 है, जबकि विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में यह संख्या 18441 है ।

(ख) इस समय दिल्ली में कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदान तथा इस विश्वविद्यालय में नाममांक निम्नलिखित है :

	1974–75	1975–76	1976–77
अनुदान .	304.18	369.90	343.67 (रुपये लाखों में)
नामांकन .	1724	2135	2310

(घ) तथा (ङ) : चूंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालय से कालेजों को संबद्ध करने की व्यवस्था नहीं है, अतः दक्षिणी परिसर के कुछ कालेजों के उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धन का प्रश्न न हीं उठता ।

शहद का उत्पादन

2659. **श्री कुमारी अनन्तन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर शहद का उत्पादन होता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शहद का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) इन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इसके उत्पादन के लिये क्या-क्या प्रोत्साहन दिये गये ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रायें और कितनी धनराशि के शहद का निर्यात किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध विभागों से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत व्यावहारिक कार्य/प्रशिक्षण केन्द्र

2660. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10+2 शिक्षा प्रणाली के एक अंग के रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष भर में कितने व्यावहारिक कार्य/प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गन्ने की बकाया राशि

2661. **डा०लक्ष्मीनारायण पांडेय**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की करोड़ो रुपये की राशि बकाया है;

(ख) क्या ये मिलें बहुत कठीन स्थिति में है;

(ग) क्या ये चीनी मिलें ठेके की शर्तों के अनुसार गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदने की स्थिति में नही हैं यद्यपि वे आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ;

(घ) क्या इन कारणों से गन्ना उत्पादकों में भारी असन्तोष व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्य वाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1976–77 मौसम के कुल 591.18 करोड़ रुपये के गन्ने के मूल्य में से देश की विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों को 15–10–77 को गन्ना उत्पादकों को 12.59 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। यह बकाया देय राशि कुल मूल्य का 2.1 प्रतिशत बैठती है जोकि पिछले दो मौसमों से बहुत ही कम था। पिछले मौसमों में खरीदें गए गन्ने के लिये देय मूल्य के बकायों के प्रति, 711.97 करोड़ रुपये अतिरिक्त बकाया हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई मामला नहीं बताया गया है।

(ग) बकाया देय राशि बहुत ही कम होने के कारण, चीनी मिलों को ठेके की शर्तों के अनुसार गन्ना उत्पादकों द्वारा दिए गए गन्ने को खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। चालू मौसम के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार 30–11–77 को 137 चीनी मिलों ने पिराई का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जबकि इस मौसम में उत्पादन शुल्क में कोई रिबेट नहीं दी गई थी।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बेरोजगार प्रशिक्षित व्यायाम प्रशिक्षक

2662. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय 500 प्रशिक्षित व्यायाम प्रशिक्षक बेरोजगार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इस समय दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों में 2332 बेरोजगार प्रशिक्षित व्यायाम प्रशिक्षक रजिस्टर्ड हैं। देश के अन्य भागों के बारे में ऐसी ही सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को रोजगार उपलब्ध करने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सुझाव दिया है कि वह मिडिल उच्च/उच्चस्तर माध्यमिक स्कूलों में 250 छात्रों अथवा इसके एक भाग के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित करें। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के सम्बन्ध में बेरोजगारी की समस्या पर निस्संदेह देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की समस्या के सम्पूर्ण सन्दर्भ में ही विचार करना होगा।

Scholarship of Ladakh Students

2663. **Shrimati Parvati Devi** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Scholarships awarded at present to the Ladakhi students for studying in higher educational institutions outside their district and the number of students taking advantage thereof; and

(b) the steps being taken by Government to increase this facility?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) & (b) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

प्राक्कलन समिति के 91वें प्रतिवेदन की 33 वीं सिफारिश पर की गई कार्यवाही

2664. **श्री के० मायातेवर** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री आवास समस्याओं के बारे में प्राक्कलन समिति 1975–76 (पांचवीं लोकसभा) के 91वें प्रतिवेदन की 33वीं सिफारिश के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : (एक) सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों; तथा (दो) सेवा करते हुए मरने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (i) सरकार ने सिफारिश स्वीकार नहीं की है क्यों कि सिर्फ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए पहले ही एक योजना है जिसके अन्तर्गत वे स्वयं आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणों आदि से मकान बनाने के लिए अथवा बने बनाये मकानों/फ्लैटों आदि की खरीद के लिए गृह निर्माण अग्रिम ले सकते हैं। वे निम्न/मध्यम आय ग्रुप आवास योजनाओं से भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे मकान आदि बनाने/लेने के लिए अपने भविष्य निधि लेखे में अपने स्वयं की जमा पूंजी से व्यक्तिगत रूपसे निकाल सकते हैं। आवास तथा नगर विकास निगम को सलाह दी गई है कि वे उन आवास बोर्डों आदि को ऋण सहायता प्रदान करें जो उनके द्वारा निर्मित फ्लैटों/आवासों का 10% केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आवंटन के लिए आरक्षण करने के लिए सहमत हों। यह भी सलाह दी गई है कि जब सहकारी आवास सोसाइटियों से पर्याप्त ऋण आवेदन हो तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सहकारी आवास सोसाइटियों को प्राथमिकता दी जाए।

(ii) प्राक्कलन समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी किन्तु यदि किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की, सरकारी वास के दखल में, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों में से जो किसी पात्र कार्यालय में कर्मचारी हों, सामान्य पूल से तदर्थ आवंटन के लिए विचार किया जाता है।

Irregularity in the Allotment of Land to AICC for Construction of Head Office in Delhi

2665. **Shri R.L.P. Verma:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the progress made in respect of the enquiry into the complaints re: irregular allotment of land to the All India Congress Committee for construction of its Head Office in Delhi?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): No enquiry has been instituted. The question of progress of enquiry does not, therefore, arise.

Accommodation for Members of Parliament

2666. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the types of accommodation for M.Ps. and the number of units in each type at present;

(b) the covered area and open area in square metres in each type;

(c) whether Government propose to bring uniformity in the residences for M.Ps., and

(d) the number of M.Ps. who have applied for allotment of servant quarters but who have not been allotted the same and the reasons therefor?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) The Members of Parliament are allotted accommodation both from the M.Ps.' Pool and from the General Pool. The accommodation in the M.Ps. Pool has not been classified into types. The Pool consists of 153 bungalows and 418 flats besides 178 double and single suites in Western Court Hostel and Vithalbhai Patel House. 10 bungalows at Windsor Place/Janpath which had been got vacated for demolition in connection with the clearance of site for the construction of a hotel by the I.T.D.C., one double suite in Curzon Road Hostel and one Type V flat in Shahjahan Road have temporarily been placed at the disposal of the Lok Sabha Secretariat for allotment to their Members.

From General pool, 105 bungalows of types VI—VIII are at present with the Members of Parliament.

(b) The covered areas and open areas vary over a wide range.

(c) No such proposal is at present under consideration of Government.

(d) Allotment of servant quarters to Members of Parliament who are occupying M.Ps' Pool houses/flats is made by the Lok/Rajya Sabha Secretariat. General Pool bungalows in occupation of Members of Parliament have servant quarters attached to them.

अपने मकान होते हुए भी सरकारी आवास में रह रहे संयुक्त सचिव तथा सचिव पद के अधिकारी

2667. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा सचिव रैंक के कितने ऐसे अधिकारी है जो दिल्ली में अपने मकान होते हुए भी सरकारी आवास में रह रहें हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : 32–अधिकारी ।

भूतपूर्व मंत्रियों को मकान खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस

2668. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व मंत्रियों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी करती रही है जिनमें वे वैधरूप से रहने के हकदार हैं ;

(ख) क्या वे नियमित रूप से अतिरिक्त किराया देते रहें हैं; और

(ग) क्या उन भूतपूर्व मंत्रियों को विशेष रियायत दी गई है जो जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नही । जो भूतपूर्व मंत्री संसद की किसी भी सभा के सदस्य नहीं रहे उनके दखल में जो टाइप viii के मकान थे उनके आवंटन रद्द कर दिये गए थे । जो भूतपूर्व मंत्री छटी लोकसभा के सदस्य पुनः निर्वाचित हुए थे अथवा जो राज्य सभा के सदस्य बने रहे उनके दखल के टाइप–viii के मकान के आबंटन इस शर्त पर नियमित किए गए थे कि जब कभी किसी मंत्री को आवंटित करने के लिए या किसी अन्य सरकारी प्रयोजन के लिए इन मकानों की आवश्यकता होगी तो वे इन मकानों को खाली कर देंगे । भूतपूर्व मंत्रियों, जो अब संसद सदस्य हैं, के दखल में जो टाइप–viii के कुछ मकान है "मौजूदा मंत्रियों" को आवंटित करने अथवा अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए उनके मकानों की आवश्यकता है । इन मकानों में रह रहे भूतपूर्व मंत्रियों को वैकल्पिक वास आवंटित कर दिया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे टाइप–viii के मकान खाली कर दें । भूतपूर्व मंत्री, संसद सदस्य के रूप में वास के आवंटन के पात्र हैं लेकिन वे टाइप–viii के उन मकानों को अपने कब्जे में रखने के लिए कानूनी तौर पर पात्र नहीं है जो उन्हें मंत्री की हैसियत से आवंटित किए गए थे ।

(ख) जो भूतपूर्व मंत्री संसद सदस्य होने की हैसियत से सरकारी वास को अपने दखल में रखे हुए हैं उनसे उसी दर पर लाइसेंस फीस ली जाती है जो सामान्य पूल के मकानों के दखलकार संसद सदस्यों पर लागू होती है ।

(ग) जी, नहीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों के सभा पटल पर रखते में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1254/77]

भारत में औषधियों के दुरुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं श्री राजनारायण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत में औषधियों के दुरूपयोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1255/77]

Notifications under Urban Land Ceiling and Regulation Act, 1956

Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 :—

(i) The Urban Land (Ceiling and Regulations) (Sixth Amendment) Rules, 1977, published in Notification No. G.S.R. 1049 in Gazette of India dated the 6th August, 1977 together with an explanatory memorandum.

(ii) The Urban Land (Ceiling and Regulation) (Seventh Amendment) Rules, 1977, published in Notification No. G.S.R. 1226 in Gazette of India dated the 17th September, 1977 together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library See No. Lt-1256/77]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (1) म आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) मांस खाद्य उत्पाद (संशोधन) आदेश 1976, जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1776 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सा० सां० नि० 638 (ड.) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 640 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) सा० सां० नि० 663 (ड.) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 865 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1257/77]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पांचवाँ प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय : मैं देवी विपत्तियों से हुई क्षति से राहत के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के अनुपूरक प्रतिवेदन (भाग 1), संघ सरकार (सिविल) पर लोक लेखा समिति का पाँचवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

दसवां तथा चौदहवां प्रतिवेदन

श्री सूरज भान : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय—(अर्थिक कार्य विभाग—बैंककारी प्रभाग—इलाहाबाद बैंक में प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती पर दसवां प्रतिवेदन ।

(2) गृह मंत्रालय—परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद पर समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन (पाँचवी लोक सभा) में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन ।

10—349 LSS(ND)/77

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

नौवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है"।

श्री ओंकार राय : मैंने फरक्का बांध के बारे चर्चा हेतु समय देने के लिये अनुरोध किया था लेकीन यह चर्चा भी तक भी नहीं हुई है। इसे अगले सप्ताह के लिये रखा गया है। इसकी चर्चा के लिये यथाशीघ्र समय निश्चित किया जाये।

श्री कंवरलाल गुप्त : दिल्ली के दोनों विश्वविद्यालय बंद हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा के लिये यथाशीघ्र कोई समय निश्चित किया जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : दिल्ली विश्वविद्यालय के बंद होने के बारे ध्यानार्कषण प्रस्ताव स्वीकार करने के बारे मैंने आपसे अनुरोध किया था। आपने कहा था कि इस बारे एक अल्प सूचना प्रश्न आया है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे अल्प सूचना प्रश्न के अन्तर्गत काफी चर्चा हुई है।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : A calling attention notice given on this subject may be taken up.

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : मैंने तूफान के बारे नियम 193 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल एक सामान्य चर्चा होगी।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा दिल्ली के विश्वविद्यालयों के बंद होने सम्बन्धी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर आपने क्या निर्णय लिया ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में कुछ और कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

*Not Recorded.

नियम 377 के अधीन मामले
MATTER UNDER RULE 377

श्री लंका में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा

श्री के० टी० कोसलराम (तिसचेंडूर) : हाल में श्री लंका में हुए दंगों में विशाल पैमाने पर लूटमार, शीलहरण और बहुत सी हत्याएं हुई जिसके शिकार दक्षिण भारतीय विशेषकर तामिलभाषी लोग हुए। इससे भारतीय समुदायों में चिंता की लहर दौड़ गई और श्री लंका में भारतीय मूल के लोगों की जानमाल की सुरक्षा के विषय में उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है। तामिलनाडु विधान सभा ने एकमत से यह संकल्प पारित किया है कि श्री लंका को एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजना आवश्यक है। मैंने विदेश मंत्री को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि लोगों की भावनाओं का पता लगाने के लिये श्री लंका को एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाये। श्री वाजपेयी ने अपने उत्तर में बताया है कि श्री लंका को एक सदभावना प्रतिनिधि मंडल भेजने पर विचार हो रहा है। उनका उत्तर मिले दो मास हो चूके हैं। हम इस सम्बन्ध में अंतिम स्थिति जानना चाहते हैं।

हमारा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री लंका सरकार से भारतीय मूल और तामिल भाषी लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये बातचित करें और उचित हल निकालें।

मुझे प्रधान मंत्री ने सूचित किया है कि दंगों के शिकार लोगों के लिए उच्चायोग की मार्फत श्री लंका को 10 लाख रुपये भेजे गये हैं। परन्तु हमें नहीं पता कि इस धन को किस प्रकार व्यय किया गया। उन्हें क्या रियायतें दी गईं ? हम इसकी जानकारी चाहते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर आठ मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The House re-assembled after lunch at eight minutes past fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये। / MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.* }

नियम 377 के अन्तर्गत मामले—जारी
Matters under Rule 377—Contd.

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों द्वारा बोट-क्लब पर प्रदर्शन

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों के हजारों अध्यापक दिल्ली आये हैं और बोट क्लब पर संसद भवन के बाहर विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक संघ फेडरेशन के तत्वधान में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अनुभव करता हूं कि कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों तथा ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और अन्य शिक्षकों और प्रदर्शकों आदि के साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार नही हो रहा है। पिछली सरकार से भी यही शिकायत

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

थी और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान सरकार भी इस दिशा में बड़ी धीमी गति से बढ़ रही है ।

इन प्राध्यापकों आदि द्वारा उचीत और ठीक मांगे रखने पर भी सरकार को इन मामलों के हल के लिए अधीक समय लेना समझ में नहीं आता । उनकी कुछ महत्वपूर्ण मागें लंबे समय से चली आ रही हैं ।

पहली मांग उनकी यह है कि आपातस्थिति की ज्यादतियों की जांच की जाये । हज़ारों छात्रों और अध्यापकों को गैरकानूनी ढंग से गलत तरीके से और अनैतिक रुप में गिरफ्तार किया गया और नौकरी से निकाल बाहर किया गया । परेशान करने के सभी मामलों की जांच की जाए और अन्याय को दूर करने के शीघ्र उपाय किये जाये ।

दूसरी मांग उनकी यह है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों अध्यापकों, ग्रन्थालयों आदि की सेन समिति द्वारा सुझाये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान नहीं दिये जाते ।

उनकी अगली मांग प्रबंध के बारे है । अनेक कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के प्रबंध लोक-तांत्रिक नही है ।

उनकी अगली मांग यह है कि कालेज के प्रबन्ध को अधिक लोक तांत्रिक बनाया जाये । वे नौकरी की वैधानिक सुरक्षा भी चाहते हैं और यह सभी शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को प्रदान की जाये ।

अध्यापक 10+2+3 प्रणाली को बनाये रखने के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं । इसका सम्बन्ध क्योंकि हजारों लाखों छात्रों से है इसलिये सरकार शीघ्र प्रभावकारी और व्यावहारिक निर्णय ले ।

प्रधान मंत्री को जान से मार देने की धमकी का कथित समाचार

श्री वैयालार रवि : ऐसा समाचार मिला है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री की हत्या की धमकी दी गई है । देश के विभिन्न भागों में संगठित रुप से तोड़ फोड़ की कार्यवाहीं हो रहीं हैं । इंडियन एक्सप्रैस में छपे एक पत्र में कहा गया है कि यदि आनन्द मार्गियों की मांगों को न माना गया तो इसके भंयकर परिणाम होंगे । पत्र में आगे कहा गया है कि वे प्रधान मंत्री की भी हत्या कर देंगें । यह एक भयंकर धमकी है । इस संबन्ध में सदन को बड़ी चिन्ता है और हम जानना चाहते है कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है । प्रधान मंत्री की हत्या की ऐसी धमकी का सामना सरकार को अपनी पूरी शक्ति से करना चाहिये ।

सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा समाचार सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE. STATEMENT ON SAMACHAR BY THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं । यह श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा पेश किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखने के बारे में है । क्या आप इसके लिये आग्रह करती हैं ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा पेश किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION *RE.* DISAPPROVAL OF THE BANKING SERVICE COMMISSION (REPEAL) ORDINANCE, 1977 BANKING SERVICE COMMISSION (REPEAL) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सौगत राय द्वारा 29 नवम्बर, 1977 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प

"यह सभा, राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित, बैंककारी सेवा (निरसन) अध्यादेश, 1977 (1977 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है ।" और

श्री एच० एम० पटेल द्वारा 29 नवम्बर, 1977 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे :—

"कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

डा० मुरली मनोहर जोशी (अल्मोड़ा) : मैं विधेयक को समर्थन और संकल्प कों विरोध करता हूं ।

यह तर्क दिया गया है कि बैंककारी आयोग अधिनियम, 1975 के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को एक उद्देश्य और दिशा दी गई है । यह भी तर्क दिया गया कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का बडा विस्तार हुआ है । यह बडा विस्तार क्या है ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था । बैंककारी आयोग का प्रतिवेदन 1972 में आया था । इसके बाद संसद के सामने एक ही महत्वपूर्ण विधेयक 1975 में लाया गया । अधिनियम 1975 में पास किया गया था परन्तु आयोग की स्थापना फरवरी, 1972 में हुई जब कांग्रेसी नेताओं को फिर से सत्ता में आने की आशा थी तथा उसके बाद वे केन्द्र के हाथ में अधिकार रखने का विचार रखते थे । इस आयोग की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य 'रा' द्वारा प्रत्येक नियुक्ति की अनुमति देना और बैंकों में उच्च पदों पर केवल उन्ही व्यक्तियों को नियुक्त करना था जो सरकार की हां में हां मिला सके । बैंकों को दिये गये निदेश का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण के आठ वर्षों के दौरान औद्योगिक गृहों को दिये गये ऋणो से स्पष्ट हो जायेगा । ऋण का बड़ा भाग इन बड़े उद्योगों को ही गया । छोटे उद्योगों के ऋण भी समाप्त कर दिये गय और फिर एकाधिकार गृहों को य ऋण दे दिये गये ।

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

यह भी कहा गया है कि सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करना चाहती है । सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा । प्रधान मंत्री ऋणों पर सरकारी नियंत्रण रखने पर विश्वास रखते हैं । रेलवे में 6–7 सेवा आयोग हैं । सरकार बिना किसी सांविधिक अधिकार के इन आयोगों की मार्फत रेलवे में भरती करती रही है । क्या किसी ने सरकार की नीयत की और उंगली उठाई और कहा कि सरकार रेलों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करना चाहती है ।

यह तर्क दिया गया है कि वे युवकों को नौकरी देने के लिये एक ऐसी परीक्षा संस्था बनाना चाहते हैं जो निष्पक्ष हो और नियुक्ति तेजी से हो सके । एक करोड़ प्रार्थनापत्रों की जांच करनी होती है । इसमें कितना समय लगेगा ? यदि वित्त मंत्री यह कहते हैं कि इस काम में गति लाने के लिये 6–7 क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र बनाये जायें तो इसमें क्या हानि है ? इसके लिये दिशा निर्देश रिजर्व बैंक की परामर्श से सरकार देगी । हमें रिजर्व बैंक में विश्वास होना चाहिये । हम चाहते है कि बैंकों में उस क्षेत्र विशेष के लोग ही भरती हों । मद्रास या तमिलनाडु के छात्र को प्रतीक्षा कर उसे कहीं और नियुक्त क्यों किया जाये ? नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी वहां की जनता के इतिहास, परम्पराओं और आवश्यकताओं से अवगत होने चाहिये । उन्हें पता होना चाहिये कि ऋण किस काम के लिये लिया जा रहा है ।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): It is not understood how it is being concluded that this Bill aims at denationalisation of banks. There is no question of denationalisation of Banks at all. It simply provides for arrangements for recruitments to banking services on regional basis.

The Banking Service Commission Act was passed in 1975 during emergency although banks were nationalised in 1969 and recommendation to set up a Banking Commission was made in 1972. Even the Commission was not constituted, and the Chairman was appointed. It would thus be seen how sincere the previous Government was in this matter.

It is simply a question of practicability. It should not be given a philosophical touch. The Government wants to form 7 zones and for the purpose of recruitment. The aim of it is that the People recruited on regional basis will be able to properly appreciate the problems of the people of that region. It will also save much time.

Everybody knows that the previous Government believed in centralisation of power while the present Government believes in decentralisation of power and this step is aimed at it.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : अखिल भारतीय आधार पर निष्पक्ष रूप से कर्म चारियों का चयन करने के सिद्धान्त को समाप्त किया जा रहा है और इस कदम की व्याख्या बड़े बेहूदा तर्क देकर उद्देश्यों और कारणों के विवरण में की गई है । लोक सेवा आयोग को समाप्त करने का निर्णय इसलिये लिया गया है ताकि सरकार अपनी मर्जी से नियुक्तियां कर सके । बैंक अखिल भारतीय संस्थायें है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था । इसकी भरती को छोटे से क्लर्क की भरती न माना जाये क्योंकि ये लोग बड़े महत्व वाले हैं ।

उद्देश्य और कारण के विवरण में कहा गया है कि ऐसे आयोग की आवश्यकता की समीक्षा की गई और यह अनुभव किया गया कि बैंकों में भरती के केन्द्रीयकरण से इनकी स्वायत्तता

और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। इनसे इसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ? यदि स्वायत्तता प्रदान करनी ही है तो प्रत्येक बैंक की शाखा को यह स्वायत्तता प्रदान की जाये। समूचे बैंककारी सेवा आयोग विधेयक में स्वायत्तता का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। दूसरे यदि इसका उद्देश्य अखिल भारतीय आधार पर नियुक्तियां करना है तो पहले भी यह हो रहा था और नियुक्तियां क्षेत्रीय आधार पर हो रही थी। आयोग की नियुक्ति और किसी बैंक की स्वायत्तता दो अलग अलग बातें हैं और एक निष्पक्ष और उचित अखिल भारतीय चयन संगठन को समाप्त करने के लिये इन्हें इकठ्ठा नहीं किया जा सकता।

यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती की जाती है परन्तु इसके लिये तो और भी आवश्यक है कि इस प्रकार का एक निष्पक्ष आयोग हो।

यह भी कहा गया है कि इस व्यवस्था से क्षेत्रीय कार्यालयों के बावजूद भरती की व्यवस्था बड़ी विशाल और अव्यवस्थित हो जायेगी। परन्तु अब भी वैसे ही क्षेत्रीय कार्यालय होंगे और वे कठिनाईयां बनी रहेंगी। बल्कि इससे और भी अधिक कठिनाईयां हो जायेंगी क्योंकि बैंकों में नौकरी के इच्छुक युवक को अब सात कार्यालयों में जाना होगा। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था में बैंकों का महत्व कम होगा।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत भरती की व्यवस्था बैंकों में प्रचलित पहली व्यवस्था के समान ही रहेगी। इससे और कठिनाईयां बढ़ जायेंगी और बैंक अधिकारियों के हाथों में और अधिक अधिकार केन्द्रित हो जायेंगे। बड़े ही दुःख की बात है कि लोकतंत्र और स्वायत्तता के नाम पर देश के महत्वपूर्ण संगठन को क्षेत्रीयता और अन्य बातों के प्रभाव के अन्तर्गत लाया जा रहा है। क्षेत्रीय नियुक्तियों के लिये स्थानीय या क्षेत्रीय रोजगार दफ्तरों के द्वारा विभिन्न बैंकों में भरती की जाये।

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : मैं बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक का विरोध करता हूं। जिस विधेयक का निरसन किया जा रहा है वह आवश्यकता पर आधारित था। प्रसिद्ध और विद्वान लोगों से युक्त आयोग ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में भरती की समस्या पर व्यापक रूप से गहराई से विचार किया था।

बैंक राष्ट्रीयकरण किसी विशेष गुट या दल की बात नहीं थी परन्तु यह लोगों की आकांक्षा थी। आयोग कि नियुक्ति की बात राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में ही कही जाती थी।

विवरण में दिये गये कारण तकनीकी हैं। निरसन विधेयक पेश करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि इन बैंकों में प्रति वर्ष 16000–17000 श्रेणी तीन और चार और 2000–3000 अधिकारी वर्ग के कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। इस तर्क को नहीं माना जा सकता क्योंकि लोक सेवा आयोगों द्वारा बहुत से लोगों की भरती की जाती है। इसलिये संख्या कोई समस्या नहीं है।

बैंकों में भर्ती के मामले को केवल क्लर्कों की भर्ती ही नहीं मानना चाहिये। चूंकि हमारी नीति ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार करने की है इसलिये बैंकों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विचारधारा उन बैंकों के प्रति वचनबद्ध होनी चाहिये और जनता के प्रति सेवा भावना होनी चाहिये।

[श्री के० ए० राजन]

यह निरसन विधेयक पश्चगामी कदम है और इससे उस लक्ष्य की कभी पूर्ति नहीं होगी जिसके लिये इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ।

इस सम्बन्ध में बैंक कर्मचारियों की सम्मति लेना आवश्यक है । बैंक कर्मचारियों तथा उनके संगठनों ने स्पष्टत: कह दिया है कि बैंकों में भर्ती तथा बैंकों के सुचारु रूप से कार्यकरण के लिये बैंककारी सेवा आयोग होना चाहिये ।

श्री यशवन्त बोरोले (जलगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यदि सरैय्या आयोग के प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक देखा जाये तो इससे यही पता चलता है कि एक केन्द्रीय आयोग बनाने का विचार का इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से औचित्य स्थापित नहीं होता । यदि भर्ती सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया और उनका पालन किया गया तो केन्द्रीयकृत मशीनरी बहुत उपयोगी और सुगम रहेगी । इस मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ही इस समग्र मामले पर विचार करना होगा ।

यदि बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर तरीके से काम करना है तो इस प्रणाली को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारियों को उन ग्रामीण परिस्थितियों से परिचित रहना चाहिये जिनमें कि यह बैंक कार्य करता है । इस तरह केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति अपनी प्रगति की विचारधारा में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं ?

यह कहा गया है कि बैंकिंग व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने का यह दूसरा तरीका है । लेकिन ऐसी बात नहीं है । वस्तुत: यदि उद्देश्य की पूर्ति की जानी है तो हमें यह देखना चाहिये कि बैंकों का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो ।

Shri Om Prakash Tyagi : It is not good to oppose a thing merely for the sake of opposition. Some people are in the habit of criticising every thing which Government bring forward.

It is really the matter of surprise how this Bill has been linked with the question of denationalisation of banks. They are simply trying to malign the Janata Party that it is denationalising the banks. But the people are not to be misled by such things.

It is argued that the Banking Commission aims at improving the Banking services. But it is not known why the previous Government took so much time in establishing the Banking Commission if they were so sincere in their purpose. Banks were nationalised in 1969, proposal for the establishment of the Banking Commission was mooted in 1972, Act was passed in 1975 and commission was appointed in 1977 and that also not the full commission but only its chairman. It will thus appear that the previous Government deliberately delayed the appointment of the commission in order to fix incompetent people in banking services to toe their lines. It has been proved by the recent resolutions also.

This question should be viewed in the light whether the establishment of Banking Commission is in the interest of the public and the banks or not. The Central Banking Commission will take an unduly long time to recruit the

candidates for Banking Services since it will be a voluminous job for it. It may lead to unfair practices also in the matter of selection of candidates. Therefore, the proposed system of recruitment on regional basis is the best suited in the interest of proper functioning of the banks. The people selected regionwise will also be able to appreciate the problems of the people of that region. I, therefore, welcome the Bill.

श्री सो० रा० विश्वनाथन् (तिरुपत्तूर) : इस विधेयक से विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों में भर्ती के उद्देश्य के लिये यह देश 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। राज्यों को और अधिक स्वायत्त अधिकार देने की दिशा में यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। और इसीलिये यह सराहनीय कदम है। इन प्रादेशिक घटकों के बोर्ड ही भर्ती अधिकारी आदि होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बोर्ड के सदस्य तथा अन्य कर्मचारी उस क्षेत्र के निवासी होने के कारण वहां की स्थितियों से भलि प्रकार परिचित होंगे। वे बैंकों की सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की परिस्थितियों से भी परिचित होंगे। अत: इस कदम से काफी सीमा तक बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी।

दूसरे इस आयोग के समाप्त करने से कोई हानि भी नहीं होगी, क्योंकि इससे केवल एक अध्यक्ष और 27 कर्मचारी ही प्रभावित होंगे। अत: अण्णा द्रमुक की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह काला विधेयक है जो समग्ररुप से लोगों के हितों और भारत के संविधान की भावना के प्रतिकूल है। संविधान के अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है कि केन्द्र और राज्यों में सेवा आयोग होंगे। कहा गया है कि हम सेवा आयोग में अपने ही लोगों को भर्ती करना चाहते थे। यह आरोप सरासर निराधार है।

सर्व प्रथम यह सेवा आयोग श्री मोरारजी देसाई द्वारा नियुक्त किया गया था जब वह भारत के उपप्रधान मंत्री थे और अब प्रधान मंत्री है। लेकिन सांविधिक अधिकार नहीं लिया जा रहा है। अधिनियम के खण्ड 4 की धारा 3 के अन्तर्गत आयोग को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अधिकार दिया गया है।

फिर सदस्यों की निष्ठा भावना पर सन्देह किया गया है। खण्ड 2 की धारा 4 में प्रावधान है कि आधे सदस्य पूर्ण योग्यता प्राप्त होने चाहिये और उन्होंने किसी बैंक आयोग में 10 वर्ष तक सेवा कार्य किया हो। अत: किसी 'जो हजूरी' करने वाले का यहां आने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु यदि यह अधिनियम नहीं होता तो ऐसे अनेक व्यक्ति यहां होते।

वर्तमान प्रावधान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के हितों के विपरीत है। इसकी धारा 17 एक सांविधिक उपबन्ध है। यह सरकार इससे बच नहीं सकती।

अधिनियम की धारा 22 में उपबन्ध है कि इस सदन को प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। लेकिन अब प्रायवेट बैंकों द्वारा संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इन कारणों से मैं विश्वास करता हूं कि यह अधिनियम इस देश के निर्धन लोगों, हरिजनों और अल्प संख्यक व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मंत्री महोदय को यह विधेयक वापस लेना चाहिये।

[डॉ० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

(DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*)

Shri Durga Chand (Kangra): This Bill provides for centralised system of recruitment of personnel in Banks, but it is well known that candidates belonging to remote parts or hilly or backward areas, never get an opportunity to compete for selection and therefore, they never get any representation in the banking service. If the regional system is adopted, Boards will be formed under it, and they will function under the guide lines issued by the Central Government. The Chairmen of the Boards will also function according to these guidelines and there will be no scope for any kind of corruption. It is hoped that under the system envisaged in the Banking Service Commission (Repeal) Bill, the selection of personnel will be fair and impartial under the guidelines issued by the Central Government and the rural people will be given more opportunities to enter into banking services with a view to removing regional imbalance. However, I support the Bill.

***श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** (दुर्गापुर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। कांग्रेस सरकार ने कुछ लोगों के हाथ में सत्ता के संकेन्द्रण की नीति अपनाई थी इसी उद्देश्यहेतु संविधान में 42 वां संशोधन किया गया। इसी नीति के अनुसरण में उसने बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने पिट्ठू भर दिए ताकि कुछेक हाथों में ही सत्ता का संकेंद्रण रहे। जब बैंक राष्ट्रीयकरण विधयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया था हमने सरकार का समर्थन इस लिए किया था कि हमने यह महसूस किया था कि हम बड़े एकाधिकार वादी गृहों के चुंगुल में फसे हैं तथा इससे देश के प्रमुख ऋणदाता संस्थान समाप्त हो जाएंगे और छोटे तथा सीमांत किसानों को ऋण मिलने लगेगा। हमें यह भी आशा थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को लाभ होगा। लेकिन खेद है कि इन लोगों की घोर उपेक्षा की गई और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारी ऋण दिया गया, जिसके फलस्वरूप अमीर और अमीर तथा गरीब अधिक गरीब हो गया।

माननीय सदस्य श्री वयालार रवि ने कहा है कि वर्तमान विधेयक के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के सदस्यों को सबसे अधिक परेशानी होगी लेकिन यह सही नहीं है। हम वर्तमान विधेयक का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे और योग्य एवं सुपात्र को न्याय मिले। वस्तुतः हम सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते है। वर्तमान विधेयक सही दिशा में एक कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): सरकार ने इस विधेयक के कारण एवं उद्देश्य संबंधी वक्तव्य में इस संबंध में अध्यादेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई कारण नहीं बताया है। इस अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी। सरकार ने संसद के सत्र की प्रतीक्षा क्यों नहीं की। अब समय आ गया है कि जनता सरकार को अध्यादेश जारी करने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि प्रतिपक्ष से इस संबंध में परामर्श क्यों नहीं किया गया इस मामले में कांग्रेस दल को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन इससे कुछ शंकाएं

*बंगला में दिये गए भाषण के अन्ग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bangla.

उत्पन्न हो गई है कि क्या इसमें भर्ती संबंधी नीति का पुनर्विन्यास करने की व्यवस्था है और क्या सरकार बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले पर फिर विचार करेगी । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में विपक्षी दलों से कोई सलाह नहीं ली गई है । दूसरे सदन में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और यदि वे चाहे तो इस विधेयक को रोक सकते हैं । अतः संसदीय समय सारिणी के सम्यक कार्यकरण के लिए यह आवश्यक है कि पहले विपक्ष से सलाह ली जाती, उनकी प्रतिक्रिया जानी जाती और फिर अध्यादेश जारी किया जाता ।

मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आज भी समर्थक हूं । मैं सामाजिक और आर्थिक न्याय में विश्वास रखता हूं । पिछले वर्षों में बैंक एकाधिकारगृहों तथा बड़े व्यापारगृहों के निजी हितों को देखते रहे तथा निर्बल और गरीब लोगों की बुरी तरह उपेक्षा करते रहे । केवल मात्र यह कहने से कि सरकार मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का अर्थ यह है कि सरकार इन्हें हस्तक्षेप से मुक्त रखेगी । अतः आश्वासन दिया जाना चाहिए कि सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण तथा सुधरी भर्ती नीति अपनाने की है क्योंकि मुझे इस बात की शंका है कि राष्ट्रीयकरण समाप्त करने की प्रक्रिया संभवतः आ रही है । ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए सरकार को मुद्दा स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को बनाए रखना चाहती है ताकि बैंक की सेवाओं में सुधार हो और कमजोर तथा निर्धन लोगों के सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जाए । यदि ऐसा हो जाए तो ठीक है अन्यथा इस विधेयक का समर्थन करना बहुत कठिन है ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मुझे प्रतिपक्ष के नेता के इस वक्तव्य "कि इस विधेयक का आशय अध्यादेश के मूल अधिनियम को समाप्त करना है तथा यह राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने का एक और तरीका है" को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । श्री मावलंकर ने भी ऐसी ही शंका व्यक्त की है । जहां तक संभव होगा अध्यादेश के द्वारा विधान बनाने की प्रणाली को दूर रखा जाएगा लेकिन कुछ अवसरों पर अध्यादेश जारी करने पड़ जाते हैं । लेकिन जब संसद का सत्र करीब हो तो ऐसा करना उचित प्रतीत नहीं होता ।

जहां तक राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का सम्बन्ध है सरकार का ऐसा कोई आशय नहीं है । राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने और इसके सुधार करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ गये हैं । 1974 और 1976 के बीच अर्थात् 3 वर्षों के दौरान लगभग 2600 ग्रामीण शाखाएं खोली गई थीं । 1977 में यह संख्या 1384 हो गई है । सरकार ने रिजर्व बैंक को निदेश दिया है कि विस्तार के उद्देश्य की पूर्ति को दृष्टि में रखते हुए शाखा विस्तार के मामले का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की जाय । इसी तरह प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के मामले का अध्ययन करने के लिए एक अन्य समिति गठित की गई है क्योंकि ये शाखाएं किसी सैद्धान्तिक आधार के बिना आरम्भ की गई थी । इसीलिए हमने कहा है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का आशय एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की खामियां पूरी करना है और दूसरी ओर सहकारी बैंकों की कमियां दूर करना हैं । हम यह महसूस करते हैं कि हम उपांतिक और छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसीलिए अन्य संगठन पैदा हो रहे हैं । इस मामले को दृष्टि में रखते हुए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोलने का विचार पैदा हुआ था लेकिन यह समय कि रूप से कार्य नहीं कर रहा है । जब से ये बैंक खोले गए हैं इन्होंने बहुत कम ऋण दिया है जबकि इनकी शाखाएं बहुत अधिक संख्या में हैं । जिस सीमा तक ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई है । इस

[श्री एच० एम० पटेल]

उद्देश्य को प्राप्त करने में समय लगेगा । फिर भी मुझे इस बात में शंका नहीं है कि जिस तरह से ये बैंक काम कर रहे हैं उससे राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपना योगदान बढ़ायेंगे । राष्ट्रीयकरण के संबंध में हमारी रुचि ईमानदारी से बढ़ रही है और यह कहना कि यह विधेयक बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने के लिए लाया गया है अत्यंत अनुचित है, और यह निष्ठुर और निर्दय आरोप है । बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया । बैंकिंग आयोग की नियुक्ति बहुत पहले की गई थी और 1972 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया । लेकिन भूतपूर्व सरकार ने एक सांविधिक आयोग की स्थापना हेतु विधेयक लाने से पहले इस पर विचार करने में तीन वर्ष का समय लिया यह आयोग किस प्रकार कार्य करेगा इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया ।

बोर्डों के बारे में भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि नए बोर्डों का गठन संतोषजनक नहीं है । लेकिन राष्ट्रीयकरण के तीन वर्षों बाद तत्कालीन सरकार निदेशक बोर्ड को नियुक्ति कर पाई । प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि हमने अनुसूचित जाति के हितों की उपेक्षा की है । लेकिन तथ्य यह है कि कांग्रेस द्वारा नियुक्त किये गये बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के केवल 3 ही प्रतिनिधि है हमने अब प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कम से कम एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है ।

हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारीयों, अधिकारोयों आदि के अनुपात के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए है और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है । वे उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

यह भी कहा गया है कि हम सांविधिक आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर बोर्ड स्थापित कर रहे हैं, जो कि सांविधिक नहीं होंगे । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पक्षपात करेंगे या वे अपना कर्तव्य सौद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं करेंगे । यह पहले ही बताया जा चुका है कि बैंकिंग क्षेत्र के बाहर से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को चेयरमन नियुक्त किया जायेगा । स्टेट बैंक पहले ही इसी तरह के बोर्ड के माध्यम से भर्ती कर रहा है, जिसका चेयरमैन एक विशिष्ट प्रशासक है । इस बात की वहां कोई शिकायत नहीं मिली है कि भर्ती के मामले में किसी तरह का गलत काम हो रहा है । अतः यह कहने का कोई कारण नहीं है कि इन बोर्डों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं होगा । बैंक इन बोर्डों को नहीं चलायेंगे । इन बोर्डों की स्थापना अब बनाई जाने वाली योजना के अन्तर्गत की जायेगी । किन्तु बैंक उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे । हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामिण क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व तथा चयन में हर प्रकार की सुविधा मिले । इस योजना को अभी अन्तिम रूप देना है । अतः हमने जिस तरह की योजना सोची है, वह बहुत अच्छी है और वह राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेगी ।

विधेयक के समर्थन में जो कुछ मैंने कहा है आशा है माननीय सदस्य उसे स्वीकार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचार हेतु प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैंने दोनो पक्षों के सदस्यों के भाषणों को बहुत गौर से सुना है तथा मुझे वित्त मंत्री के उत्तर को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । मंत्री महोदय ने जो कुछ भी कहा उसमें जरा भी तथ्य नहीं है । साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि उत्तर देते समय वह काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे तथा थोड़े भावुक भी हो गए । उन्होंने कहा है कि हमने इस विधेयक की अनुचित आलोचना की है । हमारी यह शंका है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त न कर दिया जाए, मंत्री महोदय के पहले के

विचारों को जबकि संसद में उन्होंने इसका विरोध किया, देखते हुए बलवती होती है। इसीलिए बैंक सेवा आयोग के निरसन को राष्ट्रीयकरण समाप्त करने की दिशा में एक कदम माना है।

वित्त मंत्री ने मुख्यत: विकेंद्रीयकरण का उल्लेख किया है। जनता पार्टी का प्रत्येक मंत्री इसी बात का उल्लेख करता है। किसी भी मामले पर अन्ततोगत्वा वे विकेन्द्रीयकरण की बात पर आ जाते हैं। इसी तर्क को लेकर सरकार ने बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम के निरसन का सुझाव दिया है।

जैसा कि स्वयं इस अधिनियम में बताया गया है कि बैंकिंग सेवा आयोग स्थानीय लोगों तथा स्थानीय बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है। बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम में इसके लिए उपबन्ध है। इसके बजाय विकेन्द्रीयकरण के नाम पर मंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्रीय बोर्डों की स्थापना की जाएं।

मंत्री जी ने भर्ती बोर्ड में बाहर से प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा प्रसिद्ध बैंकर्स को रखने का उल्लेख किया है। इस समय एक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स है। यदि किसी अधिकारी को बैंक में पदोन्नति पानी है तो उसे इस इंस्टीट्यूट से प्रमाणपत्र लेना पड़ता है। मुझे बैंकिंग अधिकारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि यह संस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है।

वित्त मंत्री ने हमें उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताएं हैं जिन्हें विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है।

सेवाओं में जाति-पांति के भेदभाव को दूर रखने के लिए संवैधानिक उपबन्ध है। हमने संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों रेल सेवा आयोग के इस संवैधानिक उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए कहा है। मंत्री जी ने संवैधानिक उपबन्ध को पूरा करने के लिए जो योजना बनाई है उसके बारे में भी एक शब्द नहीं कहा है।

जनता पार्टी के सदस्यों ने इसे शीघ्रता से पास करने का विरोध किया है। श्री पटेल ने यह भी कहा है कि स्कीम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि इसे जल्दबाजी से क्यों पास किया जा रहा है। क्या ऐसा करने से मंत्री महोदय अपने दल के लोगों को कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि इसे स्थगित किया जायें। मैंने इसीलिये इसके निरनुमोदन हेतु एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री एच० एम० पटेल : श्री सौगत राय ने कहा है कि निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्यों नहीं बताये गये। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नाम पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु फिर भी मैं उन्हें कल सभा पटल पर रख सकता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जिस माननीय सदस्य को सदस्यों के नाम चाहियें वह मंत्री महोदय को लिख कर उनसे मंगा सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने कहा था कि इस स्कीम में सुधार किया जा सकता है। इसे मार्च, 1978 से लागू किया जायेगा। अत: अध्यादेश के जारी किये जाने की तिथि से स्कीम के लागू किये जाने की तारीख तक के समय को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस में कोई शीघ्रता नहीं की जा रही है।

[श्री० एच० एम० पटेल]

माननीय सदस्य ने कहा है कि हाल में बैंको को एक परोक्षा के प्रश्न पत्र का परोक्षार्थियों को पहले ही पता चल गया था । ऐसी स्थिति में सावधानी नहीं बरती गई होगी भर्ती के प्रश्न को लेकर कुप्रथाओं का उल्लेख भी किया गया है। इस बारे में उन्होंने किसी विशेष मामले की बात भी की है। इस मामले का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

सभापति महोदय : अब मैं सांविधिक प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 (1977 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 39 : विपक्ष में 86

Ayes 39 : Noes 86

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 5 were added to the Bill

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the inacting formula and the Title were added to the Bill

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 92 : विपक्ष में 43

Ayes 92 : Noes 43

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक
PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

इस विधेयक का उद्देश्य 3 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित बोनस संदाय अध्यादेश का स्थान लेना है। इसका सीमित और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य बोनस के विद्यमान कानून में व्यापक परिवर्तन नहीं है और न ही अधिनियम से सम्बन्धित सभी मामलों को प्रभावित करना था जिनपर श्रमिकों अथवा कर्मचारियों द्वारा परिवर्तन के लिये मांग की गई। उसका तात्कालिक उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य न्यूनतम बोनस को समाप्त करने से पूर्व की स्थिति को पुनः कायम करना है।

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था। उस अध्यादेश के स्थान पर बाद में संसद ने एक अधिनियम पास किया। उसके अधीन 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस समाप्त किया गया था। वर्ष 1974 के किसी भी दिन से आरंभ होने वाले लेखा वर्ष में न्यूनतम देने योग्य बोनस 4 प्रतिशत किया गया था। किन्तु यह उपबन्ध भी किया गया था कि बाद के लेखा वर्षों में यदि अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं होता तो फिर न्यूनतम बोनस नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार लाभ हानि को ध्यान में न रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम बोनस को अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत अनिवार्य बोनस से हो हाथ नहीं धोना पड़ा बल्कि उन्हें सांविधिक रूप से 1965 से मिल रहा 4 प्रतिशत बोनस से भी वंचित हो ना पड़ा। साथ हो संशोधन के अधीन बैंकिंग कम्पनियों तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण के कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। अधिनियम की धारा 34(3) के अधीन नियोजक तथा कर्मचारी इस भिन्न फार्मूले के आधार पर बोनस के बारें में किसी समझौते पर पहुंच सकते थे, किन्तु उस अधिनियम में यह उपबन्ध भी समाप्त कर दिया गया था।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो इसने घोषणा की कि लोगों द्वारा प्राप्त समर्थन के अनुसार सरकार आपात स्थिति के दौरान हुए गलत कार्यों तथा अन्याय को दूर करेगी। इसलिए सरकार ने पुनः हर तरह को स्वतंत्रता प्रदान की है।

समाज के अन्य वर्गों की भांति श्रमिक वर्ग को भी आपात स्थिति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसलिए सरकार ने तत्काल कार्मिक संघों के अधिकार उन्हें पुनः लौटा दिए। आपात स्थिति के दौरान कर्मचारियों का न्यूनतम बोनस समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनः उन लोगों को दे दिया गया। अतः सरकार ने निर्णय किया है कि लेखा वर्ष 1976 में 8.33 प्रतिशत बोनस दे दिया जायें किन्तु बोनस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को रुग्ण एककों की रक्षा करने को शक्ति प्राप्त रहेगी।

सरकार मजूरी आय तथा कीमतों के बारे में एक समेकित नीति तैयार करने का प्रयास कर रही है। इस तरह की समेकित नीति तैयार करने हेतु विभिन्न मामलों पर गहराई

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

से अध्ययन करने की आवश्यकता है और इस पर कुछ समय भी लगेगा फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि चालू वर्ष के लिए बोनस के प्रश्न पर निर्णय को स्थगित करना कर्मचारियों के हित में नहीं होगा। तदनुसार, सरकार ने निर्णय किया है कि न्यूनतम बोनस वार्षिक आय का 8.33 प्रतिशत निर्धारित किया जाये, चाहे प्रतिष्ठान को लेखा वर्ष के दौरान लाभ हुआ हो अथवा नहीं। साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि ये निर्णय 1976 के किसी भी दिन से आरम्भ होने वाले लेखा वर्ष पर लागू होंगे। इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन करने हेतु 3 सितम्बर, 1977 को एक अध्यादेश जारी किया गया। सभा के समक्ष जो यह विधेयक रखा गया है उसके सम्बन्ध अध्यादेश के अनुरूप ही है और उसका उद्देश्य केवल मात्र अध्यादेश का स्थान लेना है।

*श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी परिस्थितियों को विस्तार से बताया है। बोनस के बारे में निर्णय करने की मांग अनेक बार की गई है राज्य सरकारों ने भी आग्रह किया था कि यह निर्णय दीवाली के पर्व से पहले किया जाना चाहिये।

औद्योगिक शान्ति को भंग होने से बचाने के लिये ही केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कराया। यह कदम कर्मचारियों के संघों और राज्य सरकारों के दबाव के कारण उठाया गया है।

कांग्रेस सरकार ने 8.33 प्रतिशत बोनस अदा करने का निर्णय किया था। यह जनता सरकार की देन नहीं है।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में बोनस को अस्थगित मजूरी माना था। अब मंत्री महोदय ने उसे स्पष्ट नहीं किया। 1965 में जब बोनस संदाय स्वीकार किया गया था, उस समय श्री दण्डवते ने बोनस के लिय चलाये गये आन्दोलन का नेतृत्व किया था। अब श्रम मंत्री को इसे स्वीकार करना चाहिये।

पिछले महीने की 29 तारीख को 60,000 रेल कर्मचारियों ने दिल्ली में एक प्रदर्शन करके बोनस की मांग की है। इसी प्रकार डाक तथा तार विभाग के तथा अन्य सरकारी कर्मचारी बोनस की मांग कर रहे हैं। जनता पार्टी को अपना आश्वासन पूरा करना चाहिये।

बड़ी निराशा का विषय है कि कर्मचारियों के सभी वर्गों को बोनस नहीं मिलेगा। आपात स्थिति के कारण पहले उन लोगों ने अपना रोष व्यक्त नहीं किया था। यदि कार्मिक संघ न्यायालय में यह सिद्ध कर देते है कि कम्पनी का सन्तुलनपत्र ठीक नहीं है तो उसकी पुनः लेखापरीक्षा करायी जायेगी। अब जनता सरकार कार्मिकों के इस अधिकार को भी समाप्त कर रही है। यह ठीक नहीं है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

दुर्भाग्य की बात है कि उत्पादन और उत्पादिता के आधार पर नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच जो समझौते पहले से हो चुके हैं उनके बारे में भी इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। यह बहुत दुख की बात है कि सरकार ने उत्पादन और उत्पादिकता पर आधारित ऐसे द्विपक्षीय समझौतों में नियोजकों का पक्ष लिया है।

मन्त्री जी ने 19 महीनों के दौरान पारित किए गए काले कानूनों के बारे में कहा है। यदि ऐसा ही है तो इस विधेयक के उपबन्धों को 1976 से ही क्यों लागू किया जा रहा है, उन्हें 1975 से लागू किया जाना चाहिये।

इस विधेयक की एक अन्य विशेषता यह है कि यह केवल एक वर्ष के लिए लागू रहेगा। बोनस अधिनियम के उपबन्धों को जारी रखने के लिए कर्मचारियों को प्रतिवर्ष संघर्ष करना पड़ेगा। इस विधेयक को स्थायी विधान बनाया जाये।

यदि सरकार को जल्दी भी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इस तरह का अधूरा विधेयक पेश करें। व्यापक विधेयक तैयार करने के लिए 6 महीनों का समय काफी होता है। सरकार को शीघ्रातीशीघ्र एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए।

8.33 प्रतिशत बोनस रेल, बैंक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, डाक और तार तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए। कार्मिक संघों को तुलन पत्र तथा अन्य लेखों की पुनः लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरे, उत्पादन तथा उत्पादिता के आधार पर किए गए द्विपक्षीय समझौतों को पूरा किया जाना चाहिए और विधेयक में इसके लिए कानूनी उपबन्ध होना चाहिए।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपात स्थिति के एक काले कानून को समाप्त करने के लिए मन्त्री महोदय और सरकार दोनों ही बधाई के पात्र हैं। लोक सभा के चुनावों के दौरान यह वचन दिया गया था कि यदि जनता सरकार सत्ता में आ जाती है तो वह सितम्बर 1975 के इस काले अधिनियम को समाप्त कर देगी और एक महीने की आय अथवा 8.33 प्रतिशत बोनस के सिद्धान्त को पुनः प्रतिष्ठित करेगी।

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए।
SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

यद्यपि यह विधेयक काफी व्यापक है और आपातस्थिति के दौरान जो कुछ किया गया है उसे समाप्त करने में सक्षम है फिर भी सरकार को कुछ और बातों पर विशेषकर अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं सम्बन्धी उपबन्धों पर विचार करना चाहिए। विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है यदि प्रबन्धक और श्रमिक वर्ग इस विधेयक में निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से कोई समझौता करते हैं तो इसके लिए उन्हें सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। लोकतांत्रिक समाज में ऐसी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। यदि राष्ट्रीय मजूरी नीति के अभाव में प्रबन्धक और श्रमिक अपने आप कोई समझौता करते हैं तो उन्हें उसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

दूसरे आवंटनीय मुनाफे की भी परिभाषा की गई है। जो कम्पनियां कम्पनी अधिनियम से नियमित होती ह उनक लिए तो ठीक है लेकिन बैंकों के लिए यह ठिक नहीं है। क्यों कि बैंकों को गुप्त निक्षेप रखने काअधिकार होता है। बैंक खातों को छलपूर्वक कुछ इस ढंग से रख सकता है जिससे आवंटनीय

[डा० सुब्रमण्यम स्वामी]

मुनाफा बहुत कम हो सकता है। अतः धारा 34 क बैंकिंग उद्योग में लगे कर्मचारियों के लिए बड़ा हानिकर है। मंत्री महोदय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

मन्त्री महोदय को भूतपूर्व सरकार के अन्य काले कानूनों को भी समाप्त करना चाहिए। 24 जनवरी, 1974 को जीवन बीमा नियम के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था। आपात स्थिति के दौरान यह समझौता एक पक्षीय तौर पर रद्द कर दिया गया। सरकार को इसे श्रमिकों के साथ को गई धोखे को कार्यवाई समझना चाहिए। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के इस काले कारनामे को भी समाप्त करना चाहिए तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को सामूहिक समझौते के आधार पर वह सब कुछ दिया जाना चाहिए जिसके लिए वे हकदार हैं।

रेल कर्मचारियों को बोनस का भूगतान करने में सरकार को कुछ कठिनाईयां हैं। राष्ट्रीय मजूरी नीति के अभाव में बोनस के लिए उनकी मांग न्यायोचित है। हमें उन्हें बोनस का भूगतान करने के लिए तदर्थ व्यवस्था करनी चाहिए और एक बार राष्ट्रीय मजूरी नीति के बन जाने पर हम बोनस के समायोजन पर विचार कर सकते है। कई अन्य ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा सरकार कराधान को बढ़ाए बिना धन एकत्र कर सकती है।

आधे घंटे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तर्गत आनेवाले गांव

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चितौड़) : 18 नवम्बर को मैंने एक प्रश्न किया था कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न बैंक किस प्रकार कार्य कर रहे है और उन्होने खेतिहर मजदूरों तथा शहरों के श्रमिकों को कितना ऋण दिया है। प्रधान मंत्री ने कहा कि 14 राष्ट्रीकृत बैंको की 4540 शाखाएं कार्य कर रही है। इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि खेतिहारों को कितना धन दिया गया है और कितने गांव तथा कितने खेतिहर मजदूर इन बैंकों के अन्तर्गत आते हैं। अतः मैं वित्त मन्त्री का ध्यान ग्रामिण क्षेत्रों में कार्य कर रहे इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के वास्तविक कार्यकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वह उसमें सुधार कर सकें।

चितूर जिले में इण्डियन बैंक ही मुख्य बैंक है अन्य बैंकों ने भी अपनी कुछ शाखाएं खोलि हैं लेकिन यह शाखाएं बहुत कम हैं। इनके अन्तर्गत तो 100 मुख्य गांव भी नहीं आते। जब खेतिहर लोग उनसे ऋण लेने आते हैं तो वह कहते हैं कि पांच-दस किलोमीटर से ज्यादा दूर रहने वाले व्यक्ति की वह सहायता नहीं कर सकते। जो अधिकारी गांवो में आते हैं उनकी ग्रामिण क्षेत्र में कोई रुची नहीं होती अतः ऋण देने की स्थिति बहुत कठिन होती जा रही है। लोगों की ओर से ऋण की अधिक मांग है लेकिन बहुत कम मांग पूरी की जाती है और यह अन्तर बढ़ता जा रहा है इन बैंकों को यह अन्तर कम करना है। गांवों में जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता है उनको ऋण दिलाने की व्यवस्था हेतु वित्त मन्त्री को एक नीति बनानी चाहिए। उन्हें ग्रामिण क्षेत्रों की सभी शाखाओं को यह निर्देश देने चाहिए कि जो भी व्यक्ति उनके क्षेत्र के निकट ह उन सभी को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इन बैंकों की प्रक्रिया में भी एकरुपता नहीं है। एक बैंक की शाखा ने कहा है कि वह कुछ विशिष्ट उद्देश्यों हेतू ऋण देते है और अन्य बातों के लिए नही। जब यह बैंक कुछ विशिष्ट

उद्देश्यों को पूर्ति हेतु ऋण देते हैं तो अन्य उद्देश्यों को पूर्ति हेतु ऋण कैसे प्राप्त किया जा सकता है वित्त मंत्री इस पर भी विचार करें ।

ग्रामिण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए भी ऋण नहीं मिलता । मंत्री महोदय ने कहा है कि वह खेतिहरों के लिए योजना आवंटन को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर रहे हैं क्या खेतिहर मजदूरों को ऋण देने के उद्देश्य से बैंको को भी कुछ आवंटन किया जा रहा है । जब तक ऐसा आवंटन नहीं किया जाता तब तक खेतिहरो के लिए ऋण प्राप्त करना संभव नहीं ।

खेतिहार मजदूरों को इन बैंकों से किसी किस्म की सहायता प्राप्त नहीं हो रही । इन लोगों का उद्धार अवश्य किया जाना चाहिए। जब तक इसके लिए ऋण की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक इसके लिए प्रगति कर पाना संभव नहीं ।

जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का सम्बन्ध है एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत उन्हे स्व-नियोजन के लिए ऋण दिया जाएगा । लेकिन बैंक इस योजना का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे । अत: जब तक सरकार इस सम्बन्ध में उचित नियम नहीं बनाती तब तक स्वनियोजन को प्रोत्साहन देना संभव नहीं ।

जहां तक ब्याज की दर का सम्बन्ध है सरकार उद्योगों तथा अन्यबातों के लिये इस दर को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर रही है। मेरा सुझाव है कि छोटे किसानों के लिए जिन के पास 5 एकड़ से कम भूमि है ब्याज की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी जाए। वित्त मंत्री इस पर विचार करें ।

जहां तक भर्ती का सम्बन्ध है बैंकों में गांवों के लोग ही भर्ती किए जाने चाहिए जब तक खतिहरों, खेतिहर मजदूरों और दस्तकारों में से कुछ लोग भर्ती नहीं किए जाते तब तक बैंक वालों के लिए खेति हरों और ग्रामिण लोगों की सहायता में रुचि लेना संभव नहीं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : यह एक अच्छी चर्चा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों सुसंगठित करने की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामिण क्षेत्रों को आर्थिक न्याय देने का था। ग्रामिण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने के लिये अभी बहुत कुछ किये जाने के लिये शेष है।

मैं जानना चाहता हूँ कि अगले वर्ष के लिये ग्रामिण क्षेत्रों में ऋण सुविधायें प्रदान करने हेतु क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रामिण क्षेत्रों की बैंकिंग सेवायें भी शहरी क्षेत्रों की तरह कार्य कुशल हैं ?

क्या सरकार यह भी ध्यान में रख रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग की आदत पड़े? मेरा तात्पर्य यह है कि क्या गांव के लोगों के बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जाती है ?

यह पहला मौका है जब चुनाव द्वारा-मुझे ग्रामीण क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित हुआ हो। मैंने अनुभव किया है कि ऋण सुविधाओं के मामले में गांव के लोगों को उपेक्षित किया जाता है । गांव के लोगों को ऋण सम्बन्धी पूरी सुविधायें मिलनी चाहिए । सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

श्री चित्त बसु (बारासात) : बैंकों का राष्ट्रीयकरण सामाजिक उद्देश्य से किया गया था। कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4500 बैंक खोले गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऋण-योग्यता सम्बन्धी नीति पर विचार करेगी ?

श्री ओ० वी० अलगेसन (अर्कोनम) : अब बैंक के लोगों को यह कहने के लिये जोर दिया जा रहा है कि वे धन को जमा करने की ओर ध्यान दें। मंत्री महोदय को ग्रामीण लोगों के विभिन्न वर्गों को ऋण देने सम्बन्धी सेवाओं के विविधीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कई प्रश्न किये गये हैं लेकिन सबका सार यही है कि क्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में उतना कार्य कर रहे जितना कि वहां अपेक्षित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा जितनी प्रगति हुई है। उससे हम बिलकुल संतुष्ट नहीं है। वास्तव में जब हमने कार्य शुरु किया था तो उस समय कमर्शल बैंकों द्वारा केवल 2 प्रतिशत किसानों को आवश्यकताएं पूरी की जा रही थी और आज राष्ट्रीयकृत बैंक 10-11 प्रतिशत किसानों की आवश्यकता पूरी कर रहे है। निश्चय ही यह भारी प्रगति है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम इन लोगों की ऋण सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। हमें अभी भी बहुत कार्य करना है। हम ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हमने दो समितियों की नियुक्ति की है एक समिति ग्रामीण शाखाओं के प्रश्न पर विचार करेगी और यह देखेगी कि क्या हम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ती करने में समर्थ हुएं है। दूसरी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को देखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि क्या सही दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है अथवा हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए।

कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों के कार्यकरण में समन्वय होना चाहिए। ऐसा समन्वय होना अवश्य चाहिए। इसीलिए हमने दो समितियों की नियुक्ति की है जो यह सुनिश्चित करेगी कि दोनों प्रकार के बैंकों के बीच किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक प्रश्न यह भी किया गया है कि क्या अधिकारी लोगों का रवैया सही है निस्सन्देह उनका रवैया ठीक नहीं है। यह एक और बात है जिसमें हम सुधार करना चाहते हैं। ग्रामीण बैंकों में रखे गए लोगों में हम यह भावना पैदा करना चाहते हैं कि ग्रामीण किसानों तथा अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते समय वह सही दृष्टिकोण अपनाए, और अपना रवैया भी ठीक रखे।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण प्राप्त करने की योग्यता की समीक्षा करने की आवश्यकता का सम्बन्ध है। हम निरन्तर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यदि ऋण देने के सामान्य तरीके कठोरता से अपनाए जाते तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को ही ऋण मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हमने नियमों को काफी उदार बनाया है। हम अभी इस सम्बन्ध में अध्ययन कर रहे हैं और यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों के रोल को जोखिम में डाले बिना हम इन लोगों को अधिक से अधिक कितनी सहायता कर सकते हैं। अन्ततः बैंकों को बिना किसी जोखिम के अपना दिया हुआ ऋण तो वापिस लेना ही है और इस दृष्टि से मेरे विचार में हम उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अधिकतम सीमा तक पूरा करने मे समर्थ हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 दिसंबर 1977। 15 अग्रहायण, 1899 (शके) के ग्यारह बजे म०पु० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, December 6, 1977 Agrahayana 15, 1899 (Saka)

भा० स० मु० नासिक—वि०1—349 एल०एस०एस०(नई दिल्ली)/77—9-3-78—200.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 1977/11 अग्रहायण 1899 (शक)

No. 13, *Friday, December* 2, 1977/*Agrahayana* 11, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ईरान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to Iranian Parliamentary Delegation	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	2—12
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 249	*Starred Questions Nos. 245 to 249	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	13—137
तारांकित प्रश्न संख्या 244 और 250 से 264	Starred Questions Nos. 244 and 250 to 264	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 से 2334, 2336 से 2345, 2347 से 2367, 2369 से 2370, 2372 से 2388, 2390 से 2437 और 2439 से 2502	Unstarred Questions Nos. 2303 to 2334, 2336 to 2345, 2347 to 2367, 2369 to 2370, 2372 to 2388, 2390 to 2437 and 2439 to 2502.	
महालेखापाल, इलाहाबाद के कार्यालय के श्री कृपाशंकर तथा अन्य कर्मचारियों की बहाली के संबंध में 29-7-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5331 तथा श्री विद्याचरण शुक्ल की आय और धन का निर्धारण करने के बारे में 5-8-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6421 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting Statements to USQ. No. 5331 dated 29-7-1977 *re.* reinstatement of Shri Kripa Shankar and other employees of the office of Accountant General, Allahabad; and USQ. No. 6421 dated 5-8-1977 *re.* Assessment of income and wealth of Shri Vidya Charan Shukla.	138
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	Papers laid on the Table—	139—141
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	142
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege	142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	142—154
(एक) जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा जारी किया गया लोक सुरक्षा अध्यादेश तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया	(i) Public Safety Ordinance issued by the Jammu and Kashmir Government and reaction of Government thereto	142—145 व148—150

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—367 LSS (ND)/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(दो) केरल और पश्चिम बंगाल से सरकारी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा विशेष जांच पड़ताल के बारे में गृह मंत्रालय का कथित परिपत्र	(ii) Home Ministry's reported Circular *re.* special verification of persons from Kerala and West Bengal Seeking Government employment	146–148 व150–154
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	154
तेरहवां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	
बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मताधिकार आयु कम करने आदि के बारे में याचिका	Petition *re.* Unemployment, price-rise lowering of voting age, etc.	154
सभा का कार्य—	Business of the House—	155
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee—	156
काफी बोर्ड	Coffee Board	
लोकपाल विधेयक	Lokpal Bill	156
संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Joint Committee	
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	157
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1977-78—विवरण प्रस्तुत किया जाना	Supplementary Demands for Grants (General) 1977-78—Statement presented	157
नियम 377 के अधीन मामलें—	Matters under rule 377—	157–158
(एक) सरसों के तेल में तोरिया के तेल की कथित मिलावट करने और उसे बहुत अधिक मुल्यों पर बेचे जाने और वनस्पति में हानिकारक तेलों और चर्बी की मिलावट करने का कथित समाचार	(i) Reported mixing of rape-seed oil in mustard oil and selling it at much higher price and adulteration of Vanaspati with injurious oils and fats	157
(दो) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि को वापस लौटाये जाने की मांग	(ii) Demand for withdrawal of restrictions on refund of deposits under compulsory Deposit Scheme	157
(तीन) चम्बल घाटी में डाकुओं का आतंक	(iii) Dacoit menace in the Chambal Valley	158
(चार) अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड के बंद किये जाने के परिणामस्वरूप 1700 से अधिक श्रमिकों का बेरोजगार होना	(iv) Closure of Ahmedabad Laxmi Cotton Mills Ltd. Resulting in unemployment to over 1,700 workers	158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	158
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	
पुर:स्थापित किये गये विधेयक—	Bills introduced—	159–163
(एक) श्री के० लकप्पा का मुनाफाखोरी निवारण व कीमत नियंत्रण विधेयक	(i) Profiteering Prevention and Price Control Bill by Shri K. Lakkappa	159
(दो) श्री हुकम चन्द कछवाय का व्यवसाय संघ (मान्यता) विधेयक	(ii) Trade Unions (Recognition) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	159
(तीन) श्री हुकम चन्द कछवाय का घरेलू कर्मकार (सेवा की दशा) विधेयक	(iii) Domestic workers (Conditions of Service) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	159
(चार) संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 74 तथा 163 का संशोधन)	(iv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 74 and 163) by Shri Hukam Chand Kachwai	160
(पांच) श्री हुकम चन्द कछवाय का भूख से मृत्यु (पूर्वाधानी उपाय और उत्तरदायित्व) विधेयक	(v) Starvation Deaths (Precautionary Measures and Responsibilities) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	160
(छः) चौधरी राम गोपाल सिंह का शराब (उत्पादन), (प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक	(vi) Liquor (Regulation of Production supply and Distribution) Bill by Chaudhary Ram Gopal Singh	160
(सात) डा० लक्ष्मीनारायण पांण्डेय का भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 17 आदि का संशोधन)	(vii) Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 17, etc.) by Dr. Laxminarayan Pandeya	161
(आठ) श्री डी० डी० देसाई का जात-पात के उपदर्शन का प्रतिषेध विधेयक	(viii) Prohibition on Indication of Caste Bill by Shri D. D. Desai	161
(नौ) श्री यमुना प्रसाद शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 23क 23ख तथा 23ग का अन्त: स्थापन)	(ix) Constitution (Amednment) Bill (Insertion of new articles 23A, 23B, and 23C) by Shri Y. P. Shastri	162
(दस) श्री रूप नाथ सिंह यादव का भारतीय सामाजिक विषमता उन्मूलन विधेयक	(x) Indian Social Disparities Abolition Bill by Shri Roop Nath Singh Yadav	162

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(ग्यारह) श्री ओम प्रकाश त्यागी का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 का संशोधन)	(xi) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 80) by Shri Om Prakash Tyagi	162–163
(बारह) श्री निर्मल चंद जैन का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (आदेश 17 का संशोधन)	(xii) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Amendment of Order XVII) by Shri Nirmal Chandra Jain	163
(तेरह) श्री चित्त बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)	(xiii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) by Shri Chitta Basu	163
श्री पी० के० देव का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन)—वापस लिया गया—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment) of Article 124) by Shri P. K. Deo—Withdrawn—	164–173
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	164-172–173
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	164–165
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	165–166
श्री सोम नाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	166
श्री जी० एम० बनात वाला	Shri G. M. Banatwalla	166–167
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	167–168
श्री निर्मल चंद जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	168
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	168–172
जी० टी० एक्सप्रैस रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement *re.* Reported Accident to G. T. Express—	171
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	171
श्री समर गुह का नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक —	National Holiday on Netaji Subhash Bose's Birthday Bill by Shri Samar Guha—	173–174
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	173–174
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	174
नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report	
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	174–176
वनों का विकास	Development of Forests	
श्री युवराज	Shri Yuvraj	174–175
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	175
श्री गिरधर गोमंगो	Shri Giridhar Gomango	176
श्री० आर० एल० पी० वर्मा	Shri R. L. P. Verma	176
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	176

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]